राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का १४वाँ दिवस [संख्या ११

गुरुवार, ६ नवम्बर, १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४२३

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

पशुमेला, सांचोर में पानी का ठेका

४२४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) संवत् २०१० में सांचोर पशुमेला के पानी का ठेका किसको कितने रुपयों में दिया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ठेकेदार की रकम सरकार में बकाया है ? यदि हां, तो उसे भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

उप–कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण): माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मीचन्द : १५ दिन पहले नोटिस देते हैं, फिर भी उत्तर नहीं मिलता।

श्री दौलतराम सारण : अगले टर्न पर दे दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ४२५

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४२६

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४२७-४२८

रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४२६

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३०

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

Page No.2

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४३१

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३२

श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३३

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३४

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३५

श्री सज्जनसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३६

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

पुष्कर मेले में गाड़ियों का चालान

४३७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि सब–इन्सपेक्टर, ट्रान्सपोर्ट, नागौर ने मेड़ता से पुष्कर व डेगाना से पुष्कर जाने वाली गाड़ियों के सन् १९५७ के मेले के दिनों में १८० चालान भरे थे ? यदि हां, तो उसमें से कितनों का चालान कोर्ट में पेश किया गया ?

उप–शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई, यातायात मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या ओवर लोड गाड़ी नहीं जातीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पुलिस द्वारा पकड़ी गई अफीम

४३८. **श्री पी०के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state:

How mnch contraband opium has been seized by the police during the year 1958 and from how many parties? In how many cases prosecution has been launched and in how many cases the parties have been let off ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस वर्ष दिनांक ८–९–५८ तक १०८ पार्टी से ६६०२९।। तोला अवैध अफीम पुलिस द्वारा पकड़ा गया । अभी तक २८ मुकदमों का चालान किया जा चुका है. जिसमें से अदालत से दो मुकदमों में अपराधी बरी हो गए हैं । एक मुकदमा सिद्ध नहीं हो पाया, इसलिए तफतीश बन्द कर दी गई और अपराधी को

(श्री रामकिशोर व्यास)

धारा १६६ सी० आर० पी० सी० के तहत पुलिस ने छोड़ दिया ।

श्री पी० के० चौधरी : इसमें २८ ही क्यों और बाकी के ८० केसेज़ का क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : २८ केसेज़ का तो चालान हो गया है और ८० अन्डर इन्वेस्टिगेशन हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : उनका चालान क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी तहकीकात हो रही है ।

प्रश्न संख्या ४३६

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४४०

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचंद ।

पुलिस ऑफिसरों के लिए रिफ्रेशर कोर्स

४४१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में किन किन पुलिस ऑफिसरों का रिफ्रेशर कोर्स होता है तथा किन किनका नहीं होता ?

(२) पुलिस ऑफिसरों के रिफ्रेशर कोर्स नहीं होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट और इससे नीचे के पद के कर्मचारियों को रिफ्रेशर्स कोर्स में भेजा जाता है ।

(२) डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट और उससे ऊपर के पद के कर्मचारी अधिकतर आई. पी. एस. है और ऐसे कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने कोई रिफ्रेशर्स कोर्स का प्रबन्ध नहीं किया है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो सुपरिन्टेन्डेन्ट आई. पी. एस. नहीं है, उनके लिये रिफ्रेशर्स कोर्स है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितनी उम्र वालों को रिफ्रेशर्स कोर्स में भेजा जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ४५ वर्ष तक की उम्र तक को ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या ४५ साल से ऊपर की उम्र वालों को भी रिफ्रेशर्स कोर्स में भेज दिया गया है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप किसी इन्डीविजुअल के लिए पूछते हों तो बता सकता हूं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं आपकी नीति के बारे में पूछना चाहता हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मैंने आपको बता ही दी है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी० के० धरी

Page No.4

फुलेरा तहसील में पंचायत-निर्वाचन

४४२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:

(a) Is it correct that two separate panchayats of Bhadhal and Itawa in Phulera Tehsil were established under Government's order No. 312/57/F. (I) B 13 LSG/56 dated 23-5-57, published in weekly Gazette dated 20-6-57, and also is it correct that notifications for holding elections to these newly constituted Panchayats were issued at least 4 times but every time the election was postponed ? Is it also correct that the reconstituted Panchayat of Bhadhal had a population of 5000 and Itawa over 4000 ?

(b) Is it correct that the Government, in its notification No. 3714/F. I. 13/LSG/A-56, dated 14-4-1958, published in Gazette dated 22-5-58, proposed to amalgamate these two panchayats of Bhadhal and Itawa into a single Panchayat named Bhadhal, having a population of nearly 9500 ? Is it also correct that in the same Gazette a Government notification No. 4106/F. 3/25/LSG/A/58 dated 22-5-58 was published which proposed to bifurcate the Dumariya Panchayat, having a population of about 5000 into two Panchayats namely, Dumariya and Mahalpura Ghuara having a population of 2500 each ?

(c) What are the guiding principles according to which these panchayats are constituted and reconstitut How does the Minister reconcile his actions in the case of Bhadhal and Dumariya Panchayats ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम) : (a) Government established a Panchayat at Itawa consisting of 5 villages out of which four villages were taken out from Panchayat Badhal.

It is correct that dates for conducting the elections of Panchayat Badhal and Itawa were fixed.

It is also correct that the reconstituted Panchayat of Badhal had a population of 4,855 while Itawa of 3,549.

(b) Yes Such a notification was issued.

Yes.

(c) The bifurcation of Panchayat Dumariya was recommended by the Inspector Panchayats and Divisional Panchayat Officer keeping in view the public convenience.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that after the proposal for making Panchayats for Itawa, it was published and no objection was received during the period ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : No objections were received. Objections were considered and then the Panchayats were formed.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Was the Government authorised to do so in 1947 ?

Page No.5

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is a provision under Section 86 of the Act and the Government is authorised.

श्री पी० के० चौधरी : चार दफा चुनाव क्यों रोक दिए गए थे ? Why the Government postponed these four times ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ बार तो ऑफिसर नहीं पहुँचे और कुछ बार गांव में अशांति रही, इस कारण चुनाव नहीं हो सके।

श्री पी० के० चौधरी : समझ में नहीं आया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक-दो बार तो ऑफिसर नहीं पहुँच सके और एक-दो बार गांवों में अशान्ति थी, क्योंकि जो दो गांवों की पंचायतें थीं, वे एक पंचायत नहीं कराना चाहती थीं।

श्री श्रीभानसिंह : In how many cases the officers did not reach on the spot for elections ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार बार में से एक-दो बार तो ऑफिसर नहीं पहुँच सके और एक दो बार गांवों में अशान्ति रही।

श्री श्रीभानसिंह : Why were the the people penalised for the non attendence of the officers and what action was taken against those officers ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूसरे कामों में बिज़ी होने के कारण रेवेन्यु डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं पहुँच सके तो पीनेलाइज़ नहीं होंगे।

श्री श्रीभानसिंह : Did the officer concerned know his business ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता यह कई बार होता है जब कि रेवेन्यु डिपार्टमेंट के ऑफिसर किसी दूसरे कामों में लगे होते हैं तो इलेक्शन्स नहीं हो पाते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Should this House take that the Panchayat elections depend upon the more whims of the officers and not on the dates fixed.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मी चन्द, नेक्स्ट। These are all general questions. They don't arise out of it...

श्री पी० के० चौधरी : There is one more question, Sir, आपने 'सी' के जवाब में कहा है कि लोगों की सहूलियत को देखते हुए डिविजनल पंचायत की सिफारिश पर पंचायतों को री-कॉन्स्टीट्यूट करते हैं, तो यह जो बधाल पंचायत को अमलगेमेट किया है, बधाल और इटावा पंचायत को, और ६।। हजार का एक पंचायत बनाया है, तो क्या उसमें लोगों की कन्वीनियेन्स का ख्याल नहीं रखा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोगों की कन्वीनियेन्स का ख्याल रख कर ही सोचा कि दो पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत बना दी जाये। मगर झगड़े समाप्त नहीं हुए और चुनाव भी नहीं हुए तो दोनों नोटिसेज़ को कैंन्सिल करके तीसरे सज्जनको कहा कि उनकी सलाह को मानेंगे। इनकी सलाह के बाद यह तय हुआ कि पंचायत एकही बना दी जाये। आप ही देखिये कि जैन्टिलमैन वर्ड था और इस फैसले के मुताबिक झगड़ा बन्द हो जाना चाहिए था, मगर इसके बावजूद भी कुछ लोग एजीटेट करते रहे। मेरे ख्याल से उस फैसले के ऊपर तो सब को एक मत होना चाहिए था।

श्री मनोहर कोठारी : पंचायतों में अधिक से अधिक कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द ।

पुलिस के प्रोसीक्युटिंग सब–इन्स्पेक्टर्स की योग्यता

४४३. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि पुलिस के प्रोसीक्युटिंग सब–इन्स्पेक्टर की योग्यता एल एल. बी. की होती है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उनको सब–इन्स्पेक्टर के बराबर जिसकी योग्यता सिर्फ मैट्रिक ही रखी गई है, रु० ८०–५–१००–८–१४०–१०–२०० का ग्रेड दिया जाता है ?

(३) यदि हां, तो इन दोनों की योग्यता में काफी अन्तर होते हुए भी इनके ग्रेड में कोई फर्क नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(४) राजस्थान में ऐसे कितने पी. एस. आई. हैं जो एल. एल. बी. होते हुए सब–इन्स्पेक्टर के ग्रेड में ही वेतन पा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) क्या यह सत्य है कि पी. एस. आई. के ग्रेड्स रु० १५० से रु० ३५० तक के करने का सुझाव इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस, राजस्थान, ने सरकार के पास भेजा था ? यदि हां, तो कब तथा उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं, परन्तु एल एल. बी. को प्राथमिकता दी जाती है ।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । हां, पी. एस. आई. और एस. आई. वेतन दर एक ही है ।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(४) कुल ७१ लॉ ग्रेजुएट पी. एस. आई हैं ।

(५) पी. एस. आई. के ग्रेड रु० १५० से ३५०रु० तक बढ़ाने का सुझाव नहीं आया, अलबत्ता पी. एस. आई. व पी. आई. के पदों को समाप्त करके पुलिस प्रोसीक्युटर के पद १५० से ४०० की ग्रेड में परिवर्तित करने का सुझाव दिनांक ४–१–५६ को आया था जो सरकार के विचाराधीन है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब तक इस पर निर्णय होने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस पर ?

श्री लक्ष्मीचन्द : जो आपने फर्माया कि ४–१–५६ को सुझाव आया इसके ऊपर ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह विचाराधीन है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि इनका वेतन कम होने के कारण पुलिस के केसेज़ में भ्रष्टाचार बढ़ता है और इसके कारण पुलिस केसेज़ में सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : पी० के० चौधरी ।

तहसील पंचायत खारची में हरिजन पंच

४४४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Local Self Government Minister be pleased to state:—

Is it correct that the Tehsil Panchayat, Kharchi, recommended the name of a Harijan to the Government to be nominated as a panch in the Tehsil Panchayat and the Chief Panchayat Officer also recommended the same name; but the Government has refused to act on the recommendations of the Chief Panchayat Officer and the Tehsil Panchayat ? If so, why ?

उप–स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : तहसील खारची से अनुसूचित जाति के पंच की नामजदगी हेतु प्रस्ताव पास हुआ है जो अब तक सरकार के विचाराधीन है ।

श्री पी० के० चौधरी : यह कब प्राप्त हुआ था ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो मैं इस समय नहीं बतला सकता ।

श्री पी० के० चौधरी : आपको तारीख बतलानी चाहिए जब कि मैंने सवाल किया है ।

(विराम)

कब तक आप उसकी नामजदगी कर देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : जल्दी ही कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

प्रश्न संख्या ४४५

करौली के बंधों का सर्वे

श्री होतीलाल : प्रश्न संख्या ४४५ ।

(श्री रामकिशोर व्यास के प्रश्न संख्या ४४७ का उत्तर पढ़ने पर ।)

श्री अध्यक्ष : आप तो ४४७ का जवाब दे रहे हैं । श्री होतीलाल ऑथोराइज्ड हैं ।

करौली के उपजिले में बंधों का मापन

४४५. श्री होतीलाल (श्री बृजेन्द्रपाल की अनुपस्थिति में) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) Has any survey been done of the following Bunds:—

1. Bund Gudla (Karauli sub-division),
2. Bund Bhadri–ki–Doongar (near Palanpur, Hindaun sub-division).

(b) If so, when and what is their estimated cost ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(a) No.

(b) Does ot arise.

प्रश्न संख्या ४४६

श्री अध्यक्ष - श्री लालूराम टटवाड़िया

(अनुपस्थित)

Page No.8

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४४७

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

कृषि विभाग, जोधपुर में गनी बेग की चोरी

४४८. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कृषि विभाग जोधपुर में से गनी बेग की खरीद के नाम से २० हजार रुपये उठाये गये जब कि ऐसी कोई खरीददारी नहीं हुई ? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने उक्त रुपये उठाये ?

(२) क्या यह भी सही है कि कृषि विभाग के उप-संचालक के उक्त बीस हजार रुपये के चैक पर हस्ताक्षर थे ? यदि हां, तो इस गबन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, २३ हजार रुपये गनी-बेग की खरीददारी के नाम पर उठाये गये हैं। श्री दुर्गालाल अपर डिविजन क्लर्क, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर ने ये रुपये उठाये, की सूचना है ।

(२) जांच पूर्ण हुए बगैर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि श्री जोधसिंह, उप-संचालक जिला कृषि विभाग, जोधपुर के हस्ताक्षर थे अथवा जाली हस्ताक्षर थे। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अपने हाथ में जांच के लिये ले लिया था और वे अभियुक्त का पता लगाने में सफल हुए हैं। श्री दुर्गालाल से १७,६०० रुपये वसूल किये जा चुके हैं और उन्हें मोअत्तिल कर दिया गया है ।

श्री परसराम : आपके डिपार्टमेंट के इन्सट्रक्शन्स के अनुसार अमॉउन्ट डिप्टी डाइरेक्टर के पास रहता है या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास ?

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना मैं इस समय नहीं दे सकता ।

श्री परसराम : यह सूचना रखने की बात है । इसकी जानकारी आपको चाहिये। ये डिपार्टमेंटल इन्सट्रक्शन्स हैं कि इतना अमॉउण्ट तो किस पर्टिक्युलर ऑफिसर के पास रहेगा और वही इतनी रकम उठा सकता है ।

श्री दौलतराम सारण : डिप्टी डाइरेक्टर ही ऑथोराइज्ड है इसके लिए ।

श्री परसराम : यह आप गलत कहते हैं। आपके डिपार्टमेंट के जो इन्सट्रक्शन्स हैं उनमें गनी-बेग का जो अमॉउन्ट है वह डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास रहता है। आपकी 'थ्रू-आउट दी स्टेट' यही पॉलिसी है ।

श्री अध्यक्ष : आपको तो मालूम था, फिर क्यों पूछा ?

(हंसी)

आप इम्तिहान ले रहे थे क्या ?

श्री परसराम : कारण यह है कि पिछली बार दस्तखत हुए हैं वह डिप्टी डाइरेक्टर के जाली दस्तखत हुए हैं ।

श्री भीमसेन : यह मामला कब नोटिस में आया ?

श्री दौलतराम सारण : यह रुपया ५-७-५८ को ड्रॉ किया गया और २३-८-५८ को यह मामला ध्यान में आया ।

श्री अनूपसिंह : क्या आपको मालूम है कि उस हैड की सील को ऑफिस में नहीं रख सकते ?

श्री दौलतराम सारण : यह रुपया जिस हैड से उठाया गया वह हैड चैन्ज हो गया है, इसलिए ही तो यह मामला ध्यान में आया कि यह दूसरे हैड में चेन्ज हो गया ।

श्री भीमसेन : उस हैड का रुपया जब उस दफ्तर में नहीं रह सकता, डिप्टी डाइरेक्टर को रुपया रखने की इजाजत नहीं, तो वह रुपया वहां क्यों रखा गया ?

श्री दौलतराम सारण : अब तो हैड बदल दिया है तभी यह मालूम पड़ा ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : इस गबन कांड में किन किन व्यक्तियों का हाथ है ?

श्री दौलतराम सारण : यह मामला अभी तक विचाराधीन है । अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

प्रश्न संख्या ४४६

श्री अध्यक्ष : श्री लालूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारियां

४५० **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले आठ महीनों में राजस्थान पुलिस ने कितने तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये और कितना तोला पाकिस्तानी सोना बरामद किया ?

(ख) क्या यह सही है कि सन् ५६ और ५७ की अपेक्षा इस वर्ष राजस्थान में सोने का तस्कर व्यापार अधिक मात्रा में हुआ है ? यदि हां, तो सरकार सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि सोने का तस्कर व्यापार बढ़ाने का एक यह भी कारण है कि पुलिस व कस्टम कर्मचारी अपनी जीपों में सीमा से पाकिस्तानी सोना लाते हैं ?

(घ) क्या कोई सरकारी कर्मचारी अवैध सोना लाते हुए पकड़े गये ? यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ३०।६।५८ तक पुलिस द्वारा १३७६३ तोला १० माशा सोना बरामद किया गया और २०२ तस्कर व्यापारी पकड़े ।

(ख) यह ज्ञात नहीं कि सन् ५६, ५७ व ५८ में कितना सोना चोरी से लाया गया, किन्तु सतर्क होने के कारण ५७-५८ में अधिक सोना पकड़ सके ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आवाज साफ नहीं आ रही है, चूंकि माननीय मंत्री महोदय पान खाये हुए हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत सी बातों का तो आप अन्दाज लगाते हैं । फिर मैं दोहरा देता हूं ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(क) ३०-६-५८ तक पुलिस द्वारा १२७६३ तोला १० माशा सोना बरामद किया गया और २०२ तस्कर व्यापारी पकड़े ।

(ख) यह ज्ञात नहीं कि सन् ५६, ५७ व ५८ में कितना सोना चोरी से लाया गया किन्तु सतर्क होने के कारण ५७-५८ में अधिक सोना पकड़ सके ।

(ग) इस विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) सन् ५६-५७ में कोई नहीं ।

श्री परसराम : क्या यह सच है कि अढ़ाई महीने पहले देसूरी थाने में डेढ़ लाख रुपये का माल बरामद किया गया और वह सारा धन पुलिस के उच्च अधिकारियों के बीच में बांटा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आप सूचना दे रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही की जायगी ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या यह सही है कि कुछ माल बरामद भी हुआ और सोना वापिस भी लिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप स्पेसिफिकली किसी बात के लिए पूछें तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं ।

श्री पी० के० चौधरी : जोधपुर पुलिस ने जोधपुर के तस्कर व्यापारियों की कितनी बहियां पकड़ी ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहियां कितनी पकड़ी गई, सही संख्या तो मैं बता नहीं सकता, मेरा अन्दाज है पचास के आसपास होंगी ।

श्री पी० के० चौधरी : उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जेर तहकीकात है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि वे बहियां वापिस सेठों को दी जा रही हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : वे दी जायेंगी ।

श्री पी० के० चौधरी : जब वापिस देनी ही हैं, तो उनको पकड़ा ही क्यों गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो बहियां जब्त की जाती हैं उनको देखने के बाद, उनकी नकल करने के बाद, दस्तखत करने के बाद जमानत लेकर वापिस दे दी जाती हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या उन बहियों के कारण कुछ तथ्य सामने नजर आए हैं जिनके कारण तस्कर व्यापारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही की जा सके ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जेर तहकीकात हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जिन लोगों के हाथ में चेकिंग के पॉवर्स दिए हैं वे सेठों के ही रिश्तेदार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि उन बहियों को लौटाने के बारे में

Page No.11

(श्री पी० के० चौधरी)

होम मिनिस्टर साहब से वहां के सेंटों ने कॉन्टेक्ट किया है और आपको इन्फ्लुएन्स्ड करने की कोशिश की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बारे में कोई मेरे पास नहीं आया।

श्री पी० के० चौधरी : आपके पास जो तार आए हैं उसकी कॉपीज़ मेरे पास भी आई है।

श्री रामकिशोर व्यास : किसी व्यापारी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या इस तस्कर व्यापार को पकड़ने के लिए कोई काबिल अफसर रखे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : सारे अफसर ही काबिल हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : इस काम के लिये कोई अलग ऑफिसर नहीं, डेली ड्यूटी जिनकी होती है वे ही काम करते हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : जोधपुर के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जो हैं, वे क्या आर० पी० एस० हैं या आई० पी० एस०।

श्री रामकिशोर व्यास : आर० पी० एस० हैं, किन्तु आई० पी० एस० को ऑफिशियेट कर सकते हैं।

श्री परसराम : यह जिला महत्वपूर्ण जिला है, क्या यहां पर आर० पी० एस० के बजाय आई० पी० एस० सुपरिन्टेन्डेन्ट रखने की जरूरत सरकार नहीं समझती ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आई० जी० पी० के डिस्क्रीशन पर है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि सिटी सुपरिंटेन्डेन्ट, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जिनको यह काम सौंपा गया है वे उन व्यापारियों से मिले हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं। मेरे इल्म में इस प्रकार की कोई चीज नहीं। इसके अतिरिक्त मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि किसी भी अधिकारी पर इस प्रकार के आरोप लगाये जायं तो उसके लिए पहले प्रमाण होने चाहिये। बिना किसी प्रमाण के आरोप का लगाना उचित नहीं।

श्री परसराम : क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि पुलिस अधिकारी भी जीपों में सोना लाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब दे दिया है।

श्री परसराम : क्या आपके पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

गोगुन्दा तथा कोटड़ा तहसीलों में डिमार्केशन लाइन का डाला जाना

४५१. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) **:** क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर जिले के गोगुन्दा तथा कोटड़ा तहसील में कहां कहां डिमार्केशन लाइन डाली गई है ?

(२) क्या यह सच है कि जहां डिमार्केशन लाइन डाली गई है वहां के स्थानीय व्यक्तियों की सलाह नहीं ली गई ?

Page No.12

उप-वन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) डिमार्केशन लाइन जबरन नहीं डाली गई।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या उस डिमार्केशन लाइन में किसानों की जमीन भी आ गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या जिनकी जमीन इसके नीचे आ गई है उनको मुआवजा दिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जिनकी जमीन आ गई वे उजरदारी कर सकते हैं, कानून के अन्तर्गत जो मुआवजा उचित होगा वह दिया जा सकता है।

श्री लक्ष्मण हीरात : जिस समय डिमार्केशन लाइन डाली जाने वाली थी। क्या वहां के लोगों से ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट नहीं किये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिमार्केशन सन् १९४२ में शुरू हो गया था, उस समय डिमार्केशन के लिए इस प्रकार का कोई कानून नहीं था। अब विभागों को हिदायत दे दी गई है कि डिमार्केशन के पहले नोटिफिकेशन इश्यू किया जाय, ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये जायँ और ऑब्जेक्शन्स हियर करके फिर डिमार्केशन किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि इस जगह के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और न किसी से ऑब्जेक्शन्स ही इन्वाइट किये गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : प्राइवेट जमीन पर डिमार्केशन क्यों किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले आप प्रश्न को समझ लीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि जिस जमीन पर डिमार्केशन किया गया है उसमें काश्तकारों की भी जमीन आ गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आपको मालूम होना चाहिए, यह काम सन् ४२ में शुरू हो गया था। अगर इसमें किसी को एतराज हो तो वे एतराज कर सकते हैं। उसके बाद जो फैसला होगा उसे आपको और हमें दोनों को मान्य होगा।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन वहां इश्यू नहीं किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह प्रश्न बिल्कुल अलग है। सन् १९४२ में यह हुआ है जब कि नोटिफिकेशन का कोई प्रोविज़न नहीं था। यह वहां के एम० पी० और एम० एल० एज़ की सलाह से किया गया।

श्री लक्ष्मण हीरात : जिन कर्मचारियों ने ऐसी गलती की है, उन पर क्या एक्शन लिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई गलती नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : आप यह बतलाइये किन एम० पीज़ और कौन कौन

(श्री श्रीमानसिंह)

एम० एल० एज़ की सलाह आपने ली।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एम० पीज़ और एम० एल० एज़ और मोतबिर व्यक्तियों की सलाह से किया गया। सब जनता को इकट्ठा करके तो किया नहीं जा सकता, यहां पर भी हम एक लाख व्यक्तियों के प्रतिनिधि की हैसियत से काम चला रहे हैं।

ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र की जमीनों को बेचने का अधिकार

४५२. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किस किस ग्राम पंचायतों को अपने पंचायत क्षेत्र की जमीन को इमारती मकान बनाने के लिये बेचने व किराये पर देने का अधिकार है ?

(२) क्या सरकार के पास किसी ग्राम पंचायत के आवेदन-पत्र आये हैं, जिनमें प्रार्थना की गई कि उनके पंचायत क्षेत्र में सरकार के अन्य विभाग हस्तक्षेप करते हैं जिसे रोका जाय ? यदि हां, तो किस पंचायत के व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) सभी पंचायतों को अपने अपने अधीनस्थ क्षेत्र में आबादी की जमीन जो राज्य सरकार की है, इमारती व मकान बनाने के लिये, बेचने व किराये के अधिकार हैं।

(३) ऐसी कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं है, फिर भी यदि इस प्रकार की घटना घटी हो तो उसकी जानकारी प्राप्त होने पर ही कार्यवाही सम्भव है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या ग्राम पंचायत मन्डोर और टून्डला द्वारा कई दफा शिकायत भेजी गई ?

श्री दौलतराम सारण : जो सूचना मेरे पास उपलब्ध थी वह मैंने आपको दे दी, अगर आप यह सूचना देते हैं तो उस पर कार्यवाही संभव हो सकती है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : इसके बारे में मैंने श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, मिनिस्टर साहब, से कहा था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके अनुसार हिदायत भी जारी कर दी गई।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : आपने हिदायत कर दी होगी, किन्तु वे हिदायतें पहुंची नहीं; काम उसी ढंग से हो रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने पंचायतों के आधीन जो जमीन है उसको बेचने के अधिकार देने के बारे में कहा था; आपने कहा था कि टाउन इम्प्रूवमेंट वाले इसको बेचने में दखलन्दाजी करते हैं। पंचायतों को बेचने का अधिकार हैं और इसके माफिक कलेक्टर को भी हिदायत कर दी है।

श्री भीमसेन : वह बताया गया कि मण्डी उस एरिया में नहीं है तो इससे क्या अभिप्राय है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भाखरा कैनाल की बात है।

श्री परसराम : वे जो इन्स्ट्रक्शन्स गये हैं क्लेक्टर को, कौन सी तारीख को गये हैं ?

Page No.14

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपसे कह भी दिया था मैंने, तारीख तो इस समय याद नहीं है मुझे।

श्री परसराम : कलेक्टर ने माना नहीं आपका कहना। जबानी कहा था आपने। उसको भी एक साल हो गया। एक साल पहले की बात है। इसके बाद पर्सनली शिकायतें भेजी हैं आपके पास कई बार।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका पर्सनल शिकायत का मामला हो तो बताइये।

श्री परसराम : पर्सनल नहीं है, यह तो सार्वजनिक है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

तहसील कोटड़ा और गोगुन्दा में तालाबों की सर्वे

४५३. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुंदा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर जिले के कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसील के किन किन तालाबों की सर्वे सन् १९५५ से अब तक हुई है ?

(ख) क्या यह सही है कि कई तालाबों की सर्वे सन् ५७ में पूरी हो गई हैं, फिर भी उनका कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) कोटड़ा तहसील में जेड़ तालाब व गोगुन्दा तहसील में दादिया और नन्देशमा एनीकट्स की सर्वे उक्त समय में हुई हैं।

(ख) जी हां। जिन तालाबों का सर्वे हुआ उन पर कार्य करने का इरादा नहीं है।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्यों नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : वे प्रोडक्टिव नहीं हैं ?

श्री लक्ष्मण हीरात : आदिवासी एरिया को देखते हुए रिटर्न कम हो, तब भी क्या सरकार कार्य कराने का इरादा रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी ऐसा सिद्धान्त निश्चित नहीं हुआ है। होगा तब वैसा ही किया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : जिनका सर्वे होकर कार्य हुआ वे कितने प्रोडक्टिव थे, कितना रिटर्न रहा उनका ?

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे ४॥ पर्सेन्ट का फायदा है। पर हम २॥ पर्सेन्ट तक उतर कर आ गये हैं। इससे नीचे जब आवेंगे तब वैसा कर लेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सारे इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स प्रोडक्टिव हैं और रिटर्न देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : Except one or two- जैसे जवाई है।

श्री पी० के० चौधरी : इसको बन्द कर दीजिए फिर ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जोधपुर स्टेट के समय से ले लिया गया था।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

ग्राम तेना, तहसील शेरगढ़ में पीने के पानी की कमी

२५४. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री सूरजमल)

(क) क्या शेरगढ़ तहसील के ग्राम तेना के आसपास की पिछड़ी हुई जाति के लोगों की ढाणियों में पीने के पानी की कमी है ?

(ख) उपरोक्त ढाणियों में सरकार द्वारा जल कष्ट को दूर करने के लिए क्या सुविधायें दी गई ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई, स्वायत्त शासन मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) जी हां।

(ख) ग्राम तेना तहसील शेरगढ़ में जल-कष्ट निवारणार्थ निम्न सहायता दी गई है :—

कुआ मरम्मत एक हजार।

खेल कोटा निर्माण हेतु एक हजार।

श्री सूरजमल : मैंने तेना की ढाणियों के बारे में पूछा है, तेना ग्राम का नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ढाणियां भी शामिल हैं।

श्री सूरजमल : वह गांव से सात–आठ मील दूर है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हो सकता है रेगिस्तान में जगह–जगह कुंए नहीं बनाए जा सकते। लोग दो-दो तीन-तीन मील से लाते हैं।

श्री परसराम : क्या जलकष्ट निवारण हेतु कूए खोदने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : योजना तो है पर रुपयों की जरूरत पड़ती है। इतने रुपये हैं नहीं।

श्री परसराम : रुपए नहीं तो फिर योजना कहां की और क्यों बनाई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस साल २० लाख तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के थ्रू बांटा गया है। इस कमेटी में माननीय सदस्य भी हैं। अत्र जहां आवश्यकता है वहां उनको दिलवाना चाहिए।

श्री भीमसेन : यह आबादी के आधार पर दिया गया है, न कि आवश्यकता के अनुसार, इस बास्ते बिल्कुल नाकाफी है वहां की जरूरत को देखते हुए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं है। हमने राजस्थान को तीन जोन्स में बांटा है इसके लिये। पहला जोन है जोधपुर-बीकानेर को मिला कर और सब से ज्यादा हिस्सा इसको दिया है। तो इस तरह आवश्यकता के अनुसार ही दिया गया है।

श्री परशुराम : जिस तरह से आप पैसा दे रहे हैं और जो वहां की आवश्यकता है उस हिसाब से तो दो सौ वर्षों में भी यह समस्या हल होने वाली नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं है। पहली योजना में हमने १। करोड़ रुपया इसमें खर्च किया, दूसरी योजना में २॥ करोड़ रखा गया है। इस साल २० लाख रुपया हमने इस काम में दिया है। बहुत सी जगह इससे फायदा उठाया गया है।

श्री भीमसेन : बीकानेर जिले को ६१ हजार रुपया दिया गया है और यह आबादी के आधार पर दिया गया है। वहां की आवश्यकता को देखते हुए नहीं के बराबर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जोधपुर-बीकानेर के इस डेजर्ट एरिया

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

को औरों से चौगुना दिया है। अब जोधपुर और बीकानेर में हो सकता है, आबादी के हिसाब से इसको बांटा गया हो। यह दूसरी बात है।

श्री भीमसेन : ये जोन कब बनाये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २० लाख की सेंक्शन देने के वक्त।

श्री भीमसेन : कौनसी तारीख ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख तो मेरे पास इस समय नहीं है। पर इसी साल के ऑर्डर हैं ये। जोधपुर और बीकानेर दोनों डेजर्ट एरिया में हैं और इनको सबसे अधिक दिया गया है इसके सारे फीगर्स किसको कितना कितना किस हिसाब से दिया गया है, यह आप जानना चाहेंगे तो मैं बाद में दे दूंगा। हमने डेज़र्ट एरिया को चौगुना दिया है।

श्री भीमसेन : यह बिलकुल गलत है। यह ६१ हजार आबादी के आधार पर दिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैंने कहा न कि जोधपुर बीकानेर में आपस में बांटते वक्त ऐसा सम्भव हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : चौगुना देने के बाद भी ६१ हजार मिलता है, तो कैसा हिसाब है? यह कैसे सम्भव हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो अलग सवाल करिये। डेफिनिट फीगर्स मालूम करके ही मैं जवाब दे सकता हूँ।

श्री सूरजमल : क्या यह सही नहीं है कि उस डाणी के लोग पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के हैं, इस वजह से उनको पीने के पानी की सहूलियत नहीं दी जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी यह सब काम करती है जिसके आप भी सदस्य हैं। गवर्नमेन्ट से सम्बन्ध नहीं है इसका।

प्रश्न संख्या ४५५

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

गुडा एन्दला गांव की नदी के तट बन्धन का काम

४५६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

गांव गुडा एन्दला तहसील पाली की नदी के तट बन्धन का काम कब तक शुरू कर दिया जावेगा तथा उक्त कार्य कब तक समाप्त होने की सम्भावना है।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) इसके सर्वेक्षण का कार्य जारी है। योजना तैयार होकर मन्जूर होने में करीब एक वर्ष लगेगा और उसके बाद उसकी समाप्ति में करीब दो वर्ष लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

मित्र सहकारी समिति सलूम्बर

४५७. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा): क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.17

(श्री लक्ष्मण हीरात)

(क) मन्त्री, मित्र सहकारी समिति, सलूम्बर को कुल कितनी कीमत का अनाज किन किन शर्तों पर दिया गया ?

(ख) अनाज की कीमत में से कितनी रकम आ चुकी है और कितनी रकम लेना बकाया है।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास, रसद मन्त्री की अनुपस्थिति में): अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से है, इसलिये वित्त मन्त्री अपनी टर्न में इसका जवाब देंगे ।

प्रश्न संख्या ४५८

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह

गलवानियां बांध, तहसील उनियारा में ट्रेक्टर से मृत्यु

४२३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तारीख १९-६-५८ को गलवानियां बांध, तहसील उनियारा में ट्रेक्टर से किसी की मृत्यु हो गई थी ?

(ख) अगर हां, तो कैसे और उस बांध का सुपरविज़न किस ऑफिसर का था ?

(ग) जिस दिन यह 'दुर्घटना घटित हुई उस समय उक्त ऑफिसर क्या बांध पर था या कहीं बाहर गया हुआ था ? अगर बाहर गया था, तो कहां ?

(घ) जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके परिवार को सरकार ने क्या क्या सहायता दी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां ।

(ख) चालू ट्रैक्टर के उलटने से चलाने वाले ड्राइवर की नीचे दबकर मृत्यु हुई । बांध के काम का सुपरविज़न सिंचाई विभाग के मातहत एस० डी० ओ० माइनर इर्रिगेशन वर्क्स, टौंक के अधीन है ।

(ग) दुर्घटना के दिन उक्त ऑफिसर टौंक में अपने हैड क्वार्टर पर थे ।

(ग) कोई नहीं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो फिर उसको क्यों नहीं सहायता दी गई ? ड्यूटी में मरा है बेचारा ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकारी ड्यूटी पर नहीं था ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो फिर किसकी ड्यूटी पर था ? अपना प्राइवेट तालाब बांध रहा था क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह काम ठेकेदार को दिया हुआ था, वह ठेकेदार का ही नौकर था ।

देवली म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव

४२५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील देवली की म्यूनिसिपल कमेटी की अवधि खत्म हो चुकी है ?

Page No.18

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(२) अगर हां, तो क्या उसका चुनाव करा दिया है ? अगर नहीं, तो अब तक नहीं कराने का क्या कारण है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई, स्वायत्त शासन मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। चुनाव कराने के सम्बन्ध में जिलाधीश टौंक ने चुनाव नियमों में कतिपय संशोधन कराना चाहा है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। चुनाव नियमों में संशोधन होने पर चुनाव सम्पन्न हो सकेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या म्यूनिसिपैलिटियों के आम चुनाव संशोधनों के बाद में होंगे या देवली के खास चुनाव के लिए ही वह खास संशोधन किया जा रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : देवली खास का है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसमें क्या अड़चन आ रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : देवली पहले अजमेर में था। वहां पर नियम अलग थे और अब राजस्थान में आ गया है तो संशोधन करना पड़ा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजस्थान के उसमें ५ गांव मिले हैं। अब तो वहां पर राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट लागू हो जायगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह किस्सा एक ही गांव का है, लेकिन एक के लिए भी नियमों में संशोधन करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर पॉवर हाउस के कोयलों के स्टॉक में आग

४२६. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या विद्युत् मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि इस वर्ष बीकानेर पॉवर हाउस के कोयलों के स्टॉक में आग लग गई थी ? अगर हां, तो उसके क्या कारण थे तथा उससे कितना नुकसान हुआ ?

विद्युत् मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : हां, अधिक गर्मी पड़ना ही उसका कारण था। उसमें १६३३.५३)रु० ही खर्चा हुआ। कोयले का कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री भीमसेन : अगर अधिक गर्मी के कारण आग लग गई तो इस साल कितना टेम्प्रेचर था हाइएस्ट ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं बता सकता इस वक्त कि कितना था ?

श्री भीमसेन : आपको हाइएस्ट टेम्प्रेचर मालूम नहीं है, तो कैसे बताया कि अधिक गर्मी थी, जिसके कारण आग लग गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो मेरे पास सूचना आई है, उसके आधार पर।

श्री पी० के० चौधरी : आपने मान लिया जो कुछ ऑफिसर ने लिख दिया उसको ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, मुझे मानना चाहिए।

श्री भीमसेन : इस साल के अलावा

(श्री भीमसेन)

और साल भी ज्यादा टेम्प्रेचर रहा, लेकिन और सालों कोयले में आग नहीं लगी ।

श्री रामकिशोर व्यास : आप और वजुहात बतायेंगे तो उसकी तहकीकात की जा सकती है, आप बतावें ।

श्री भीमसेन : इतना टेम्प्रेचर तो करीब-करीब हर साल रहता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, इस साल ज्यादा था ।

श्री रामचन्द्र : जहां आग लगी है उस कमरे में इग्नीशन पॉइन्ट क्या था ?

श्री रामकिशोर व्यास : कमरे में कोयले नहीं थे, मैदान में पड़े हुए थे ।

श्री रामचन्द्र : तो वहां का इग्नीशन पॉइन्ट क्या था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह मई का महीना था ।

श्री रामचन्द्र : मैं टेम्प्रेचर मालूम करना चाहता हूँ । आप इग्नीशन पॉइन्ट बताने की कृपा करें ताकि मालूम हो सके कि वहां पर आग गर्मी के कारण लगने की सम्भावना थी या नहीं ।

श्री रामकिशोर व्यास : वहां के इन्जीनियर्स की राय है कि कोयले में आग गर्मी की वजह से लगी है ।

श्री भीमसेन : वे कौन इन्जीनियर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको यह मालूम है कि जंगलों में भी गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जंगलों में भी आग लग जाती है और जंगल के जंगल जल जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : प्रश्न संख्या ४२७ ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि......

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order !! Next question has been taken up.

जयपुर शहर में बालकों के मनोरंजन के लिए सुरक्षित स्थान

४२७ रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने जनता और बालकों के मनोरंजन के लिए जयपुर शहर के प्रत्येक दरवाजे या चौराहे पर स्थान सुरक्षित कर रखे हैं ?

(२) अगर हां, तो कहां-कहां ?

(३) अगर नहीं, तो क्या सरकार ऐसे स्थान सुरक्षित करने का विचार रखती है ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई, स्वायत्त शासन मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां ।

(२) अजमेरी दरवाजा, सांगानेरी दरवाजा, दरवाज़ा जोरावरसिंह, कोतवाली चौपड़, माणक चौक चौपड़ व रामगंज ।

इनके अतिरिक्त निम्न स्थानों पर क्रीड़ा-स्थल हैं :

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

१. रास्ता मुन्शी जयलाल जी,

२. गन्दा नाला, नई मोरी।

३. महावीर पार्क।

४. चौराहा हकीम मार्टिन।

५. रामलीला मैदान।

६. गर्ल्स चांद वीविंग स्कूल।

७. म्युज़ियम के पास।

८. आदर्शनगर, सिन्धी कोलोनी।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चांदपोल दरवाजे के पास में मनोरंजन का कौन सा स्थान है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चांदपोल दरवाजे के पास में नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या वहां सिवाय श्मशान घाट के और कुछ नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने अर्ज किया कि वहां पर कुछ नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चांदपोल, आमेर गेट व सूरजपोल में क्या है? कुछ शुरू नहीं किया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने उत्तर में निवेदन किया कि वहां पर नहीं हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब बनवाने की कोई योजना है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ट्रेक्टर्स

४२८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार के पास इस समय कितने ट्रेक्टर्स हैं और उनसे क्या क्या काम लिया जाता है?

(२) क्या इन ट्रेक्टरों से, ग्रामों में मेड़ बनाने और खेतों में कांस तोड़ने का भी काम लिया जाता है? अगर हां, तो अब तक कहां-कहां उपयोग में लाये गये तथा कैसी कामयाबी हुई।

उप-कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) इस समय कृषि विभाग के पास १० ट्रेक्टर हैं। वे भूमि को समतल करने व जुताई आदि के प्रयोग में लाये जाते हैं।

(२) इन ट्रेक्टरों से ग्रामों में मेड़ बनाने तथा खेतों में कांस तोड़ने का काम नहीं लिया जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरकार द्वारा अलग से इसके लिए इन्तजाम करने के लिए सोचा जा रहा है क्या?

श्री दौलतराम सारण : इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

मर्दाना अस्पताल, बीकानेर।

४२९. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री भीमसेन)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान बनने के बाद बीकानेर के मर्दाना अस्पताल के सामने भवन में स्थित वार्ड को हटाया गया तथा अब उसमें क्या कोई सरकारी दफ्तर है ? यदि हां, तो उक्त भवन में कुल कितनी रोग शैयाएं थीं ?

(२) क्या अस्पताल का टेलीफोन एक्सचेन्ज हटाया जाकर वहां के टेलीफोन्स की संख्या कम कर दी गई ?

(३) उपरोक्त सुविधाओं को पुनः दिये जाने हेतु सरकार कब तक व क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (१) जी हां, उसमें २६ रोगशैयाएं थीं।

(२) जी हां

(३) रोगशैयाएं केवल उस भवन में से हटाकर बीकानेर अस्पताल में लगा दी गई हैं। शैयाओं की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। इसलिये यह सुविधा पुनः चालू करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सन् १६५१ में रेशनेलाइजेशन स्कीम ऑफ टेलीफोन के अन्तर्गत अस्पताल का टेलीफोन एक्सचेन्ज हटा दिया गया है तथा टेलीफोन की संख्या कम कर दी गई हैं।

श्री भीमसेन : इन वार्ड्स में किस प्रकार के रोगी रहा करते थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लम्बे अर्से में ठीक होने वाले रोगियों को वहां रखा जाता था।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि इस प्रकार के रोगियों के उपचार के लिए इस वक्त अस्पताल की मेन बिल्डिंग में कोई सुविधा नहीं है, और वहां के पी. एम. ओ. ने यह सिफारिश की है कि इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां अस्पताल में वह सुविधा है। उसके मुताबिक दी जाती है।

श्री भीमसेन : वहां पर लेप्रोसी के लिए इन्तज़ाम था और इस समय अस्पताल में इसके लिए कोई इन्तज़ाम नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि जो आदमी थे उनको वह सुविधा दे दी गई है, इसलिए सुविधा को हटाने के लिए सवाल पैदा नहीं होता है। वहां पर लेपर्स के लिए अलग सुविधा है। इसलिए यह सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री भीमसेन : क्या दुबारा बेड्स बनाने के लिए योजना है हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके ऊपर आज आपने ध्यान दिलाया है, तो विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष: रावराजा सरदारसिंह।

ट्रेन्ड ट्रैफिक पुलिस अफसरों का पोस्टिंग

४३०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस में ऐसे भी ऑफिसर हैं जो कि ट्रैफिक व सी. आई. डी. कार्य में विशेष ट्रेनिंग लेकर आये हैं, लेकिन उनका पोस्टिंग जिस ब्रान्च में वे

Page No.22

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

ट्रेनिंग लेकर आये हैं उसमें न होकर अन्य ब्रान्च में हुआ है ?

(२) अगर हां, तो किन आधारों पर ऐसा किया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कुछ अधिकारी जिन्होंने गुप्तचर कार्य की विशेष शिक्षा प्राप्त की है और गुप्तचर विभाग में नियुक्त नहीं हैं । ट्रेफिक की विशेष शिक्षा किसी अधिकारी को नहीं मिली है ।

(२) गुप्तचर की शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति व जो लोग पुलिस के गुप्तचर विभाग में काम कर रहे हैं, दोनों उसके लिए समान रूप से उपयोगी हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति ने गुप्तचर के कार्य की फोरिन से ट्रेनिंग ली है उन्हें वहीं न रख कर दूसरी जगह भेजा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक आदमी को एक जगह पर दो-तीन साल का एक्स-पीरियन्स हो जाने के बाद बदलना पड़ता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टेक्निकल-मैन को भी बाहर भेजते हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें "टेक्निकल" कुछ नहीं है । सिर्फ जानकारी उन्हें उस विषय की है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बहुत से ऑफिसर्स जो ट्रेफिक की शिक्षा प्राप्त करने आये हैं उनको ट्रेफिक में नहीं लगाया गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : ट्रेफिक के लिए किसी को ट्रेनिंग हेतु नहीं भेजा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास (अनुपस्थित)

बीकानेर शहर में जल-वितरण व्यवस्था

४३२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, जल बोर्ड विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सरकार ने बीकानेर शहर में जल-वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा होगा ?

(ब) उक्त योजना को कब से प्रारम्भ किया जायेगा तथा उसको सम्पूर्ण करने में कितना समय लगेगा ?

उप-मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (अ) जी हाँ, कुल ३७ लाख रुपया खर्च होने की संभावना है ।

(ब) प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है । कार्य सम्पूर्ण होने में कम से कम ३ या ४ साल लगेंगे ।

श्री भीमसेन : क्या योजना है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वाटर वर्क्स की है । कूए खुदवाये जायेंगे, टंकियां बनवाई जायंगीं और नई पाइप लाइन डाली जायगी ।

श्री पी० के० चौधरी : आप कितना गैलन पानी पर-हैड सप्लाई करेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : यह योजना हो

(श्री पी० के० चौधरी)

रही है तो योजना में पाइप लाइन डाली जायगी तो हम पाइप लाइन में इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि पर-हैड कितना पानी सप्लाई करेंगे, यह मालूम नहीं हो सका है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उन्होंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया। वे यह पूछते कि कितना गैलन पानी पर हैड दिया जायगा तो उसका जवाब दे देता।

श्री भीमसेन : मैंने पूरी योजना के बारे में पूछा था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, how can I give you the whole details ? It is not valid.

श्री पी. के. चौधरी : It is a valid supplementary, Sir.

श्री अध्यक्ष : No, it is not a valid supplementary. He is asking what is happening in the scheme. You cannot ask for the details of the plan here.

श्री पी० के० चौधरी: Sir, it is a valid question. He is asking simply as to how much water.............

श्री अध्यक्ष : I said, it is not a valid supplementary. It is ruled out.

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह

मछलियों का ठेका

४३३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में मछलियों का ठेका सिर्फ एनीमल हस्बेन्ड्री विभाग ही दे सकता है।

(२) अगर हां, तो क्या यह सही है कि ग्राम दूनी, तहसील देवली के दूनी के तालाब का ठेका पंचायत ग्राम दूनी ने दे दिया था ? अगर हां, तो कितने में और किसको ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत के बेजा ठेका दे देने के खिलाफ सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजे थे ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया और वह रकम किसके पास है ?

उप-कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) हाँ, ग्राम दूनी, तहसील देवली, के दूनी के तालाब का ठेका ग्राम पंचायत दूनी ने ८,३००) रु० में श्री अब्दुल अलीखा, नजर बाग, टौंक को दिया था।

(३) हां, सरकार ग्राम पंचायत से रकम जमा कराने हेतु कार्यवाही कर रही है और उसकी रकम पंचायत के पास है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या जो रकम पंचायत के पास है वह वहां के सरपंच ने अपने निजी काम के लिए खर्च कर दी है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह रकम पंचायत के पास में है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप अच्छी तरह से जानकारी करें कि वह पंचायत के पास है या सरपंच के पास।

Page No.24

श्री दौलतराम सारण : आप लिखकर देंगे तो करेंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लिखकर क्या, यहां पर कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री सज्जनसिंह ।

चम्बल योजना

४३५. श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : क्या मंत्री, कृषि विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि चम्बल योजना के फलस्वरूप कोटा डिविजन में मौजूदा फसलों का ढांचा बिल्कुल बदल जाने वाला है ?

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस सिंचाई साधन जनित परिवर्तित फसलों के ढांचे में उपयुक्त नई फसलों के बोये जाने बाबत क्या कार्यवाही की है ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि मौजूदा जुआर, अलसी, धनियां, तिल के बजाय वहां गन्ना, चावल व कपास बहुतायत से बोया जावेगा ?

(४) कोटा डिविजन की भूमि की किस्म को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने अभी से उपयुक्त फसलों का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिससे समय पर काश्तकार को उपयुक्त बीज के चुनने में असुविधा न हो ?

(५) क्या सरकार ने इसके लिए एक्सपेरीमेन्टल फार्म्स शुरू कर दिये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(६) क्या कोटा डिविजन के कृषक वर्ग में उपयुक्त नये बीजों को ग्रहण करने के लिए अभिरुचि पैदा करने के लिए सरकार ने कोई साधन सोचे हैं ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) अभी फसलों के उन्नत बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में दो कृषि क्षेत्र, कोटा एवं बूंदी में, स्थापित कर दिये गये हैं, । जिन पर कार्य आरम्भ हो चुका है । कोटा की भूमि एवं वहां के पानी का पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है । जिसके आधार पर कृषि क्षेत्रों पर प्रदर्शन चालू कर दिये गये हैं । सिंचाई होने पर इस क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने अभी से ही फसलों के विकास एवं उन्नति के लिए निम्न अधिकारियों के कार्यालय कोटा में स्थापित किये हैं :

(क) उप-संचालक, कृषि, (ख) गन्ना विकास अधिकारी, (ग) फल विकास अधि-कारी, (घ) सहायक कृषि केमिस्ट, (ङ.) सहायक प्लांट पैथोलोजिस्ट ।

इन कार्यालयों के इस क्षेत्र में होने के कारण कृषक वर्ग का निकट संपर्क हो सकेगा । इन अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में अभी से ही कार्य आरम्भ कर दिये हैं ।

(३) जी हां ।

(४) कोटा भूमि का पूर्ण रूप से परी-क्षण कर लिया गया है और भूमि की किस्म को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त बीज, जैसे गेहूँ, गन्ना आदि के विषय में सफलता भी

Page No.25

(श्री दौलतराम सारण)

प्राप्त कर ली गई है। कपास एवं धान की फसलों पर परीक्षण आरम्भ कर दिये गये हैं।

(५) जैसा कि उपरोक्त प्रश्न में लिखा गया है; गेहूँ, गन्ना, धान एवं कपास के उन्नतशील बीजों के लिए कोटा में स्थित दो कृषि क्षेत्रों और कपास के लिए बूंदी में स्थित कृषि क्षेत्र पर परीक्षण आरम्भ कर दिये हैं।

(६) कृषकों के खेतों पर उन्नत बीज, खाद एवं यंत्रों के प्रदर्शन किये जा रहे हैं। प्रगतिशील किसानों के ऐसे छोटे–छोटे संगठन जो स्वयं उन्नत कृषि में रुचि रखते हों और इसके साथ साथ अपने ज्ञान व साधनों से खाद्यान्न की उन्नति के भी इच्छुक होंगे, विभाग द्वारा उन्नत कृषि के लिए प्राविधिक व अन्य सहायता की जायगी। कृषकों को उन्नत कृषि विधियों को प्रचलित करने के लिए तथा वैज्ञानिक जानकारी सुलभ तरीकों से उन तक पहुँचाने के लिए सूचना प्रसार केन्द्र की स्थापना की जावेगी, जो श्रव्य एवं दृश्य साधनों द्वारा प्रचार व प्रसार के साथ साथ प्रयोग प्रदर्शन का प्रबन्ध भी करेगी।

श्री रामेश्वरदयाल : Has the Government taken any decision with regard to the crop pattern ?

उप मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : जी हां। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है।

श्री रामेश्वरदयाल : What decision the Government has taken ?

श्री दौलतराम सारण : सम्भावना यह है कि टेन्टेटिव क्रोप पर्सेन्टेज व्हीट ३० पर्सेन्ट, अदर सीरियल्स ५ पर्सेन्ट, पल्सेज़ १० पर्सेंट, ऑयल सीड्स १० पर्सेन्ट, शुगर केन १० पर्सेन्ट, कोटन १० पर्सेन्ट, वेजिटेबल्स ५ पर्सेन्ट और मिस्लेनियस ५ पर्सेन्ट।

श्री रामेश्वरदयाल : Were the experts consulted in this matter ?

श्री दौलतराम सारण : Yes.

श्री रामेश्वरदयाल : Who were consulted?

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना नहीं दे सकता।

श्री सज्जनसिंह : क्या उन्नत बीज का एक्सपेरिमेन्ट किया गया है कि यहां की भूमि के लिये ये उपयुक्त सिद्ध होंगे ?

श्री दौलतराम सारण : जैसा कि मैंने बतलाया, वहां की भूमि पर गेहूं और गन्ने पर प्रयोग किया गया है।

श्री सज्जनसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि आपने एक्सपेरीमेन्टल फार्म्स खोलने की सूचना दी है, उन्होंने अब तक क्या प्रयोग किया, किस प्रकार के बीज इस एरिया के लिये उपयुक्त साबित किये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : जो उन्नत क्वालिटी का गेहूं है सी ५९१, ३१. १, इसी तरह कपास में नरमा वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है और भूमि के मुताबिक प्रयोग काफी सफल हो रहा है।

श्री सज्जनसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि एक्सपेरीमेन्टल फार्म्स में सी ५९१ और नरमा आदि का जो एक्सपेरीमेन्ट किया है उससे किस नतीजे पर पहुँचे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : एक्सपेरीमेन्ट अभी जारी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री बृजेन्द्रपाल ।

मांड्रेल सड़क का निर्माण

४३६. **श्री होतीलाल** (श्री बृजेन्द्रपाल की अनुपस्थिति में) : Will the Minister fo Public Works be pleased to state :

(a) Is it a fact that the work on the Mandrail road is being unncessarily delayed by the Contracter ?

(b) Has any enquiry been made in this matter as to whether the work has been satisfactory and proper material used by the contractors ?

उप मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (a) Yesr.

(b) Yes.

श्री होतीलाल : इन्क्वायरी कब तक समाप्त होगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्क्वायरी खत्म हो चुकी है । १५००० रु० का उस पर जुर्माना हुआ और ३००० का काम डिफेक्टिव था, इसलिये यह रकम उसके बिल में से काटी गई और डिफेक्ट्स को ठीक करने का नोटिस दिया गया ।

श्री होतीलाल : क्या सरकार सोचती है कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्क्वायरी के परिणामस्वरूप जो सजा मिलनी चाहिये उसका भागी वह होगा ।

श्री होतीलाल : यह तो किसी पर्टिकुलर काम के लिये उसको सजा दे दी, लेकिन जैसा उसने अभी किया है वैसा ही काम आगे न करे; इसलिये उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिये क्या कदम उठाया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो कॉंट्रेक्टर गलतियें करता है या बदमाशी करता है, तो उसके जो कॉंसीक्वेन्सेज़ होते हैं वे इसके साथ भी होंगे ।

श्री होतीलाल : मेरा प्रश्न यह है कि आया इसको ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का इरादा सरकार का है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस बारे में इस वक्त नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री लालूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

झुंझुनू जिले को बिजली देने सम्बन्धी योजना

४४७. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू जिले को किस स्कीम के अन्तर्गत कब बिजली मिलने की सम्भावना है ?

(श्री शिवनाथसिंह)

(२) क्या वह सही है कि बिजली की इस योजना से झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी इलाके को वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि झुंझुनू जिले का उदयपुरवाटी इलाका बहुत की उपजाऊ है तथा पानी की सतह बहुत ऊंची है जिसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में बिजली सुलभ करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : झुंझुनू जिले को भाखरा नांगल योजना के अन्तर्गत राजगढ़ ग्रिड सब स्टेशन से सन् १९५९ के उत्तरार्ध में बिजली मिलने की सम्भावना है ।

(२) लोड सर्वे के आधार पर इस इलाके को अभी तक की स्कीम में सम्मिलित नहीं किया जा सका ।

(३) सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा लोड सर्वे किया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट आने पर इस प्रश्न पर फिर विचार किया जा सकेगा ।

श्री शिवनाथसिंह : क्या सरकार इसको यहां के लिये उपयोगी नहीं समझती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लोड सर्वे हो जाय, उसकी रिपोर्ट आ जाय, तब इस पर विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : डा० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

१२. म. प.

राजस्थान भू-राजस्व (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यु (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ ।

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी

श्री मोगजी : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था ।

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब दे दिया गया है, आपको स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

श्री मोगजी : उसका कोई जवाब नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : जवाब लिखित में भेजा है, आपने स्वीकार नहीं किया ।

श्री मोगजी : वह प्रस्ताव जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : वह जरूरी नहीं था, इसलिए स्वीकार नहीं किया ।

श्रीमोगजी : जहां मार-पीट.......

श्री अध्यक्ष : यह मार-पीट की घटना है । पुलिस द्वारा मार पीट की घटनाओं को लेकर सदन में स्थगन-प्रस्ताव आयेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री मोगजी : एक महीना हुआ, लोगों को पीट कर पुलिस छेड़-छाड़ कर रही है, उसके बारे में गवर्नमेंट का उत्तर होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर लेने के दूसरे तरीके हैं । आप शोर्ट नोटिस क्वेश्चन कीजिये तथा और तरह से गवर्नमेंट से पूछिये । अगर वे

(श्री अध्यक्ष)

रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक ठीक हुए तो स्वीकार करेंगे ।

राजस्थान भू-राजस्व (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

(पूर्वक्रम से पुरःस्थापन)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यु (छटा संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान भू-धारण (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८

(खंडशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक; माननीय राजस्व मंत्री उत्तर देंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट के सिलसिले में मैंने परसों सदन में यह अर्ज किया था कि राजस्थान कैनाल में जो जमीन आई है........

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान कैनाल नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान कैनाल कह दिया; राजस्थान केनाल एरिया में जो जमीन आई है, उसमें खातेदारी राइट्स १५ अक्टूबर, १९५५ के पहले एक्रयू नहीं हुआ है और जो काश्तकार उसके ऊपर खेती करता है, उसको बीकानेर टिनेन्सी लॉ के तहत कोई राइट्स एक्रयू नहीं होते हैं, सिवाय इसके कि वह टेम्प्रेरी कल्टीवेटर था । बीकानेर टिनेन्सी लॉ के अन्दर टेम्प्रेरी काश्तकार को एक्सक्लूड कर दिया था, उसके राइट्स एक्रयू नहीं होंगे, यदि बीकानेर टिनेन्सी लॉ के तहत १५ अक्टूबर १९५५ को कोई अधिकार हासिल नहीं थे । जैसा मैंने अर्ज किया था, जैसलमेर में कोई टिनेन्सी लॉ नहीं था, जिसके अनुसार राइट्स एक्रयू होते । १५ अक्टूबर, १९५५ को टिनेन्सी एक्ट जब फोर्स में आया, यह एक्ट जिस समय बनाया गया उसकी मन्शा यह थी कि जो मेजर प्रोजेक्ट एरिया है, उसमें जो जमीन है और जो इर्रिगेट होगी, उसके अन्दर किसी प्रकार के कोई राइट्स किसी काश्तकार को न दिये जायं । यही वजह है कि दफा १५ का जो प्रोविज़ो है उसके अन्दर चम्बल, जवाई, भाखरा, इन एरियाज़ को एक्सक्लूड किया गया है और उसके साथ ही साथ अधिकार दिये गये हैं सरकार को कि वह नोटिफिकेशन के जरिये से किसी भी एरिया को डिक्लेअर कर सकती है, जिसके ऊपर दफा १५ लागू नहीं होगी । मैंने अर्ज किया था कि १५ मई, १९५६ को एक नोटिफिकेशन के जरिये सरकार ने घोषणा की कि राजस्थान कैनाल एरिया को कोलोनी डिक्लेअर कर दिया है और उस कोलोनी को दफा १५ के ऑपरेशन से अलग कर दिया है । इसकी वजह थी कि टिनेन्सी एक्ट जिस समय बनाया गया, उस वक्त राजस्थान कैनाल स्कीम फाइनेलाइज़ नहीं हो सकी थी और जब राजस्थान कैनाल की स्कीम फाइनल हो गई तो सरकार की तरफ से यह डिक्लेअर कर दिया गया कि उस पर दफा १५ लागू नहीं होगी । किन्तु १५ अक्टूबर, १९५५

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और १० मई, १९५६ के दर्म्यान इस एरिया में जिन लोगों ने अधिकार जमीन पर हासिल कर लिये थे, जो कि इस टिनेन्सी एक्ट की मन्शा नहीं थी...

१२. ४. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेजिस्लेशन की मन्शा नहीं थी, वे अधिकार मिल गये हैं, तो उनको वापिस लिया जाय। यह सोच कर दफा १५ ए को एक्ट में इन्सर्ट किया गया, गुजिस्ता असेम्बली के अधिवेशन में दफा १५ ए इस कानून का पार्ट बनी और उसके जरिये किया कि राजस्थान केनाल में जो जमीन है उसमें किसी को खातेदारी राइट्स हासिल नहीं होंगे। मगर उस दफा १५ ए में कुछ गलती रह गई, जिसके कारण इन्टरप्रिटेशन में गलतफहमी होने का अन्देशा हुआ क्योंकि उसका मतलब निकाला गया कि १५ अक्टूबर, १९५५ या उसके बाद जमीन मिलती है तो उस पर अधिकार हासिल नहीं होंगे, इसलिये उस इन्टरप्रिटेशन में गलतफहमी को दूर करने के लिए अमेंडमेंट पेश किया है, जिसकी मन्शा सिर्फ यह है कि जो-टिनेन्सी एक्ट बना था और जो इसकी मन्शा थी, जिस समय टिनेन्सी एक्ट बना उस समय सरकार को अधिकार दिया था कि मेजर प्रोजेक्ट एरिया में खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे, इस मन्शा को पूरा करने के लिहाज से दफा १५ ए को इन्सर्ट किया गया और उसमें जो गलत फहमी हो गई उसको साफ करने के लिए अमेंडमेंट पेश किया गया है। इसका सिर्फ मतलब यह है कि जिन लोगों को आराजी काश्त के लिए जमीन दी गई है राजस्थान केनाल एरिया में, वह आराजी काश्तकार ही रहेंगे। 'आराजी काश्तकार' का मतलब यह नहीं है कि जो अधिकार पहले नहीं थे वे अब रहेंगे ? यह मन्शा नहीं है। माननीय सदस्यों का यह ख्याल था कि आराजी काश्तकार को राहत मिलेगी और जिन्होंने तकलीफ पाई उनको अधिकार मिलेगा। यह गलत है, स्थिति यह है कि जिनको पहले अधिकार नहीं था उनको आज भी नहीं है, न अधिकार देने की मन्शा थी। यह कहा जाय कि जिन काश्तकारों के पास आराजी काश्त की जमीन थी उनको १५ अक्टूबर, १९५५ को अधिकार मिल गये और वे कानून से वापिस नहीं ले सकते। मैं निवेदन करूं कि इसीलिए लेजिस्लेशन को लाने की जरूरत पड़ी, नहीं तो सिर्फ नोटिफिकेशन के जरिये से दफा १५ को एक्सक्लूड किया जा सकता था, नोटिफिकेशन १० मई, १९५६ को निकाला गया। मगर कानून में प्रोविजन नहीं रखते हैं तो नोटिफिकेशन के जरिये से, १५ अक्टूबर, १९५५ को, जिनको अधिकार मिल गये, उनसे वापिस नहीं ले सकते, इसलिए कानून में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता मालूम हुई। जैसलमैर में जिस समय समेरी सेटलमेंट हुआ उस समय बहुत से लोगों ने जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली, खास तौर से वहां जहां राजस्थान केनाल आने वाली है। आप देखेंगे कि एक तरफ करोड़ों रुपयों से प्रोजेक्ट बनेगा और उसके बाद उस एरिया में काफी लैंडलेस टिनेन्ट्स को बसाने की एक बहुत भारी स्कीम थी। जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि इतने बड़े एरिया में, इतनी बड़ी जमीन के ऊपर राजस्थान केनाल का पानी आयेगा और वहां लाखों काश्तकारों को बसाने की योजना है और उनको वहां बसाया जायगा। अगर उस एरिया में पाबन्दी नहीं लगायें और लोगों को खातेदारी राइट्स प्राप्त होते

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं तो भूमिहीन किसान हैं राजस्थान में जिनको जमीन नहीं मिल रही है। जमीन की कमी होने की वजह से, सीलिंग इम्पोज़ होने के बाद भी भूमिहीन रह जायेंगे, वह योजना फ्रस्ट्रेट हो जायगी। ऐसे लोग, जिनके पास हजारों और सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक बन जायेंगे और जहां सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होगा, उसके लिए जो प्रीमियम और बेटरमेंट लेवी मिलनी चाहिए उससे सरकार को महरूम रहना पड़ेगा। इस वजह से दफा १५ से ऐसे एरियाज़ को एक्सक्लूड किया गया है, इसी वजह से सदन के सामने संशोधन बिल पेश किया है। यह बिल कोई नया नहीं है, ऐसा कानून ऑलरेडी बन चुका है और इस सिद्धान्त को मान लिया गया है कि राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर खातेदारी राइट्स प्राप्त नहीं होंगे, मगर उसकी फ्रेज्योलोजी में गलतफहमी होने का अन्देशा है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, इन्टरप्रिटेशन में गलती नहीं हो और जो मन्शा सरकार की है कि राजस्थान केनाल में खातेदारी राइटस न मिलें, वह मन्शा सही मायने में इन्टरप्रेट हो, और सही मायने में समझा जाय, इस मन्शा से यह संशोधन विधेयक पेश किया है। इसलिए किसी काश्तकार को हकों से महरूम करने का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने अर्ज किया कि बीकानेर के टिनेन्सी लॉ में ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होता था और अगर किसी काश्तकार का ख्याल है कि कि उसे ऑक्युपेन्सी राइट्स मिल गये थे, तो जैसा कि चतुर्थ संशोधन सदन के सामने आने वाला है उसके अनुसार राइट्स को डिक्लेअर कराने के लिए सूट फाइल कर सकता है और डिक्लेअर करवा सकता है अधिकार को। सरकार के पास जो रिकॉर्ड है, उसमें किसी के ऑक्युपेन्सी राइट्स नहीं हैं क्योंकि बीकानेर टिनेन्सी लॉ के अनुसार ऑक्युपेन्सी राइट्स के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता था। अगर किसी ने अधिकार प्राप्त किया है तो वह राइट डिक्लेअर करा सकता है कॉम्पीटेन्ट कोर्ट में। अगर गांव का कोई आदमी समझता है कि कोई हक उसको हासिल हो गये हैं और उसके हकूक रहने चाहिए तो कानून में हमने अधिकार दिया है कि डिक्लेरेशन करवाकर अपने अधिकार कोसुरक्षित रख सकता है. और जब अधिकार थे नहीं तो आराजी काश्तकार आराजी रहेगा और जमीन का बंटवारा भूमिहीन किसानों को तरजीह देकर कर दिया जायगा; जैसे आज भाखरा एरिया में भूमिहीन किसानों को जमीन अलॉट करने में प्राथमिकता दी गई है उसी के अनुसार यहां प्राथमिकता दी जायगी और काश्तकार के हक और प्रायोरिटी को ध्यान में रखा जायगा। मैं इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन करूं कि चार माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं उनमें से दो माननीय सदस्य रिप्लाई के अधिकार को अपनायें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) **:** जिन्होंने प्रस्ताव रखे हैं वे जवाब देंगे।

श्री तनसिंह (बाडमेर) **:** जिन्होंने प्रस्ताव रखे हैं वे जवाब देंगे। माननीय उपाध्यक्ष...

श्री उपाध्यक्ष : मैं साफ करदूं कि जहां तक एक हो आधार के प्रस्तावों का सम्बन्ध है, वहां वे ही पॉइन्ट्स दोहराये जायेंगे। इसलिए उपयुक्त

(श्री उपाध्यक्ष)

यह होगा कि अधिक से अधिक दो माननीय सदस्य इस अधिकार का उपयोग करें।

श्री भैरोंसिह : दो ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चार हैं, श्री गिरधारीलाल, श्री मोहरसिंह, श्री तनसिंह और श्री भैरोंसिंह।

श्री तनसिंह : एक मूव नहीं हुआ है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे यह निवेदन करना है कि प्रथम सदस्य ने प्रस्ताव मूव किया था और एक ही प्रस्ताव मूव्ड समझा जायगा, बाकी माननीय सदस्यों ने सपोर्ट किया है। इसलिए पहले वाले माननीय सदस्य ही रिप्लाई दे सकते हैं।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, कोई सदस्य अपना प्रस्ताव वापिस ले सकते हैं, किसी प्रस्ताव को किसी लाइट में कोई ले सकता है। मेरा प्रस्ताव इससे भिन्न था इसका अलग मकसद था, लेकिन इसमें मिला दिया गया। मैं समझता हूँ कि मैंने प्रस्ताव रखा है और जिनने रखा है उन सबको इस प्रस्ताव पर बोल लेने दें। हम कोशिश करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि जितना संक्षिप्त भाषण हो सकता है उतना संक्षिप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर स्ट्रिक्ट एटीट्यूड नहीं लेना चाहता। उपयुक्त होगा कि चारों माननीय सदस्य समझौता कर लें और दो माननीय सदस्य बोलें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया है उन्होंने यह प्रयास किया है कि उन्होंने उन लोगों के हकूक छीनने की कोशिश नहीं की है, जिन्होंने १९५५ में हकूक ले लिये थे। मैंने जब प्रारम्भ में मोशन मूव किया उस समय मैंने प्रवचन में बात कही थी। माननीय उपाध्यक्ष, हम इस बात को सोचते हैं कि जो कुछ हम कहें, किसी ढंग से कहें, उस बात को मिनिस्टर साहब सुनते नहीं हैं; सुनते हैं, तो जवाब नहीं देते हैं, और जवाब देते हैं तो जान-बूझ कर टालने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे गौर से देखें कि जिस तरह मैं समझ पाया हूँ उसके मुताबिक यह है कि दफा १५ जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की है, उसके मुताबिक खातेदारी हकूक मिलने हैं। १५ ए दफा में एक अपवाद है कि खातेदारी अधिकार केनाल एरिया में नहीं मिलेंगे। पहले कानून के मुताबिक यह था कि इस कानून के पास होने के अथवा अक्टूबर ५५ के बाद जिन्होंने जमीन ली है, उन लोगों को हकूक नहीं मिलेंगे। अब माननीय मंत्री महोदय यह फर्माते हैं कि इससे पहले भी जिनको हमेशा के लिए काश्त करने के लिए भूमि नहीं दी गई थी, टेम्पोरेरी जिनको काश्त करने के लिए जमीनें दी थीं उन्हीं से हमारी यहां मंशा है।

स्टेटमेंट ऑफ रीज़न्स एण्ड ओब्जेक्ट्स में यह देखते हैं, पर मैंने निवेदन किया कि यह चीज़ रीज़न्स एण्ड ओब्जेक्ट्स के खिलाफ जाती है, १६ ए० का संशोधन होने से पूर्ण रूप से उनके लिये अपवाद हो जाता है कि केनाल एरिया में चालीस-चालीस, पचास-पचास साल से पहले के ही नहीं बल्कि १००साल पहले के भी जो हैं उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। अगर इसके विपरीत कोई चीज़ हो तो मंत्री महोदय बतला दें।

एक तो आर्गुमेंट देते हैं कि टेम्प्रेरी

Page No.32

(श्री तनसिंह)

काश्त करते हैं, उनके हकूक लेना चाहते हैं; पर इस संशोधन से यह सिद्ध होता है कि १०० साल से कोई काश्त करता है तो भी उसके खातेदारी राइट्स उस जमीन पर नहीं रहेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : On a point of information, Sir, what I said is this that all those people who have been cultivating land prior to 15-10-55 in this Canal area, they were only temorary tenants and they had only temporary Tenancy rights. They had no permanent rights and we are not taking any rights. Consequently, we have made provision in the 4th Amendment that in case any claims of permanent rights in these lands are made they will have to obtain a declaration from a court. I never said that we are taking permanent rights. We are only taking temporary rights and there are no permanent rights at all.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय एक आर्ग्युमेंट देकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं तो दूसरी बार उसी पोइन्ट से अपने पक्ष का खण्डन करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो मन्त्री महोदय को मालूम नहीं है अच्छी तरह से जो यह रखते हैं; या तो ये मानते हैं कि सारे के सारे टेम्प्रेरी काश्तकार थे तो उनको आवश्यकता नहीं रहती कि दरख्वास्त देकर अपने पर्मानेन्ट राइट्स करायें।

माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि आज से १०० साल पहले दिया हुआ था तो वह टेम्प्रेरी था। मेरा कहना है कि १०० साल पहले से काश्त करता है तो उसके हकूक लेना चाहते हैं क्योंकि उसे टेम्प्रेरी काश्त के लिये दिया था। ऐसी अवस्था में मैं चाहता हूं कि ३०-४० साल पहले लिये हुए खेतों के ऊपर भी खातेदारी हक नहीं तो हमें ऐसा कानून बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वहां उसने मकान बनाया होगा और अन्य प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स किये होंगे, उनका कम्पेन्सेशन देने की क्या व्यवस्था की है; गुड फेथ में उन्होंने उन खेतों में काश्त की है और इम्प्रूवमेंट किये हैं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपमें और राजाओं में क्या अन्तर होगा, आप जमीन देने के बाद भी अपने पास रख लेना चाहते हैं। आपने एक बार राजाओं और जागीरदारों के खिलाफ बोल कर तहलका मचा दिया कि उनसे जमीनें लेना चाहते हैं और किसानों को देना चाहते हैं, पर अब उनको जमीनें देकर सारी जमीनें अपने पास रखना चाहते हैं तो इससे तो साबित होता है कि आप उपदेश देने में कुशल हैं पर जहां अपना मतलब आता है, अपनी कार्य-सिद्धि करानी होती है तो येन-केन प्रकारेण दूसरा सिद्धान्त रख कर अपना मतलब बिठाना चाहते हैं। आपकी हमेशा एक ही नीति रहनी चाहिये, चाहे वह जागीर का रहने वाला किसान है या खालसे का रहने वाला किसान है। पर यह दलील देना कि टेम्प्रेरी काश्त करने वालों की जमीन ले रहे हैं, यह बड़ा ही मुगालता देने वाला आर्ग्युमेंट है और गलत धारणा पैदा करने वाला है। कहते हैं कि हमने हक ही नहीं दिये थे। १९५५ में आपने हक दिये हैं और ५८ में तीन साल बाद नींद से जग कर कहते हैं कि १०० साल पुरानी भी जमीन दी हुई है तो उनके हक को लेना

(श्री तनसिंह)

चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इस जमीन को लेकर रखना क्यों चाहती है, क्या करेंगे इतनी जमीन का? एक आर्ग्युमेंट, पिछली बार अधूरा भाषण मन्त्री महोदय ने दिया था तो कहा था कि बहुत से लोगों ने फर्जी पट्टे बना कर जमीनें रख ली हैं। फर्जी पट्टे बनाये हैं, जागीरदार फर्जी पट्टे बना लेते हैं तो उन पर आप हावी होने को तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि आपके अधिकारियों के सामने कैसे फर्जी पट्टे बना लिये, पर उन पर आपका कोई बस नहीं चलता। बस चलता है उन गरीब लोगों पर जिन्होंने पट्टों के अनुसार काश्त कर ली। हमने उनको उन जमीनों पर राइट्स नहीं दिये हैं, यह दलील बहुत पुरानी है, यह आर्ग्युमेंट पुराना है, इसके आधार पर आप उन लोगों के हक को नहीं छीन सकते, जिन्होंने गुड फैथ में उस जमीन पर अपना हक समझ कर काश्त की है, गेहूँ के साथ घुन भी पीसे जायं, यह तो अन्याय है। अगर किसी एक व्यक्ति ने फर्जी पट्टा बनाया है तो उसके विरुद्ध कानून बनाना चाहिये, उसी को सजा दी जानी चाहिये। यह नहीं की एक गांव में एक आदमी ने एक गुनाह किया है तो उस सारे के सारे गांव को फांसी पर चढ़ा दें। तो यह जो दलील इसके लिये दी गई वह दलील लंगड़ी है। कहा गया कि चौथा अमेंडमेंट अलग रखना चाहते हैं, इसको अलग क्यों रख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था पीसमील लेजिस्लेशन क्यों करते हैं, तीसरे में चौथे में अमेंडमेंट किया, इससे पहले, चार-छः महीने पहले १५ ए० को इन्सर्ट किया है, यह तरीका गलत है, सिलेक्ट कमेटी में भेजने का तरीका यहां हो सकता है ताकि इनका सही स्वरूप हमारे सामने आवे। पहले तो पास करते हैं कि ५७ में आरजी तौर पर जिसकी काश्त थी उसको उस जमीन पर हकूक नहीं दे रहे हैं। फिर चौथे में कहते हैं कि हकूक सिद्ध कराने के लिये दरख्वास्त दे सकता है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जिन्होंने बीस-चालीस साल से काश्त किया है, उन्हें कानून बनाकर हक देते हैं तो उन्हें इस हक को अदालत में एप्रूव कराने की क्यों आवश्यकता होनी चाहिये, क्या जरूरत है कि अदालत में २५ नये पैसे का टिकट लगाकर दरख्वास्त दे, अदालत को फीस देकर अपने हक एप्रूव कराये जब कि आपने कानून पास करके उसको हक दिया है कि उसको उस जमीन पर पूरे हक हैं। एक बार जमीन देते हैं तो, चाहे वह प्लानिंग कमीशन के द्वारा, चाहे कानून के द्वारा, वह हक मंजूर कर लिया गया है, एक बार देते हैं तो उस व्यक्ति को एप्रूव कराने के लिये अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये। हां, किसी प्रकार का उस जमीन के बारे में डिस्प्यूट हो उसी सूरत में अदालत में जाने की आवश्यकता होनी चाहिये। कानून द्वारा उसके उस जमीन पर हक मंजूर करने के बाद इस तरह अदालत से हक एप्रूव कराने का रखेंगे तो इससे भ्रष्टचार बढ़ेगा और यह तो महज लोगों को तंग करना होगा। पर न मालूम मन्त्री महोदय किस धुन में जा रहे हैं, कानून के उपर कानून बनाने में लगे हैं, वे देखते हैं कि जल्दी जल्दी कानून बनाऊंगा, एक ही सैक्शन के तीन खण्ड करके कानून बनाऊंगा तो उनकी उतनी ही प्रशंसा होगी। पर मैं मन्त्री महोदय को आपके मार्फत बता देना चाहता हूं कि आपकी प्रशंसा अधिकाधिक कानूनों के वोल्यूम्स को देखकर नहीं हो सकती, आपकी नीति को देखकर ही प्रशंसा हो सकती है; पर वह आपकी नीति एक नहीं है। ५५

(श्री तनसिंह)

में एक कानून पास किया, ५६ में बदलकर उसमें और ही कानून पास कर दिया और ५८ में और ही कुछ पास कर दिया, आज साढ़े बारह बजे एक चीज आप पास कर रहे हैं कि जमीन पर गोदी हक नहीं दिये जायं। पर आज कुछ ही घंटों बाद आपकी नीति बदल जायगी और कहेंगे कि जिनके हकूक पलट गये हैं, फिर अपने हकूक सिद्ध कराने के लिये दर्ख्वास्त करें। तो यह इस प्रकार की नीति है, जो न तो नियमित है और न इस प्रकार की नीति की प्रशंसा की जा सकती है। इस तरह से पीस मील (Piece meal) लेजिस्लेशन हमारे सामने लाकर हम लोगों पर सत्तारूढ़ दल जो मेजोरिटी में है इस प्रकार के कानून बनाना चाहता है जिसे हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मगर फिर भी अगर वे ऐसा कानून बनाते हैं तो उनको इस प्रकार का कानून बनाने की छूट है, वह किसी भी प्रकार का कानून बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चाहे वह कानून गलत हो या सही हो। लेकिन सत्य और असत्य की कीमत उनको ही चुकानी होगी। इसके लिये भले ही माननीय मंत्री महोदय बेधड़क कह सकते हैं कि कोई परवाह नहीं, चुका देंगे; उनको अकेलों को तो चुकानी नहीं पड़ेगी, मगर उनकी पार्टी को ही चुकानी होगी। अगर वे ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी की कोस्ट पर वे ऐसा कर सकते है, मगर देश के स्वार्थ को छोड़ कर और पब्लिक के हितों को छोड़कर ऐसा नहीं कर सकते, उनको पब्लिक के हित व देश के हितों व देश के हितों को ध्यान में रखना ही होगा। इस प्रकार के कानून बनाने से पार्टी को बहुत बड़ा धक्का ही नहीं लगेगा, बल्कि किसानों को धक्का लगेगा और वे जमीन पर किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। इससे जमीन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकेगा। अनाज कम पैदा होगा और इस प्रकार को लॉलेसनेस की स्थिति होगी, जिसका हम अन्दाज नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में मेरे सामने कोई कारण नहीं कि मैं अपना प्रस्ताव वापिस ले लूं। अत: मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि सब एकमत से इसको पास करावें।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने संशोधन के रूप में प्रस्ताव रखा था कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे उसके उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने जो दलीलें पेश कीं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। वास्तव में एक अमेन्डमेंट में कुछ कानून और दूसरे में कुछ कानून हो जाते हैं। गवर्नमेंट की असली मंशा काश्तकारों को स्थायी कब्जा देने की है और उसके लिये सरकार कहती है कि सरकार किसानों के हित के लिये कानून बनाती है और जमीन काश्तकारों को देने की बात करती है और दूसरी तरफ किसानों को खातेदारी के हकूक नहीं देना चाहती और खातेदारी राइट्स से उनको महरूम रखते हैं। इसके अलावा तीसरे अमेन्डमेंट में, राजाओं के जमाने में जो खातेदारी राइटस काश्तकारों को मिले हुए हैं वे भी सरकार ने इसके जरिये से छीन लिये हैं इस लिये कि किसान भोले हैं और उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया जाता है। किसानों के भोलेपन का फायदा उठाया नहीं जावे। तीसरा अमेन्डमेंट आया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि हमने १० मई को एक सर्क्युलर निकाला कि नहरी इलाकों में राजस्थान केनाल में जो जमीन आवेगी उसको खातेदारी हक नहीं देंगे। मैं यह कहूंगा कि १५ अक्टूबर १९५५ को राजस्थान में काश्तकारी कानन

(श्री मोहरसिंह)

बना था उसमें यह एरिया नहीं होगा। उस क्लॉज १५ की तहत में अगर उन लोगों को हक़ मिलेंगे और अगर मिल गये तो क्या सरकार उनसे वापिस छीन लेगी। वास्तव में देखा जाए तो यह गवर्नमेंट की मंशा के खिलाफ़ जाता है।

सरकार एक तरफ़ कुछ कहती है और दूसरी तरफ़ कुछ। भाखरा और जवाई बांध में जो जमीन काश्तकारों को दी जा रही है वहां पर खातेदारी हक़ूक नहीं दे रही है इसलिये राजस्थान केनाल में रहने वाले किसानों को भी इस प्रकार के खातेदारी राइट्स नहीं दिये जाने चाहिये और वही कानून वहां भी लागू करना चाहिये। इसके अलावा दलील यह भी दी जाती है कि खर्चा इसमें बहुत लगेगा। उस खर्चे के रुपये कहां से लावे और इसलिये नहर की कीमत के पैसे चुका कर अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहती है जो उसको खुद को करना चाहिये वह काश्तकारों पर लादना चाहती है। मैंने पहले ही बता दिया है कि यह जो तरीका सरकार अपना रही है वह कोई सही तरीका नहीं है। भाखरा और दूसरी नहरों में जो जमीनें दी गई हैं उसके भुक्तभोगी हम हैं। किसानों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया गया, यह हम जानते है। आज से पहले राजाओं के जमाने में भी जो व्यक्ति जमीन पर २० साल से काश्त करता था उससे जमीन नहीं छीनी जाती थी और उसको खातेदारी राइट्स दिये जाते थे। मगर आज किसान भाखरा में ४० या ४५ साल से जमीन बोते आ रहे हैं, किसी को ४० साल हो गये, किसी को ४५ हो गये; उनको आप खातेदारी नहीं देना चाहते। आज क्या हो रहा है, उस चीज़ को हम फील्ड में जाकर देखें। मैंने फील्ड में जाकर देखा है कि वास्तव में क्या हो रहा है और किसानों के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है? दूध का जला छाछ को फूंक २ कर पीता है। मैं देख चुका हूँ इसलिये इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं। पहले लोग १०० बीघा या १५० बीघा जमीन काश्त करते थे या उनके पास थी। अब माननीय मंत्रीगण यह सोचें कि वहां तो अब नहर निकल गई, आबादी बढ़ गई। इसलिये जमीन दूसरों में बंटी जावे। एक कुनबे में कितने आदमी होते हैं? ५ आदमियों के कुनबे के लिये और २१ आदमियों के लिये कितनी जमीन छोड़ें। क्या ५० बीघा छोड़े एक कुनबे में बालिग और नाबालिग दोनों होंगे। ५ बालिगों के लिये मैंने उस दिन बताया कि कितने व्यक्ति उस कुनबे में में होंगे। २५-३० आदमियों के बीच ५० बीघा जमीन क्या काफी होगी? उसमें से जो पैदा होगी उससे वे अपने बच्चों को पढ़ावेंगे और उन्नति भी कर सकेंगे, यह नामुमकिन सी बात होगी। वे कभी उन्नति नहीं करेंगे। इस विकास के जमाने में इन सारी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोई उन्नति नहीं कर सकेगा और हमें इन सारी बातों को देखना पड़ता है और कहना पड़ता है कि यह जो चीज़ हो रही है वह किसानों के लिये हानिकारक है और उनके लिये इसका होना जबरदस्त कुठाराघात होगा।

अब आप यह कहेंगे कि हम उस जमीन को उनसे लेकर लैन्डलेस टिनेन्ट्स को देगें। मैं पूछना चाहता हूं कि यह बता दिया जावे कि कितनी जमीन ऐसी है जिस पर पहले के खातेदार हैं? कितनी जमीन बकाया पड़ी हैं? मैं साफ़ तौर से बता रहा हूँ कि जब उन लोगो को जो ४०-४० साल से खेतों में काश्त करते हैं उनको खेतों से बेदखल कर दिया

(श्री मोहरसिंह)

जावेगा और जो जमीन उनकी पहले उनके पास थी १०० बीघा या १५० बीघा और बंजर पड़ी रहती थी वह उनके हाथों से चली जावेगी। वे लोग उसमें से २५ या ३० बीघा मुश्किल से बोते थे और ७५ बीघा पड़ी है वह क्या भूमिहीन किसानों को दी जावेगी और इसमें खातेदारी राइट्स देने में किस तरह की अडचन आती है। आप कानून को अपने बहुमत से किसी भी तरह से बनाना चाहें, बना लीजिये। लेकिन आगे जाकर आप से पूछेंगे कि यह क्या हो रहा है? उस समय आपको मालूम होगा कि कितना इसका जबर्दस्त विरोध है, क्योंकि यह किसानों के हित पर बड़ा भारी कुठाराघात हो रहा है। मैं यह जरूर मानता हूँ कि जिन लोगों ने नाजायज़ तौर पर जमीन दबा ली है उनसे वह जमीन वापिस ली जानी चाहिये, मगर काश्तकारों की काश्त जो जमीन पर जारी है वह उनसे क्यों ली जावे? वास्तव में जिन लोगों ने ५००-४००, हजार या दो हजार बीघा जमीन दबा ली है उनसे जरूर ली जानी चाहिये, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन वे लोग जो उस जमीन को ४०-४० वर्षों से खुद बोते आ रहे है उनको हटाना उचित नहीं होगा। जो राजाओं के जमाने में होता था उसका तो नतीजा हमारे सामने आ रहा है। आप भी अब यही कहते हैं कि राजाओं के जमाने में ऐसा था, इसलिये हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, जब उन्होंने खातेदारी राइट्स नहीं दिये तो हम भी क्यों दें? राजाओं के जमाने में कई चीजें हुई थीं और आज हम बहुत आगे बढ़ गये हैं। यदि आप उन्हीं सिद्धान्तों पर चलते हैं जिन पर राजाओं के राज्य में चला जाता था तो आज हम समाजवाद की दुहाई नहीं दे सकते। मैं तो यह कहूँगा कि जो पहले अधिकार दिये गये थे उनको भी उन किसानों से छीना जा रहा है। इसके लिये यह भी कहा गया है कि अगर कोई किसी की जमीन छीनता है तो उसको डिक्लेरेशन का दावा करने का हक हासिल होगा। जो लोग जमीन नई खरीदेंगे वे कहेंगे कि जाकर अदालत में डिक्लेरेशनरी सूट दायर करो। होगा यह कि जिन लोगों का उस जमीन पर ४०-४० या ५०-५० सालों से कब्जा था उनको जाकर अदालत में अपना हक साबित करना पड़ेगा और यह साबित करना पड़ेगा कि हम इस जमीन के मालिक थे और रेकर्ड पेश करना पड़ेगा कि मुझे फलां सन् में सरकार की तरफ से बन्दोबस्त से खतोनी की गई। यह क्या? क्या वह व्यक्ति ४० साल तक उन रसीदों को संभाल कर रखेगा, क्या उसके पास रेकर्ड मौजूद है कि फलां खेत पर उसको खातेदारी दे दी जावे? समझ में नहीं आता कि उसको क्यों इस प्रकार से परेशान किया जाए कि वह अदालत में जाकर यह सिद्ध करे कि यह जमीन मेरी है। यह किसानों के साथ झमेला नया रचा जा रहा है। इसलिए जो अभी सारी दलीलें मिनिस्टर साहब ने दी हैं उनको मैं नहीं मानता क्योंकि मैं एक किसानहृदय हूं और किसानों की बात जानता हूं और किसानों से पूछा है कि उनकी क्या हालत है? मैंने पहले भी दलील दी थी और आज भी कहता हूं कि असेम्बली के पाँच मेम्बर वहां जायें कि जिस एरिया के अन्दर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए मैंने बड़ी नर्मी से कह दिया कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करके, इस बात की अच्छी तरह छानबीन करके देख लिया जाये कि किसानों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? आखिर जिनके पास खतोनी के हक हैं उनको मुस्तसना क्यों रखा जाता है? इन

Page No.37

(श्री मोहरसिंह)

सारे शब्दों के साथ में कहता हूँ कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने जो दलीलें दी हैं उनसे मैं बिलकुल भी सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं फिर से जोरदार शब्दों के साथ कहता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना ही चाहिये जिससे कि तीनों अमेन्डमेन्ट्स जो टिनेन्सी के ऊपर आये हैं और जो सरकार की 'ग्रो मोर फूड' की पॉलिसी है वह भी कारगर हो सके। इन शब्दों के साथ यही पुरजोर अपील करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये और जो रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने दलील दी है मैं उनके खिलाफ हूं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया उनके वक्तव्य से ऐसा ज़ाहिर होता था कि या तो उन्होंने इन अमेन्डमेन्ट्स को, जो कि पेश किये हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं की या समझते नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बताया अभी अभी और टिनेन्सी एक्ट में एक फोर्थ अमेन्डमेन्ट आ रहा है। आपने बताया कि जिस जगह यह नहर आ रही है उस जगह किसानों को खातेदारी राइट्स पहले से नहीं थे और क्योंकि उनके पास खातेदारी राइट्स पहले नहीं थे इसलिए वह किसान जिनको कि खातेदारी राइट्स आज तक नहीं मिले वह किसकी गलती से नहीं मिले। हो सकता है कि वहां के जागीरदारों, जमींदारों और राजा लोगों के पुण्य से उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले हों। लेकिन जब उनको नहीं मिले हैं तब हम क्यों दें, ऐसी दलील रेवेन्यु मिनिस्टर साहब देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को बता देना चाहता हूँ कि जिस एरिया के अन्दर यह नहर जा रही है, यह नहर जिससे कि पानी आयेगा वह जैसलमेर का एरिया कहलाता है। है, जब यह शुरू भी नहीं हुई थी और इसकी ठीक पैमाइश भी नहीं हुई थी और इसकी पिछली साल ही पैमाइश हुई है और आपका जो टिनेन्सी एक्ट में फोर्थ अमेन्डमेंट आ रहा है आपने उसमें प्रोविज़न रखा है कि किसानों को दावा करना पड़ेगा और उसको हक होगा तो हम देंगे और इसके लिए उसको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा। तो वह किसान जिसका नाम कहीं भी किसी रिकॉर्ड में नहीं है, किसी कागज में नहीं है, उसके खेत का कि वह किसान किस जमीन पर आज दिन तक बोता था, किस जमीन को इतने दिन तक काश्त करता आया है वह किस तरह से दावा करेगा और यह नहर ज्यादातर जैसलमेर एरिया को ही सींचेगी। दूसरी ओर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि बीकानेर में पहले इस तरह का कानून नहीं था कि जिससे बीकानेर स्टेट के जमाने में किसानों को खातेदारी के राइट्स मिलें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बता दूं कि बीकानेर स्टेट का जो टिनेन्सी एक्ट १९४५ था उसके अन्दर ऐसा प्रोवीजन था कि जो किसान लगातार २० साल तक किसी जमीन को काश्त करता है उस जमीन पर उसको खातेदारी राइट मिलता था। इधर माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां टिनेन्सी एक्ट के तहत किसानों को खातेदारी राइट्स मिलते थे और आप आज उसको वही खातेदारी के राइट्स नहीं दे रहे हैं उन किसानों को कि जिनको खातेदारी के राइट्स मिल चुके हैं। बीकानेर स्टेट के तहत भी जिनको खातेदारी के राइट्स मिल चुके हैं,

Page No.38

(श्री गिरधारीलाल)

उनको भी दावा करना पड़ेगा। आखिर यह क्यों है ? जिस किसान को खातेदारी राइट्स मिल गए उससे आपको खातेदारी राइट्स छीनने का क्या अधिकार है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि जिस दिन, जिस तारीख को टिनेन्सी एक्ट राजस्थान में लागू हुआ वह तो उस दिन कैनाल एरिया घोषित नहीं हुआ था इसलिए उनको टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के तहत खातेदारी राइट्स मिल चुके थे। आप कोई भी आस पास के प्रान्तों के कानूनों को देख लीजिए, तो उनसे आपको यही मालूम होगा कि जिस दिन से जिस एरिया को कैनाल एरिया घोषित किया जाता है उसके बाद में सरकार खातेदारी राइट्स उस एरिया में नहीं देती है, लेकिन उससे पहले जिनको खातेदारी राइट्स मिले हुए होते हैं उनसे नहीं छीनती। लेकिन हमारे यहां उल्टा कानून है। आप कहते हैं कि चाहे कोई किसान किसी भी जमीन को सौ साल से या पचासों साल से काश्त करता आया है हम उसको तो क्या किसी को भी खातेदारी राइट्स नहीं देंगे। किसानों को यह कोर्ट में दावा करना पड़ेगा कि मैं इतने साल से काश्त करता आया हूँ। आज किसान जो इतना अनपढ़ है उसको आप इस तरह के कानूनी अड़खजों में डाल कर ऐसा करना चाहते हैं कि उससे खातेदारी राइट्स छीन लें। यह सिर्फ उनके धोखे के लिए है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सुझाव दिया था कि आप कानून बनायें, लेकिन कानून बनाने के लिए पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि इस कानून का व्यक्तियों के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ेगा। जिस एरिया के अन्दर नहर जा रही है वह इतने दिनों तक एक शुष्क एरिया था। वहां किसान काश्त करते थे लेकिन बरसात की कमी के कारण वहां अनाज नहीं होता था और किसान वहां अनाज सदियों से बोता था, वह आज दिन तक भूखा था और जब आज वहां नहर आ रही है तो उसके लिए वह सोचते थे कि नहर आयेगी और हमें पानी मिलने लगेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब जो कि न तो कभी किसानों के सम्पर्क में आये हैं और न कानून को समझने की कोशिश करते हैं, आप इस तरह का कानून लाते हैं जिनसे किसान भूमिहीन हो जायेंगे। एक तरफ तो आप भूमिहीन किसानों को भूमि दे रहे हैं और दूसरी ओर आप उनको भूमिहीन बना रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण को थोड़ा संक्षिप्त करें क्योंकि आप वही पोइन्ट्स दोहरा रहे हैं जिनको दूसरे सदस्य रख चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट तो एक ही है...

श्री उपाध्यक्ष : तो आप उसको दोहरायेंगे नहीं।

श्री गिरधारीलाल : क्योंकि इससे लाखों आदमियों के ऊपर असर पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पुनरावृत्ति न हो, बस यही निवेदन है।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, तो प्रश्न यह है कि आपने एक दलील और दी है कि वहां जागीरदारों ने काफी जमीनें छीन ली हैं और अपने नाम से लिखा ली हैं और उनसे हम छीनकर हम वहां भूमिहीनों को बसायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक

(श्री गिरधारीलाल)

कानून इसी सदन में पास किया था कि जिसके तहत यह प्रोविज़न रखा था कि जिन जागीरदारों ने खुदकाश्त की जमीन नाजायज़ तरीके से अपने नाम लिखा ली है उनसे छीन ली जायेगी। आपकी यह दलील बिल्कुल बोगस साबित होती है क्योंकि इससे वह किसान जो कि वहां आबाद है, जो कि गरीब है उसे तो आप उजाड़ रहे हैं और आप यह दलील देते हैं कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों से क्योंकि वहां जमीन ज्यादा है इसलिए वहां लोगों को बसाया जायेगा। मतलब यह हुआ कि लोगों ने जो उस जमीन को इस काम का बनाया है उन किसानों को खेतिहर मजदूर बनाने जारहे हैं और वहां जाकर आप नीलाम की पद्धति से या शहरी लोगों को या जिनके पास पैसा है वही लोग वहां जाकर बसेंगे। जो लोग आज तक गरीब रहे हैं वे आगे जाकर भी गरीब रहेंगे। राजाओं के पुण्य प्रताप से जो आज तक गरीब रहे हैं उनको आज खेतिहर मजदूर बनाए जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैंने यह देखा है कि यदि हम कोई सही बात कहते हैं तो भी उसका असर माननीय मन्त्री महोदय पर नहीं पड़ता। वे तो यह समझते हैं, हम विरोध में बैठते हैं इसलिए हमारा विरोध करने का ही काम होता है। यह एक ऐसा कानून है जिसमें आप छोटा सा अमेंडमेंट कर बहुत गलत काम कर रहे हैं। जिन अधिकारों को और हकों को आप छीन रहे हैं आपको कोई राइट नहीं, १५ अक्टूबर, १९५५ के दिन तक वह कैनाल एरिया नहीं था। जिस दिन से कैनाल एरिया घोषित हुआ है उस दिन से आप खातेदारी राइट्स मत दें लेकिन करोड़ों रुपये वसूल करने के लिए हजारों आदमियों को बर्बाद करने जा रहे हैं, यह तो कोई उचित चीज नहीं है। ज्यादा इस पर और कुछ कहना नहीं है, फिर मैं राजस्व-मन्त्री से निवेदन करूंगा कि या तो मेहरबानी करके वे इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करें या इसमें इस प्रकार का अमेंडमेंट कर दें, जिससे गरीब किसानों पर ज्यादा असर नहीं पड़े। हमें केवल विरोध के लिए न ही मानकर, हम जो सही बात कहते हैं उसको मानें। इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(श्री भैरोंसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : कल तो आप अस्वस्थ थे।

श्री भैरोंसिंह : अस्वस्थता तो आज भी अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी मैटर इम्पोर्टेन्ट है, आपकी आज्ञा हो तो थोड़े समय के लिए कुछ कह दूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, आपका भाषण संक्षिप्त ही होगा, ताकि आपके स्वास्थ्य पर असर न पड़ सके।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री ने बताया कि जिन लोगों को खातेदारी हक मिल गये, बीकानेर स्टेट के समय में मिले हों या राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के पास होने के बाद मिले हो, इस सम्बन्ध में किसी आदमी को ग्रीवान्सेज़ हों वह जाकर, असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट में जाकर अपनी दर्ख्वास्त पेश करे, डेलीबरेटली सूट दायर करे और बताया कि यह हानि हुई और इस प्रकार से वे रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा इस प्रकार की बात कहने के पहले यह भी माननीय सदस्यों को ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में चौथा संशोधन भी लाया जा

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

रहा है, उसको देखने से पहले मैं ऐसा समझता हूँ, यह दोनों बिल को-रिलेटेड है इसलिए दोनों बिलों पर एक साथ विचार किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। फोर्थ अमेंडमेंट बिल में लिखा है "other important amendments are proposed to be made :-

(a) in Section 15 A, thereby giving an aggrieved person the right to apply for a declaration as to having acquired khatedari rights; ..." इसका मतलब यह हुआ कि जो कानून अभी पास नहीं किया जिसके बारे में अभी तक विचार कर रहे हैं, जो पास होगा या नहीं; यह बात तो दर किनार रही जो अभी तक केवल ड्राफ्ट के रूप में है उसमें भी सरकार ने संशोधन किया है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी कानून बनते हैं उनमें संशोधन आते हैं। उस अवस्था में हम देखते हैं कि उसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में कभी भी विचार नहीं किया जाता। अगर ये ही बातें सरकार के सामने पहले आती तो तीसरे अमेंडमेंट बिल में उनका समावेश कर दिया जाता और फिर इस बात की दलील बाकी नहीं रहती। सरकार महसूस नहीं करती कि किस कानून के अन्तर्गत किनको खातेदारी हक मिल चुका है, कुछ न कुछ देना पड़ेगा। राजस्व मन्त्री भले ही इसे स्वीकार न करें, बीकानेर में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके अन्तर्गत पर्मानेण्ट राइट्स एक्वायर हो गये हों। अभी बीकानेर से आने वाले दो माननीय सदस्यों ने इस बात का खंडन किया है। उसके साथ साथ एक दूसरा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। बीकानेर के कृषि कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को खातेदारी नहीं मिली, १५ अक्टूबर को काश्तकारी कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के अधिकार दिए गए, जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के अन्तर्गत। जिसको कई विषय के अन्दर राजस्थान काश्तकारी कानून के अन्तर्गत भी समावेश किया गया है। जागीरदार की जमीन रिज्यूम की जाती है, खुदकाश्त की जमीन रहती है उसको उस जमीन पर उस दिन खातेदारी राइट्स एक्वायर हो गये, जिस दिन जागीर रिज्यूम की गई। जागीरदारों के अलावा दूसरे लोगों को अगर इस प्रकार के राइट्स मिलते हैं तो वे राइट्स छीन लिए जायेंगे।

अब एक प्रश्न आता है, उन्हें कम्पनसेशन दिया जाय या नहीं, इस बात को उन्होंने दबी हुई जबान में स्वीकार किया। अगर किसी आदमी के अधिकार छीने जायं तो असिस्टेन्ट कलेक्टर के यहां डिक्लेरेटरी स्यूट करके रिलीफ प्राप्त कर सकता है। मामूली सा प्रश्न है, मानवता का प्रश्न है। जिस किसी व्यक्ति की आप जमीन लें, किसी ने उस जमीन पर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके रिटर्न से आप उसे महरूम करते हैं तो वैसी हालत में सरकार की ड्यूटी हो जाती है कि उसको कम्पनसेट करे। जब किसी के हक छीने गये तो यह इस बात को साबित करती है, हमारी सरकार जो कुछ कानून बनाती है उसमें देने की भावना जरूर रहती है, लेकिन उससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार से लाभ उठा नहीं सकता। इस चतुराई की मैं तारीफ करूंगा, हमारे राजस्व मंत्री ऐसी बातों में चतुर हैं। उनकी चतुराई इसी में है जिसके कारण टिनेन्सी एक्ट में तीसरा, चौथा और पांचवां अमेन्डमेंट आ रहा है। वे धीरे धीरे चतुराई से बातें चलाते रहते हैं वे इस ढंग से लाकर अमेन्डमेंट समाविष्ट करते हैं कि कानून की परिभाषा में उसका समावेश हो जाय। लेकिन उन सब का फल काश्तकारों को भुगतना है। मैं तो राजस्व मंत्री से यह

(श्री भैरोंसिंह)

कहूँ कि फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल और यह बिल दोनों बहुत को-रिलेटेड हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो संशोधन पेश कर दिया गया है । उस पर विचार करता है इसके द्वारा १५ ए० में संशोधन किया गया है । इस प्रकार से दोनों कानूनों को सामने रख कर सिलेक्ट कमेटी में विचार करें वहां यह भी हो सकता है कि दोनों का समाविष्ट इस एक में हो जाय और फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल लाना ही न पड़े । इस प्रकार बार बार अमेन्डमेन्ट लाने के कारण लोगों के दिमाग में कॉम्पली-केशन्स पैदा हो जाते हैं । मैं फिर राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ये तृतीय और चतुर्थ संशोधन विधेयक सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें, वह इन दोनों बिल्स पर विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश कर दें फिर सदन द्वारा उसे पास करने में सहूलियत रहेगी । सिलेक्ट कमेटी में अपने अपने क्षेत्र के अनुसार टिनेन्सी एक्ट के अनुसार क्या क्या अधिकार मिल चुके हैं, उन सब को राजस्व मंत्री को मनवाने की कोशिश करेंगे । निश्चय ही इससे बड़ा हित होगा । नहीं तो मैं समझता हूँ इस प्रकार कानून की झड़ी लगाकर लोगों को कानून से अनभिज्ञ रख कर कानून के अन्तर्गत लाभ उठा सके । इन सारी बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ सदन मेरे इस प्रस्ताव को, कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, समर्थन करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेंट) बिल, १९५८, प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप डिविजन चाहते हैं ?

(विपक्ष की ओर से स्वीकारात्मक ध्वनि पर विभाजन घंटी)

(मत दान के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेंट) बिल, १९५८ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे ।

'Noes' have it.

श्री तनसिंह : Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member will please rise in their seats.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स इस तरह के हैं और यह पहली बार ही हमने डिविजन क्लेम किया है । अगर अधिक बार किया हो तो वैसी अवस्था में खड़े होने के लिये कह सकते हैं । दूसरी बात यह है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें सदन से ५५ से पहले के खातेदारी हकूक भी रद्द किये जा रहे हैं । हम जानना चाहते हैं कि कौन इसके पक्ष में और कौन विपक्ष में हैं । हम इसे रेकॉर्ड कराना चाहते हैं । रूल्स भी ऐसे नहीं है कि हमें इस मांग से वंचित किया जाय । ऐसी अवस्था में इन बातों को ध्यान में रखते हुए ...

श्री उपाध्यक्ष : I have considered the position very rightly. The Hon. Members will please rise in their seats.

श्री तनसिंह : यदि हमारा कहना भी बेकार है, निवेदन करना भी बेकार है तो मैं....

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में भी निवेदन करूंगा कि उधर बैठने वालों की भी इच्छा है लॉबीज़ में जाने की। इसलिये सब की जहां इच्छा है और नियम भी हैं जिसमें विशेष आपत्ति नहीं है तो हमें अपने वोट रेकॉर्ड कराने की अनुमति दे दी जावे।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : हमारी इच्छा की बात तो हम लोग कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : किसी की इच्छा का प्रश्न नहीं है। मेरी इच्छा का प्रश्न है। I have requested that the Hon. Members, 'Ayes' please rise in their seats.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमने जो बात ढंग से कही थी, आॅर्ग्युमेन्ट्स के वक्त भी कही थी, हमारी इच्छा है रेकॉर्ड कराने की, रूल्स भी साफ हैं ऐसी स्थिति में इस वक्त आपका जो निर्णय है उसको स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में जब कि रूल्स साफ हैं, मसला महत्वपूर्ण है, हमारी प्रार्थना आपके सम्मुख है। चाहिये तो यह था कि......

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Member will not canvass the observations please. He can take his own position, but will not canvass the opintion. I express my disapproval of your expression.

श्री तनसिंह : यदि हमारी उस राय को माननीय मन्त्री महोदय भी नहीं मानते और आप भी नहीं मानते तो आपके इस निर्णय के विरुद्ध हम टोकन वाक आॅउट करते हैं।

(केवल एक सदस्य के अतिरिक्त विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : 'Noes' to rise in their seats. Yes, I call the House to order. 'Noes' have it, 'noes' have it. The amendment fails.

(विराम)

Now motion for cousideration

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेंट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज २, श्री तनसिंह।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में पुनः प्रवेश)

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ में मेरा यह संशोधन है :

Add the following new sub-clause: "(2) the following proviso to section 15 A of the Principal Act be added:- Provided that this section shall not apply to any personally cultivating such land since the commencement of this Act.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध बात है कि......

(विराम)

मिनिस्टर साहब यहां थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : One hon. Minister was here. It is a joint responsibility......

श्री उपाध्यक्ष : I over-rule it.

श्री तनसिंह : पहले जो अमेन्डमेंट सिलेक्ट कमेटी का था उस पर दो-दो घंटे यों ही बोलते रहे। वे यहां नहीं रहे, हमारा बोलना तो सिर्फ बकवास के रूप में ही रहा।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : किसी भी माननीय सदस्य का बोलना बकवास के रूप में नहीं होता। आप भी सदन की सम्पत्ति हैं। इसलिये कोई नहीं कह सकता कि आपका बोलना बकवास के रूप में होगा

(हंसी)

श्री तनसिंह : मैं निवेदन कर दूं कि मैं सदन की सम्पत्ति नहीं हूं, मुझे सदन की सम्पत्ति के रूप में ट्रीट न किया जावे। मैं एक साधारण सदस्य हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : You are a valuable addition to the House. Yes, Hon. Member will proceed.

१. म. प.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह संशोधन रखा है कि, "The following proviso to section 15-A of the principal Act. be added:

'Provided that this section shall not apply to any person who has been personally cultivating such land since the commencement of this Act,'' हमारे आयोजना आयोग के द्वारा, जिसकी कि माननीय मन्त्री महोदय बहुत दुहाई देते हैं, स्वीकार कर लिया गया है कि जो व्यक्ति काश्त करता है उसको काश्तकारी के सारे हक-हकूक मिलने चाहिए और उसके लिए उन्होंने टिनेन्सी एक्ट, राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट और इनसे सम्बन्धित कई कानूनों में, काश्तकारी कानूनों में इस प्रकार के संशोधन लाये हैं कि उन सारे टिनेन्ट्स को हकदार मानते हैं, टिनेन्सी राइट्स देने के उनमें प्रावधान रखे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री महोदय का यह कोई अनुमान नहीं होगा, वे कभी यह नहीं चाहते होंगे कि उन लोगों को हक से महरूम रखा जाय जो स्वयं उस जमीन पर काश्त करता आ रहा है। यदि मन्त्री महोदय का यह भाव हो कि उन लोगों से जमीनें ली जायं जो लोग काश्त नहीं करते हैं, बल्कि अपने नाम पर जमीन करवा लेते हैं और दूसरे लोगों को काश्त के लिए दे देते हैं, तो वह आर्ग्युमेंट समझ में आने जैसा आर्ग्युमेंट है। लेकिन जो लोग शुरू से लेकर अब तक काश्त करते आ रहे हैं, कमेन्समेंट ऑफ दिस एक्ट यानी १९५५ के अक्टूबर से लेकर आज तक जो जमीन पर काश्त करते आ रहे हैं, इस सिद्धान्त रूप से बराबर जो काश्त करते आ रहे हैं उन्हें सिद्धान्त रूप से उनके अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जहां तक हो या तो उनकी नीति यह हो कि कैनाल एरिया के अन्दर किसी भी आने वाले के ५० या १०० वर्षों तक हक देने वाले नहीं हैं। यदि वे मानते हैं कि कभी न कभी किसी को हक देना चाहिए, तो यह सिद्धान्त निश्चित होना चाहिए कि आगे जाकर ये हक कब, किसको और कैसे मिलेंगे? यदि हम इस आधार पर चलते हैं कि हक-हकूक काश्तकारी तभी मिलने चाहिए जब कि कोई स्वयं अपने आप काश्त करता हो, और यदि वह काश्त करता है और वह काश्त ऐसी है कि जो एक साल नहीं बल्कि लगातार कन्टीनुअस जिसकी काश्त

(श्री तनसिंह)

है तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के काश्तकार को अपने हक़ूक मिलने चाहिए। इसके सिवाय दूसरा और कोई सिद्धान्त इस विषय में नहीं हो सकता कि जिसके सिलसिले में कोई कसौटी तैयार करे कि जिसके ऊपर वे अधिकार दिये जा सकते हों। तो मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव की मन्शा क्लिअर है, और चाहता हूँ कि जब हम अधिकार बाद में किसी को देने वाले हैं तो एक निश्चित प्रणाली बना देना चाहिए और यह प्रोविजो उस निश्चित प्रणाली को बताता है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I beg to move, "That the words 'and shall be deemed always to have been omitted' deleted."

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस समय इस विधेयक के ऊपर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के संबंध में बहस हो रही थी, उस समय कुछ ऐसी आशा थी कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इस विधेयक की वास्तविकता को समझकर, इसको करने से काश्तकारवर्ग के ऊपर जो विपरीत परिणाम होने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि रीज़निंग्स के आधार के ऊपर नहीं, बल्कि उनके स्वयं के बिना किसी कारण इस प्रकार के ध्यान में बैठ गया है कि इस कानून को मुझे विधान सभा से आज पास कराना है। सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस एक पहलू पर विचार करना पड़ेगा कि हमने चाहे किसी कानून के अन्तर्गत वह चाहे बीकानेर का टिनेन्सी एक्ट हो, चाहे राजस्थान का काश्तकारी कानून हो, चाहे जागीरदारी रिज़म्प्शन एक्ट हो, चाहे और भी कोई छोटे-मोटे कानून हों, हमने किसी व्यक्ति को यदि किसी एक प्रोपर्टी के उपर अधिकार दे दिये हैं, कोई हक-हक़ूक प्राप्त करवा दिये हैं, तो संविधान के अन्तर्गत दी हुई व्यवस्था के अनुसार हम उसको उसके अधिकार या हक-हक़ूक से वंचित कर सकते हैं या नहीं ? हमारी सरकार से उत्तर मिलेगा कि कर सकते हैं। मैं भी समझता हूं कि जिस प्रकार की संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के जरिये यदि हम उन अधिकारों से वंचित करना चाहेंगे, तो कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न एक पैदा होगा कि जो व्यवस्था संविधान के अन्तर्गत दी हुई है उस व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करते हैं या उसके विपरीत आचरण करते हैं ? यह जो तृतीय संशोधन विधेयक पेश किया गया है, और उसकी धारा २ जो है उस धारा २ में जिन शब्दों को डिलीट करने का मैंने संशोधन पेश किया है उनको डिलीट करने के बाद में यह होगा कि राजस्थान काश्तकारी कानून १५ अक्टूबर, १९५५ से लागू हुआ, उसके लागू होने के बाद जिन लोगों को खातेदारी हक-हक़ूक मिले और जिन लोगों को इस कानून के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं उनके बारे में हमें एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी।

अब संशोधन हमारी सरकार ने जो पेश किया था उस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी थी, "after the commencement of this Act......" यदि किसी आदमी को कोई हक-हक़ूक मिलते हैं तो वह टेम्प्रेरिली मिले हैं, इस प्रकार की कानून के द्वारा व्यवस्था समझी जायगी। लेकिन अब जो हम संशोधन पेश कर रहे हैं उस संशोधन की मन्शा यह होगी कि जिन्हें मिले हुए भी थे जिस तारीख से यह पहला संशोधन आया है

(श्री भैरोंसिंह)

उसके पहले जो हक-हकूक मिलेंगे वे और राजस्थान काश्तकारी कानून के बनने के बाद जिनको हक-हकूक मिल गये हैं वे सारे काश्तकार व जागीरदार जो खुदकाश्त की जमीन पर हैं, आज से नहीं बल्कि वर्षों से, जहां जमीन पर काबिज़ हैं, और जागीर रिज़म्पशन के साथ साथ उनको खातेदारी राइट्स एक्र्यू हुए हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार के काश्तकार जिनको जमीनों पर मालिकाना हक-हकूक मिल चुके हैं उनके हक-हकूक छीने जायेंगे। अब यह इस प्रकार का प्रश्न है जिसको मैं समझता हूँ, माननीय राजस्व मंत्रीजी गम्भीरता से देखें तो क्या संविधान में दी हुई व्यवस्था के अनुसार हमने जिन लोगों को राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी के दे दिये हैं यह हमारे कानूनों के द्वारा जिनको ऑटोमेटिकली राइट्स एक्रू हो चुके हैं, उन राइट्स को बिना किसी कम्पेन्सेशन के ले सकते हैं क्या? मैं समझता हूं कि सरकार ने इसको माइन्यूटली स्टडी जरूर किया होगा, लेकिन कुछ संदेह सरकार के माइन्ड में जरूर है, इसलिए चतुर्थ संशोधन पेश करके इस बात की व्यवस्था की है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे राइट्स मिल चुके हैं तो वह व्यक्ति असिस्टेन्ट कलेक्टर की कोर्ट में जाकर डिक्लेरेटरी सूट पेश करेगा और उस डिक्लेरेटरी सूट के द्वारा रिलीफ प्राप्त करेगा। तो जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं समझता हूं, इस चतुर्थ संशोधन विधेयक से साफ हो गया है कि सरकार भी यह जरूरी समझती है कि जिन लोगों के राइट्स हम ले रहे हैं, जिन लोगों के हक-हकूक हम छीन रहे हैं उनको कम्पन्सेट करना पड़ेगा। कम्पन्सेट किस तरीके से करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, उस मात्रा को तय करने के लिए कौन अधिकारी होगा, किसके सामने दरख्वास्त पेश की जायगी, कब और किस प्रकार से और किन नियमों के अन्तर्गत उसकी सुनवाई होगी, ये इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कि जिन पर सरकार का और हमारा मतभेद हो सकता है। हमारी व्यवस्था दूसरी हो और सरकार दूसरे प्रकार की व्यवस्था करना चाहती हो, लेकिन इस प्रश्न पर मैं समझता हूँ कि सरकार की मन्शा, चाहे वह दबी हुई जबान में ही हो, अब स्पष्ट रूप से आ रही है और सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जिन लोगों के राइट्स छीने जायं उन लोगों को कम्पन्सेशन दिये जायं, उन लोगों को किसी न किसी प्रकार का रिलीफ दिया जाय। वही प्रश्न मेरे संशोधन से हल होता है कि जिनके राइट्स छीने जा रहे हैं उनको रिलीफ दें, तो यह रिलीफ का प्रश्न किस काश्तकारी कानून के अन्दर हल हो रहा है? यदि काश्तकारी कानून के द्वारा हक-हकूक प्राप्त हो चुके हैं उन हक-हकूकों की सुरक्षा हमारे संविधान के द्वारा होती है तो संविधान के दबाव के कारण से हम कम्पन्सेशन देते हैं, यह इस प्रकार का प्रश्न है जिसको कॉन्स्टीट्युशनल वे के अन्दर लेना पड़ेगा। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न को स्पष्ट करें कि हम किसी व्यक्ति के हक-हकूक, जिनकी सुरक्षा संविधान के अन्तर्गत दी हुई है, जो अधिकार संविधान में की हुई व्यवस्था के अन्तर्गत है, उस प्रकार के हक-हकूक बिना कम्पन्सेशन के या बिना किसी प्रकार का रिलीफ दिये हुए उन अधिकारों को छीन सकते हैं या नहीं? अब प्रश्न आता है कि अगर उनको छीन सकते हैं तो जिस तरह से चतुर्थ संशोधन में व्यवस्था की है कि हम किस प्रकार का रिलीफ देना चाहते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा मामला आयेगा। असेम्बली के अन्दर जो नियम हैं, ऐसे बिल

(श्री भैरोंसिंह)

पेश करने का या ऐसे बिल पर विचार करने का प्रश्न पैदा होता है कि आज हम कोई ऐसा कानून बनावें जिसमें...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आ रहा है कि यहां बहस किस पर हो रही है, अमेन्डमेन्ट है क्लॉज २ पर, उस पर बहस हो रही है या जनरल अमेन्डमेन्ट पर हो रही है। क्लॉज ४ इस समय हाउस के सामने नहीं है। क्लॉज २ का जिन बातों से संबंध है वहीं तक इसको कन्फाइन करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं सदन के मार्फत रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या सरकार की मंशा है कि जहां पर खातेदारी राइट्स एक्रयू हो चुके हैं उन मिले हुए राइट्स को छीनने के बदले में सरकार कम्पन्सेशन देना चाहती है या नहीं और उनको कम्पन्सेशन मांगने का हक है या नहीं ? इस बात को क्लेरिफाइ कर देंगे तो आगे प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जब ये रिप्लाई देंगे तब कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह कॉन्स्टीट्युशनल पॉइन्ट है, किसी को राइट कानून के द्वारा दिया गया है और उसके संरक्षण की सुविधा संविधान में है। बिना कम्पन्सेशन के क्या उन राइट्स को छीनने का आपको हक है ? अगर यह स्पष्ट हो जाय तो डिबेट सीमित हो जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। संविधान से यदि किसी को कम्पन्सेशन लेने का राइट है तो वह ले सकता है, इसमें मेरी राय मांगने की आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल राजस्थान कैनाल का; मैंने बार बार स्पष्ट कर दिया है कि किसके क्या राइट्स थे और किसको नहीं और इस अमेन्डमेन्ट के जरिये क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। बाकी यह कहना कि संविधान के जरिये जिसको अधिकार दिये गये हैं उनको बगैर कम्पन्सेशन के नहीं ले सकते तो जो कॉन्स्टीट्युशन अधिकार मिले हैं उनको छीनने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : I will raise a point of order; Sir, अभी अभी जिस तरह से राजस्व मन्त्रीजी ने बात कही वे स्वयं भी स्वीकार करते हैं इस बात को, चाहे वे किसी भी भाषा में करें कि जिनको राइट्स मिल चुके हैं बिना कम्पन्सेशन के उनके राइट्स को नहीं छीना जा सकता क्योंकि इस कानून में कम्पन्सेशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये सारा बिल ही कॉन्स्टीट्युशन के विरोध में है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसको सदन में डिस्कस नहीं किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं आपकी बात को, बहस हो रही है क्लॉज़ २ पर......

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री भैरोंसिंह : यह जो बिल पेश किया गया है और उसका जो क्लॉज़ अन्डर डिस्कशन है, उसके जरिये जो काश्तकारों को हक-हकूक किसी तरह से मिल चुके हैं और जिनके संरक्षण का अधिकार कान्स्टीट्युशन के द्वारा है कि बिना कम्पन्सेशन दिये उनको नहीं छीन सकते। लेकिन क्योंकि इस क्लॉज़ में

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

कम्पन्सेशन देने की व्यवस्था नहीं है तो इस प्रकार के क्लॉज़ को लिये हुए कोई विधेयक इस सदन में नहीं लाया जा सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे कॉन्स्टीट्युशनल पॉइन्ट को डिस्पोज़ ऑफ कर दें, ताकि बाद में दिक्कत न हो।

श्री उपाध्यक्ष : (to Hon. Rev. Min.) How do you explain it ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले भी कहा है कि जहां तक जमीन का ताल्लुक है हम उसको एक्वायर नहीं कर रहे हैं। The land will continue to remain with the tenants or those who are in possession thereof. Therefore, the question of acquiring of any property does not rise at all. Certain rights were conferred on tenants who were coultivating from 15-10-55. The question is, whether such rights are conferred on those also who are in occupation of land in Rajasthan Canal area. I say that they do not enjoy these rights; that is a part of a major project. We are not acquiring any property.

श्री भैरोंसिंह : That is a question of rights in property.

श्री पी० के० चौधरी : As a result of this legislation, is not the Government acquiring property itself ? Who will be the owner of this property then ? Will he have rights of proprietor-ship ? That is the point.

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने बहुत साफ कहा है कि बीकानेर के टिनेन्सी एक्ट में किसी को राइट नहीं था, उसके बाद भी किसी को राइट्स पैदा नहीं हुए थे। राइट्स एक्र्यू करने का सवाल पैदा नहीं होता है, मेजर प्रोजेक्ट्स एरिया में किसी को खातेदारी राइट्स नहीं दिये गये हैं, जैसे जवाई, भाखरा, चम्बल एरिया में किसी को खातेदारी राइट्स नहीं होंगे उसी तरह राजस्थान कैनाल एरिया में भी नहीं होंगे। It is only an exception to Section 15. That is already on the Statute Book. It is only a matter of certain phraseology, और कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि लोगों को अधिकार दिया नहीं जावेगा। यदि पहले अधिकार नहीं मिला हुआ होता तो संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं थी। यदि किसी को अधिकार मिल चुका है तो अधिकार मिला हुआ नहीं समझा जायगा। इसको पास करने का मतलब यह है कि जिनको जमीन मिल चुकी है उनसे वापिस ली जायगी। अगर उनसे वापिस नहीं ली जायगी तो फिर यह बिल किस प्रकार का है ? लेकिन जिस तरीके से मिली है उस तरीके से उसको नहीं मिले, यह दूसरी बात है। लेकिन सरकार स्पष्ट रूप से कहती क्यों नहीं कि जिनको अधिकार मिल चुका है उनसे वापिस लेना चाहते हैं। आज की तारीख से तो यह कहना कि अधिकार मिला हुआ नहीं है, यह भ्रमात्मक बात है। जिसका रेवेन्यु मिनिस्टर साहब सहारा लेना चाहते हैं वे खुद अपने मन में मानते होंगे कि अधिकार मिल चुका है, उसको वापिस लेना चाहते हैं।

अब सवाल आता है प्रोपर्टी का। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्रोपर्टी उनके पास

(श्री भैरोंसिंह)

रहेगी, उनसे छीनी नहीं जायगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्रोपर्टी रहेगी किन्तु हक नहीं रहेगा। जो राइट्स एक्वायर करना चाहते हैं उन राइट्स को छीना जा रहा है। जमीन पर से राइट छीने जाने का मतलब है कि जमीन से महरूम रखा जाय। एक तरफ उनकी प्रोपर्टी जा रही है और दूसरी तरफ संविधान कहता है कि बिना कम्पन्सेशन दिये प्रोपर्टी नहीं जा सकती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पॉइन्ट पर निर्णय देकर तय फर्मावें।

श्री दामोदरलाल व्यास : रिलेवेन्ट सैक्शन ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन साइट करें तो पता चले।

श्री भैरोंसिंह : ऑर्टिकल ३१ कॉस्टीट्यूशन का है। कान्स्टीट्यूशन की किताब दे दी जाय तो आगे की भी बता दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : ऑन पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, यह बहस हाउस में करके हाउस का वक्त लिया जा रहा है। मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि किसी के राइट लेने का सवाल नहीं है, चीज उनके पास ही रहेगी। किसी बात के प्रिज़म्पशन पर संविधान को सामने लाते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मामला है। राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने वाले पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं। इस बात को यहां लाकर लेजिस्लेचर के बिज़नेस को रोकना गलत होगा। मैं समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट के लिये रहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I could very rightly understand your point of view.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कॉन्स्टीट्यूशन का आर्टिकल ३१ सैक्शन (२ ए) अमेन्ड हुआ है, उसका मुलाहिजा करने की बात है :

"Where a law does not provide transfer of the ownership or right to possession of any property to the State or to a corporation owned or controlled by State, it shall not be deemed to provide for the compulsory acquisition of property, not-withstanding that it deprives any person of his property."

तो गोया, इसमें किसी लैंड के एक्वायर करने का सवाल नहीं है और सीधी बात यह है कि जो राइट किसी को नहीं है, लेजिस्लेशन से उस राइट को......मेन्टेन करने के लिए फैसला किया जा रहा है। १५ ए के अन्दर किसी के राइट, किसी प्रोपर्टी को गवर्नमेन्ट एक्वायर नहीं कर रही है, पजेशन नहीं कर रही है। जो अमेन्डेड कॉन्स्टीट्यूशन है, उसमें क्लिअर है, कि जब तक उसको एक्वायर न किया जाय, उस पर पजेशन न किया जाय, लॉ लेजिस्लेशन के जरिये बना सकते हैं।....

श्री पी० के० चौधरी (फुलैरा) : No, Sir, the Hon. Minister has misinterpreted the rules. The rule says that it can only acquire for the purposes of State and not for any other perpose. The State can dispossess a private person and acquire property or propriety rights only for the purposes of the State or State corporation and not for any other purpose. So this is on the contrary in favour of Hon. Member raising the issue.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I have considered the point. The Bill does not involve the question of acquisition, as the land is not being acquired; nor is it covered by Article 31 of the Constitution. Therefore, the point of order raised by Hon. Shri Bhairon Singh is not well taken.

श्री भैरोंसिंह : What about the rights, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : I have given my decision.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है, उस संशोधन की मंशा होगी कि जो पहला संशोधन राजस्थान काश्तकारी विधेयक में आया था, उसके द्वारा जिन लोगों को भविष्य में खातेदारी हक़ूक नहीं देना चाहते यह कानून केवल उन्हीं के ऊपर लागू होगा, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था इस संशोधन विधेयक के क्लॉज़ २ के द्वारा की जा रही है उसका मतलब यह होगा कि आज तक जिन लोगों को इस प्रकार के हक़ प्राप्त हो चुके हैं उन लोगों के हाथ से वे हक ले लिये जायेंगे। कल जिस समय खाद्य समस्या के ऊपर इस सदन में विचार-विमर्श हो रहा था, सदन के कई माननीय सदस्यों ने जोर दिया कि अब राजस्थान में किसानों के मस्तिष्क में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए लैंड रिफॉर्म्स के कारण बनने वाले कानूनों के जरिये, काश्त के सम्बन्ध में बनने वाले किन्हीं प्रकार के कानूनों के ज़रिये अगर कोई अनिश्चितता है, तो उस अनिश्चितता को समाप्त करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, यह एक प्रकार की नज़ीर होगी, एग्ज़ाम्पल होगी, राजस्थान में इस प्रकार कि किस प्रकार काश्तकारों के हक-हक़ूक को बिना कम्पन्सेशन दिये छीन लें और अगर यह नज़ीर आज चाहे राजस्थान कैनाल एरिया में लागू की जाय, कल इसका विस्तार हो सकता है और राज्य सरकार कभी किसी डेवलपमेंट स्कीम का नाम लेकर, किसी नहर को खुदवाने की योजना बना कर, किसी तालाब को बनाने की योजना को सामने रखकर उस क्षेत्र में रहने वाले काश्तकारों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर लेगी, जिस व्यवस्था के अनुसार उन लोगों ने जो जमीन का डेवलपमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट उस पर किया है, उस पर राइट्स एक्रयू होने के बाद जमीन को बनाने के अन्दर मेहनत की है, वह सारी मेहनत, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा इन्वेस्टमेंट के द्वारा किया हुआ डेवलपमेंट को गौण रखा जाय और सरकार विकास के अन्दर सब चीजों को शामिल करना चाहती है, इसलिए उनके राइट्स छीन लिये जायं। यह कहना पड़ेगा कि एक तरफ कानून द्वारा काश्तकार को अधिकार देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अधिकार का वातावरण बना कर, उस अधिकार को काश्तकार से वापिस ले लेना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की भावना किसानों के दिमाग में जम नहीं सकती, और जम नहीं सकती तो उसका असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा और प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा तो काश्तकारों की बहबूदी पर असर पड़ने वाला है। मैं इस बात को समझ नहीं सका कि जहां हम छोटे से छोटे हक-हक़ूक अगर किसी के लें, उसके लिए लैंड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत कम्पन्सेशन देते हैं माननीय उपाध्यक्ष, उस खातेदारी की जमीन जो खातेदारी उसको प्राप्त हो चुकी है, उसको लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के मातहत ले लिया जाय, सार्वजनिक मामले के लिए, तो जहां हमने कानून के अन्तर्गत किसी

(श्री भैरोंसिंह)

की जमीन या प्रोपर्टी पर अधिकार करें तो कम्पन्सेशन देते हैं, कम्पन्सेशन की व्यवस्था बना रखी है, उसके अनुसार कम्पन्सेशन देते हैं। लेकिन यह प्रश्न आया, यह एक काश्तकार का प्रश्न नहीं, बहुत से काश्तकारों का प्रश्न है, तो सरकार का खजाना, मैं समझता हूँ, जिन काश्तकारों के पैसे से भरा, उनके लिए खजाना खाली होता जा रहा है। आज काश्तकारों की पूंजी से दूसरे लोगों को कम्पन्सेशन दे सकते हैं, दूसरे के मकान को गवर्नमेंट ले, किसी की जमीन को ले, जमीन में खड़ी फसल को खरीदे. गवर्नमेंट द्वारा किसी प्रकार की चीज पर अधिकार किया जाय, तो उसके लिए काश्तकारों के खजाने से कम्पन्सेशन देने की व्यवस्था सरकार करती है, लेकिन अगर काश्तकारों के हक हकूक लिये जायेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए, काश्तकारों का खजाना उन्हीं के लिए खाली होता है। अब यह प्रश्न आता है कि एक कानून के अन्तर्गत, एक व्यवस्था के अन्तर्गत दो आदमियों के साथ, दो वर्गों के साथ किस प्रकार अलग अलग कार्यवाही करते हैं। अगर लैंड एक्वीज़िशन की मन्शा है कम्पन्सेशन देने की, अगर जमीन प्राप्त करें, अगर भावना यह है कि किसी के हक हकूक, मालिकाना हकूक, खातेदारी राइट्स...

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon. Member will speak on the question please.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया जाय, डिलीट नहीं किया जायगा तो कम्पन्सेशन का प्रश्न आयेगा। अगर कम्पन्सेशन का प्रश्न नहीं है तो इस प्रश्न को एड किया जाय, और अगर एड नहीं किया जाता है तो काश्तकारों के साथ अन्याय होगा। मैं निवेदन कर रहा था कि हम दो वर्गों के लिये डिस्क्रिमिनेटली लॉ बनाना चाहेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं हो सकेगा और इस स्थिति के अन्दर मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन पेश किया है, उस संशोधन को स्वीकार कर लें तो उस संशोधन की मन्शा होगी कि जिस तरीके से आज जो हम कानून बनाते हैं, तो उसके अनुसार आज किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार मिला है, वह छीन लिया जायगा। जब यह संशोधन पेश किया है, उसके बाद खातेदारी राइट्स मिलेंगे नहीं, उसके पहले जिनका अधिकार हो चुका है, उसका अधिकार नहीं छीना जायगा और अगर छीना जायगा तो उसको कम्पन्सेशन देने की व्यवस्था की जायगी और चूंकि व्यवस्था नहीं है. इसलिए मैंने संशोधन पेश करके यह चाहा है कि उनके अधिकारों पर कुठाराघात न हो। इसलिए मैंने जो संशोधन पेश किया है, मैं समझता हूं कि मेरे इस संशोधन का सदन के माननीय सदस्य समर्थन करेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आज जिन काश्तकारों की वजह से हमको यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन काश्तकारों के हकों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, उन काश्तकारों से हमने यह बात नहीं कही थी कि उनके जो हक होंगे उनको मिटायेंगे, जो अधिकार उनके कानून में होंगे उन पर कुठाराघात करेंगे। अगर यह बात काश्तकारों के दिमाग में होती कि जो कानून बनाने जा रहे हैं, उससे उनको जो अधिकार दिये हुए हैं, जिन कानूनों के जरिये अधिकार मिला

Page No.51

(श्री लक्ष्मीचन्द)

हुआ है, उन पर कुठाराघात किया जायगा तो यहां आज दिन बैठने को नहीं मिलता। एक तरफ तो हमारी सरकार कानून बनाती है....

श्री उपाध्यक्ष मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन है उसका थोड़ा मुलाहिजा किया जाय और फिर वाद-विवाद किया जाय सारे स्कोप पर, सारे प्रिन्सिपल्स पर आप बोलना चाहें........

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं संशोधन पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आते आते आप आधा घंटा ले लेते हैं तो जरा मुश्किल होती है, और कोई बात नहीं है।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : कानून के अन्दर यह रखा गया है कि जो अधिकार इनको दिये हुए थे, उनको नहीं मिल पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इन काश्तकारों के दिमाग में यह बात होती कि जिस जमीन पर काश्त करेंगे उसका अधिकार नहीं दिया जायगा तो मुमकिन है कि उस जगह काश्त करने के लिए वे तैयार नहीं होते। उन्होंने उस जमीन को काश्त करके उपजाऊ बनाया है, क्योंकि उनके दिमाग में था कि सरकार इसके पर्मानेंट खातेदारी अधिकार देगी। अगर कानून के जरिये खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जायेंगे तो इस प्रकार की जमीन को उपजाऊ क्यों बनायेंगे? ऐसी स्थिति के अन्दर उनको टेम्पोरेरी राइट्स दे रही है, कल को आप कह सकते हैं कानून के द्वारा, बहुमत के द्वारा कि हम खेत से निकाल देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त उनके दिल में सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहता, सरकार क्या करेगी, किस प्रकार के कानून बनायेगी किस कानून के द्वारा विश्वास प्राप्त करेगा। आज विश्वास का सवाल नहीं है क्योंकि एक तरफ उनको जमीन दी जाती है दूसरी तरफ क्या करते हैं कि उनको टेम्पोरेरी अधिकार दिए जा रहे हैं। बगैर अधिकारों के वे विश्वास कहां तक प्राप्त करें क्यों कि किसी प्रकार के टेम्पोरेरी अधिकार दिये जा रहे हैं, वे सुरक्षित नहीं होंगे। कल को इस प्रकार का कानून सरकार बना सकती है, सरकार की मेजोरिटी है, बहुमत की ताकत है, उसके जरिये उनको वहां से रिमूव कर सकती है। इस कानून के अन्दर इस किस्म की व्यवस्था नहीं है, जो खातेदारी अधिकार है, वह खातेदारी अधिकार उनको नहीं दिया जायगा और जिस वक्त रिमूव किया जायगा, जमीन छुड़ाई जायगी, उस जमीन को किस तरह के लोगों में अलॉट किया जायगा, उस वक्त इस जमीन के प्रति जितना उनका खर्चा हुआ है, जिस किस्म की मुसीबत उनको हुई है, जमीन को उपजाऊ बनाने में इन्वेस्टमेंट हुआ है उस वक्त उसे कौन बर्दाश्त करेगा? क्या सरकार बर्दाश्त करेगी? सरकार इसको दिलाएगी तो हमें विश्वास हो कि सरकार हमें किसी तरह आबाद करना चाहती है। पर सरकार बहुमत के जरिये इस प्रकार की भावना लाकर हमारे साथ अन्याय करने पर तुली हुई है तो हम कैसे विश्वास करें कि सरकार हमें पुनः बसाने की योजना करती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। श्री भैरोंसिहजी ने जो संशोधन रखा है, उसके लिए माननीय सदस्यों से और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (जोबनेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में...

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा विषय है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जो भैरोंसिंहजी ने संशोधन रखा है...

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन तनसिंहजी ने और भैरोंसिंहजी ने रखे हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : (जारी) दोनों के बारे में ही। यह समय है कि राजस्व मंत्री महोदय इसका विचार करें, इसको आगे बढावें। ऐसे मामले में एक डेमोक्रेसी के समय में बहुत बड़ी उथल-उथल काश्तकार के दिल में बढ़ जायगी और यह ठीक नहीं रहेगा। राजाओं और जागीरदारों को कहा जाता था कि काश्तकारों का हित करें, जिद्द का सवाल न रखें, पर आज डेमोक्रेसी के समय में जहां डींग मारी जाती है कि काश्तकारों का सबसे पहले हक माना जायगा, काश्तकारों और सरकार के बीच में कोई भीत नहीं रहेगी, इस चीज को लाना ठीक नहीं रहेगा और इसलिए मैं माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इस पर पूरा विचार करें और फिर लावें।

श्री अनूपसिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि इस पर काफी विचार हो चुका है, फिर भी मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा इन्नोसेंट अमेंडमेंट है, जैसा मन्त्री महोदय कई बार इन्नोसेंट बिल कह कर उन्हें पास करा लेते हैं, तो इसी तरह मैं यह कहना चाहूंगा कि उसी तरह का इन्नोसेंट संशोधन इधर के माननीय सदस्य ने रखा है, इसे पास कर देना चाहिए। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है : "Provided that this section shall not apply to any person who has been personally cultivating such land since the commencement of this Act" be added. मेरे ख्याल में इस संशोधन को मान लेने में मन्त्री महोदय को क्या एतराज हो सकता है, at the top of their voice हर एक आदमी कहने का मतलब रखता है, 'That the land must belong to the tiller'

टिलर के लिए है तो लिखा हुआ है : "Provided that if the land is personally cultivated by a porson, it should not be taken away from him or it should not be deemed as only temporary." इसमें टंटा क्या रह जाता है कि वाद-विवाद करने की जरूरत पड़े ? १९५५ से पहले किसी का उसमें कब्जा है, कल्टीवेशन है तो उसको हक होना चाहिए कि अब भी अपने खातेदारी राइट्स एक्वायर कर लें। उसके खातेदारी राइट्स को तो न लें। This is the fundamental principle of our tenancy... इस टिनेन्सी एक्ट के फंडामेंटल रूल को नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे ? हो सकता है कि खरीद कर दूसरे को दे देता है और आराम से बैठा बैठा खाना चाहता है तो उससे अगर आप जमीन ले लें तो कोई बात नहीं, ऐसे आदमी जिन्होंने अपनी जमीन किराये पर उठा रखी है, उनके ऊपर आघात करें, तो उनका उस जमीन पर टेम्प्रेरी कब्जा मानें तो ठीक है, पर जो काश्तकार खुद काश्त करता है, पैसा लगाता है, उस जमीन का इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपना पसीना बहाता है, अपनी जमीन समझ कर कृषकों को, जो उस पर मोह हो जाता है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि यह तेरी टेम्प्रेरी चीज़ है, उस जमीन पर से तुझको किसी दिन उठाया जा सकता है। मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह (संशोधन) बहुत इन्नोसेंट है इसे उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए; जैसे वे किसी बिल के बारे में कहते हैं कि बड़ा इन्नोसेंट बिल है, उसी प्रकार यह

(श्री अनूपसिंह)

इन्नोसेंट संशोधन है, इसे उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए।

इसके बाद श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है : "Delete the words, and shall be deemed always to have deen omitted' occuring in the last two lines." इससे सिर्फ इतना ही मकसद है कि यह जो कुछ भी हमारा संशोधन है इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न हो, १९५५ से पहले इसका असर न हो। जिसने ५५ में जमीन को अपनी जमीन समझ कर पैसा लगाया है, मेहनत की है, तो ५५ से पहले का हक रहना चाहिए, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होना चाहिए।

ये दोनों चीजें बहुत इन्नोसेंट हैं और इन्नोसेंट कभी कभी इधर से भी आ जायं तो मन्त्री महोदय को उन्हें स्वीकार करने में एतराज नही होना चाहिए।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्लॉज़ २ में श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो खुद अपने हाथों से काश्त करता है उसको हक्क खातेदारी से अलग नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तव में कोई एक सिद्धान्त मान कर हमें चलना पड़ेगा। आज तक हम कहते आये हैं, "जमीन किसकी, जो बोवे उसकी" पर इसमें रेवेन्यु मंत्रीजी की तरफ से जवाब मिलेगा कि हम जमीनें थोड़े ही छीन रहे हैं, हक्क खातेदारी से इन्कार करते हैं, जहां कि नहर आने वाली है।

पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान कैनाल पांच-सात साल बाद आयेगी। जमीन छीन ही रहे हैं, इसके लिए तो हम भाखरा में खमियाजा उठा चुके हैं, वहां टेम्प्रेरी के नाम से जमीनें ली गई हैं और ली जा रही हैं, तो आगे के लिए क्या भरोसा है कि जमीन नहीं ली जायगी, जमीनें तो ली जा रही हैं और टेम्प्रेरी के नाम से जमीनें ली जायंगी, छीनी जायेंगी। पानी अभी नहीं आ रहा है तो ५० बीघा जमीन छोड़ी जायगी, इससे किसान का गुजर कैसे होगा, इसलिए कहा गया है कि जो खुदकाश्त करता है उससे जमीन न छीनी जाय। वास्तव में जहां खाद्य समस्या हिन्दुस्तान में इतना विकट रूप धारण कर चुकी है तो इस हालत में किसानों को खेती से हटाने का इस प्रकार का कानून पास करना कि जिससे उसके दिल में इस प्रकार की भावना पैदा की जाय कि वह उस जमीन पर इम्प्रूवमेंट क्यों करे, वह जमीन उसकी नहीं है, उस जमीन पर से उसे हटा दिया जायगा तो फिर अन्न कैसे पैदा होगा।

तो, खेत जो काश्त करता है, जो खुद जमीन को कल्टीवेट कर रहा है उस किसान को तो कम से कम उस जमीन पर हक्क दे दिये जाने चाहिए। राजाओं के जमाने में भी किसानों के जमीन पर हक्क हुआ करते थे, २० साल बाद किसान को उस जमीन पर हक मिल जाते थे, आज जिन किसानों को चालीस-चालीस वर्ष एक जमीन पर काश्त करते हो गये हैं उनको उस जमीन पर हक्क नहीं मिलें तो यह उचित नहीं होगा। आज आजाद हिन्दुस्तान में तो इस प्रकार के राइट्स से उनको महरूम नहीं करना चाहिए।

उस जमीन पर उसे खातेदारी राइट्स मिल जाने से वह ज्यादा काश्त कर सकेगा और ज्यादा अन्न उपजा सकेगा। इसलिए श्री तनसिंहजी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

Page No.54

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ। राजस्थान सरकार ने अपनी जो नीति इस सम्बन्ध में निर्धारित की है, मैं समझता हूँ कि यह संशोधित बिल लाया गया है वह उस निर्धारित नीति के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि राजस्थान कैनाल एरिया में खातेदारी राइट्स क्यों न एक्रयू हों उसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने कोई रीज़न्स अपने स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में नहीं बताये और यही कहा है कि उनको टेम्प्रेरी समझा जावे। इसका किस क्लाज पर ज्यादा इफेक्ट होता है उस क्लाज को भी ध्यान में रखना है। जिस समय हमारे सामने कोलोनाइजेशन बिल आया था तब माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि जहां पर लैंड ज्यादा है और प्रेशर कम है वहां पर लैंडलेस टिनेन्ट्स को बसाया जावेगा और जहां पर लैन्ड पर ज्यादा प्रेशर हैं वहां से हटाया जावेगा। इसलिये उनको कैनाल एरिया में रीहेबिलिटेड कर रहे हैं और उन्हें जमीने दे रहे हैं। उस समय उनकी यह दलील थी और उन्होंने लोगों को बसाया। जब आप किसी व्यक्ति को कहीं बसाना चाहते हैं तो फिर उनको खातेदारी राइट्स, जिस रेट से उनको रीहेबिलिटेड किया, क्यों नहीं देना चाहते? आपको उन्हें उसी दिन से खातेदारी राइट्स देने चाहिये। हो सकता है कि जमीन उन्होंने ले ली हो और जमीन को खुदकाश्त नहीं कर रहे हों, वे वहां जाकर बसे नहीं हों और उन्होंने किसी दूसरे को बेच दी हो। मगर इस एक्ट में जो अमेन्डमेंट से गवर्नमेंट की यह मंशा हो तो वह पूरी नहीं होती। अगर बेच दी हो तो, इस प्रकार की कार्यवाहियों से रोकने के लिये आप अलग से कन्डीशन ला सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की जमीन को बेच देगा या वहां पर नहीं बसेगा या खुदकाश्त नहीं करेगा तो उनको खातेदारी राइट्स नहीं दिये जावेंगे, तो यह आपकी दलील हो सकती थी। लेकिन वे लोग जो बदस्तूर अपनी खेती वहां पर कई वर्षों से करते आ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि फिर ऐसी इनसीक्योरिटी क्यों की जावे? उसके बाद टिनेन्सी कानून बनाया। मैं समझता हूं कि उसकी भी जो निर्धारित नीति है उसके भी यह विपरीत जाता है। टिनेन्सी एक्ट के अनुसार आपको टिनेन्ट्स को एक प्रकार से सिक्योरिटीज़ ऑफ लैन्ड देनी चाहिये ताकि वे उस जमीन पर सुधार कर सकें, मगर आप इस प्रकार का कानून पास करके इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रखते हैं। यदि टिनेन्सी के मुताबिक आप देना चाहते हैं तो आप किसको खातेदारी राइट्स देना चाहते हैं? जो पर्सनली कल्टीवेट करते हैं उनको खातेदारी राइट्स आप नहीं देते, सब-टिनेन्ट को आप नहीं देते तो फिर कैनाल एरिया में ऐसे कौन से आदमी हैं जिनको आप इस प्रकार के राइट्स देना चाहते हैं? जिन लोगों के पास पुरानी जमीनें होंगी और उन्होंने खातेदारी राइट्स एक्रयू कर लिए हैं उनके लिए क्या होगा? उनको भी इस प्रकार के राइट्स नहीं होंगे। आपको चाहिये कि आप पूरी तरह से काश्तकारों को इस प्रकार के हक दे दें जिससे वे उस जमीन पर मनमाने सुधार कर सकें और उसका फायदा उठा सकें और वे तभी फायदा उठा सकते हैं जब आप उनको टेन्योर की सिक्योरिटी दें। आप इस प्रकार के वर्ड्स यहां पर एड करके उनकी पोजिशन को इनसिक्योर करते हैं। आपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कुछ नहीं बताया कि इसके क्या कारण हैं। कोई कारण हैं तो राजस्व मन्त्री को ही मालूम होंगे।

(श्री श्रीमानसिंह)

मगर सर्फेस से तो कुछ पता नहीं चलता। जनरली १५ ए में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को उन आदमियों को रीस्युज, किया जा रहा है जो क्लेमेन्ट हो चुके हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आये हैं उनका मैं विरोध करता हूं। यह एक धारणा बन गई है कि जो जमीनें अलॉट की गई हैं या काश्त करते हैं उससे उनको बेदखल कर दिया जायेगा। मेरे ख्याल से इस तरह की कोई धारणा। नहीं है। सरकार की यह धारणा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो लैन्डलेस है, बसाया जावे। जिस जमीन की कोई कीमत नहीं थी और जिन लोगों के पास काफी जमीन पड़ी है वह टेम्पोरेरी तौर पर दी जावेगी, ताकि कोई खातेदारी राइट्स नहीं होंगे। इस वजह से यह अमेन्डमेंट लाया गया है। दूसरी बात, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य के अमेन्डमेंट को यदि माना जाता है तो सारा मतलब बदल जाता है। पर्सनल कल्टीवेशन में उसके कुटुम्ब के आदमियों द्वारा या किसी मजदूर द्वारा किसी भी तरह से कल्टीवेट कराना आ जाता है और किसी व्यक्ति के पास १०० या २०० बीघा जमीन है तो जिस पर्पज़ के लिए यह बिल लाया गया है वह पर्पज़ डिफीट हो जाता है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने यह घोषणा करदी है कि जितनी भूमि वे रख सकते हैं जितने कानून न उनको रखने का अधिकार है, इससे ज्यादा जमीन जरूर ली जावेगी।

श्री पो० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि बिल में जो अमेन्डमेन्ट प्रपोज़ किया है उसका नतीजा यह होता है कि कानूनी ढंग से, कानून के मातहत जिनको १९५५ में, अक्टूबर में, खातेदारी राइट्स एक्रयू हो गये, उनको आज हम डिस्टर्ब करते हैं, उनके खातेदारी राइट्स को हम छीनते हैं। बीच में पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के सिलसिले में माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि कानून में ऐसा नहीं हुआ है, जब कि ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को आप पढ़ेंगे तो देखना पड़ेगा। आप इस बात को मानते हैं और आपका प्रिन्सिपल है कि १५ अक्टूबर, १९५५ के जो टिनेन्ट होल्डर्स हैं उनको खातेदारी राइट्स एक्रयू हो जाते हैं। खातेदारी राइट्स प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं। उसका मतलब यह नहीं होता कि हमारे पोकेट में रहे या मुट्ठी में रहे और हम उसको मुट्ठी में लेकर फिरें। उनको ये राइट्स नहीं होंगे कि वे उस जमीन को बेच सकते हैं। यह मैं मानता हूं कि जमीन सरकार की होती है और मानी जाती है, लेकिन जो उस पर सोइल है उसके मालिक बनते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि उसको उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जमीन का इन्टरेस्ट और बेनिफिट्स जो हों तो इसमें दो इफेक्ट होते हैं, एक तो यह होता है कि जिसको ऑलरेडी खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं, एग्ज़िस्टिंग लॉ के मुताबिक, उनके लिए क्या यह बात ठीक होगी कि आज उनके हकों को छीना जा रहा है और किसी को भी प्रोपर्टीशिप का राइट है चाहे वह खातेदारी का हो या किसी कम्पनी के शेयर्स का हो। तो किसी कम्पनी के शेयर्स खरीदते हैं तो यह नही होता है कि हम उसके मालिक बन जाते हैं। मगर होता यह है कि उसमें हमारा भी शेयर होता है और कम्पनी के जो डाइरेक्टर्स होते हैं, यह अपनी गुडविल रखते हैं। इसका

Page No.56

(श्री पी०के० चौधरी)

मतलब यह नहीं हुआ कि गुडविल कोई टेन्जीबल चीज़ है, लेकिन उसमें इन्टरेस्ट रहता है और जो यह इन्टरेस्ट है यह कॉन्स्टीट्यूशन में भी है। हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में एक क्लॉज़ ३१ है वह गवर्नमेंट की पॉवर्स को लिमिट करता है। प्रोपर्टी का मतलब इसमें साफ एक्सप्लेन किया है।

"An interest of a person in the property."

इन्टरेस्ट उसमें रहता है। जिस इन्टरेस्ट से कोई फायदा मिलता है वह भी एक किस्म की हमारी प्रोपर्टी है और उसके ऊपर हमारा हक हो जाता है और उसको प्रोपर्टी मानते हैं। तो यह जो पॉइन्ट माननीय सदस्य ने उठाया है :

"Properties moveable or immovable including any interest "

जब हम किसी की कोई चीज एक्वायर करते हैं तो हम उसके इन्टरेस्ट को तो छीन लेते हैं :

"Whether we are dispossessing him of that interest."

तो इसलिए मेरा तो निवेदन यह है कि यह जो अमेन्डमेन्ट है उसको मंजूर करना चाहिए जो माननीय सदस्यों ने पेश किया है इस कानून में किया जाये, ताकि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न हो और अगर इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो यह मोरेल्ली अनजस्ट होगा, क्योंकि किसी भी लेजिस्लेशन को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने में कुछ कॉमप्लीकेशन्स पैदा हो जाते हैं

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो दो अमेन्डमेंट्स पेश किये हैं मैं इन दोनों का विरोध करता हूँ। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए यह बात जानना जरूरी है और माननीय सदस्यों का यह ख्याल है कि वहां बहुत से काश्तकार रह रहे हैं या बहुत कुछ लोग वहां आबाद हो गये हैं। वास्तव में यह बात नहीं है। वह एरिया ऐसा है कि आज भी वह बिल्कुल रेगिस्तान का एरिया है। राजस्थान कैनाल आने के बाद में यह एरिया इर्रिगेट होगा और उस वक्त पोजीशन यह होगी कि जो काश्तकार बारानी कल्टीवेशन करता है वह दो-दो और तीन तीन सौ बीघा तक कल्टीवेट करता है और वह सब कल्टीवेशन वह टेम्पोरेरी तौर पर करता है। वह उस जमीन को तीन–चार साल काश्त करने के बाद छोड़ देता है क्योंकि उस जमीन की प्रोडक्टिव केपेसिटी खत्म हो जाती है। इसलिए सारा का सारा एरिया टेम्पोरेरी कल्टीवेशन का है। किसी ने भी उस जमीन को मुकम्मिल तौर पर काश्त करने के लिए नहीं ले रखा है। तो आप क्या यह चाहते हैं कि वह तीन-तीन सौ और चार-चार सौ बीघा जमीन इर्रिगेट अब करे और चार-चार सौ बीघा जमीन का एक ही आदमी खातेदार हो जाये तो आप जरा पोज़ीशन का ख्याल करिये ?

श्री पी० के० चौधरी : आपका सीलिंग तो रहेगा ही।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या चीज़ ?

श्री पी० के० चौधरी : Ceiling will be there.

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह समझ रहे हैं कि उस एरिया के अन्दर किसी काश्तकार को कोई राइट्स मिल रहे हैं और मिले हुए हैं उनको लिया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि वहां पर किसी का कोई राइट नहीं था और न किसी का राइट लिया जा रहा है। बात यह है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है और इतने करोड़ रुपये

Page No.57

(श्री दामोदरलाल व्यास)

खर्च हो रहे हैं तो उस जमीन को किस तरह से अलॉट करना है। यह ऑल इण्डिया प्रोजेक्ट है, यह केवल राजस्थान का ही नहीं है और इसमें जब इतनी बड़ी जमीन इर्रिगेट होगी तो उसके कोलेनाइज़ेशन का तरीका सोचना पड़ेगा और लेण्डलैस टिनेन्ट्स को किस तरह से जमीन देनी पडेगी, उसका पहले से प्लान बनाना पड़ेगा। आप यह कहें कि जिस समय यह जमीन इर्रिगेट हो उस समय यह चार-चार और पांच-पांच सौ बीघा जमीन की खातेदारी एक ही आदमी के पास आ जाये तो फिर भूमिहीन लोगों को भूमि कहां से देंगे? इसलिए यह जरूरी है कि जितना भी मेजर प्रोजेक्ट एरिया है वहां की जमीन के लिए राइट्स सुरक्षित रखे जायें और खातेदारी राइट्स किसी को नहीं दिये जायें। आपने भाखरा का एरिया देखा होगा, वहां जो लोग पहले से काश्त कर रहे थे उनको वहीं पर जमीन अलॉट करने में प्रायोरिटी दी गई है। अलॉटमेन्ट के अन्दर उनको सबसे पहले हक दिया गया है कि उनको ही वह जमीन सबसे पहले मिलेगी। मैं नहीं समझता कि जो दो अमेण्डमेन्ट्स माननीय समस्यों ने पेश किये हैं इनको मन्जूर कैसे किया जा सकता है।

श्री मदनसिंह : आपके कम्पेन्सेशन देने में क्या हर्ज है जब कि करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो थोड़े से आदमियों को तो मामूली रुपया आप दे सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब वह कम्पन्सेशन गैर-वाजिब है तो कैसे दिया जा सकता है। कम्पेन्सेशन कोई वाजिब नहीं होता है, इसलिए कम्पन्सेशन देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसलिए जो दो माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं उनको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वही पुरानी दलील दी गई है कि वहां किसी का कोई अधिकार ही नहीं था। १६५५ में जब टिनेन्सी एक्ट का कानून पहले पहल आया, उस समय माननीय मंत्री महोदय ने कहा था और अब भी वह मंजूर करते होंगे कि दफा १५ के मुताबिक जो काश्त करता था उसको टिनेन्सी अधिकार मिल गये हैं। उस समय उनके ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि १६५५ से पहले जो काश्त करते थे उनको खातेदारी के अधिकार मिले और उसके बाद में नहीं मिले और अब जो आपने पेश किया है उसके मुताबिक तो पीछे वालों के भी आपने अधिकार ले लिये। आपका यह कहना कि अधिकार नहीं था यह बात बिल्कुल गलत है। हमने सन् ५५ में यह अधिकार दे दिये थे, अक्टूबर में तो उनके अधिकारों से वंचित हो जाने पर आप उनको कम्पेन्सेशन देना वाजिब नहीं समझते हो। मैं नहीं समझता हूँ कि हमने एक बार चाहे गलती से किसी को खातेदारी राइट्स दिए तो अब उनसे क्यों छीना जाये? इससे तो अच्छा था कि जब कि हमारी सरकार को यह मालूम था कि हमें आगे जाकर कॉलोनाइज़ेशन करना है तो उसी दफा १५ के अन्दर एक प्रावधान रख देते कि ऐसे अधिकार नहीं दिये जायेंगे तो अच्छा था, लेकिन उस समय तो जोश था कि हम सब काश्तकारों को एक समान धरातल पर सोचते हैं। इस जोश में जो कानून रखा गया उसमें ऐसा संशोधन होता तो वह उस समय पास हो जाता और आज यह दिक्कत हमारे सामने नहीं आती, लेकिन अब धीरे

(श्री तनसिंह)

धीरे ऐसा कानून आ रहा है। लेकिन यह कहना कि अधिकार नहीं था, यह तत्वों से परे बात है। दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष, यह कही गई कि हमारे सामने कोलोनाइज़ेशन का प्लान है जिसको तय करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् ५५ में हमने एक कानून बनाया और आज ५८ है, तीन साल तक हम कोलोनाइज़ेशन प्लान नहीं बना सके तो फिर हम कैसे उम्मीद करें, कितने वर्षों तक उम्मीद करें कि इसकी कोई सम्भावना भी है।

इसके अलावा माननीय मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि वह जमीन ४०० या ५०० रुपया पर बीघा लेकर बांटी जाय, यह उचित नहीं। लेकिन जमीन अलॉट करते समय निश्चित मिकदार से ज्यादा भूमि नहीं दी जा सकती, यह प्रावधान भी इस पर लागू हो सकता है। चाहे, ५.१०, १५,४० रु० बीघा मिलता है तो जब आपने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का सिद्धान्त स्वीकार किया है वह सिद्धान्त तो यहां हम एप्लाई नहीं कर रहे हैं। वैसी हालत में कोलोनाइज़ेशन की आड लेकर कानून पास करवाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। आपका यह कहना है कि लैन्ड लेस टिनेन्ट वहां जायेंगे, मेरा यह निवेदन है कि टिनेन्ट कोई लैन्डलेस होता नहीं, लेकिन बेकार जो लोग होते हैं उनको टिनेन्ट्स का नाम देकर बसाये जाने की इसमें बात है। जो लोग काश्त करते हैं, जिनको काश्त करने का ज्यादा अनुभव है, जो इस प्रकार की भूमि को ज्यादा डेवलप कर सके। आज हो क्या रहा है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है, ठीक प्रकार से इसका हल ढूंढा नहीं जा रहा है, इसलिए बेकारी की संख्या शहरों में बढ़ती जा रही है; उसको देखते हुये सरकार यह चाहती है कि जमीन के टुकड़े टुकड़े कर लोगों को दे दी जाये, लेकिन इकोनोमिक पॉलिसी के लिए और खाद्य समस्या के लिये यह ठीक नहीं। "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के लिए भी यह उपयुक्त नहीं। आप उन लोगों को नौकरी दे नहीं सकते, आप उद्योग-धन्धे पनपा नहीं सके, वैसी हालत में गावों में जाकर हमला करते हैं और वहां जो भूमि है उसको उनमें बांट देना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग किया हुआ नहीं है, यह आबादी तो उसी रफ्तार से बढ़ती जायगी। आज पांच वर्ष के बाद फिर उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसका उपाय आज आप सोच नहीं रहे हैं। हमारी सरकार पहले किसी मामले पर सोचती नहीं, जब समस्या सिर पर चढ़ जाती है तब उस समस्या का हल ढूंढती है। तारीफ तो इसमें है कि समस्या का समाधान समस्या उत्पन्न होने से पहिले ही सोच लिया जाय ताकि हर प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला करने को तैयार हो सकें। बेकारी की समस्या को लैंडलेस टिनेन्ट का नाम देकर गावों में उनको आप बसाना चाहते है उससे आप आंकड़ों द्वारा तो यह बता पायेंगे कि हमने बेकारी किसी हद तक कम कर दी लेकिन इस प्रकार से जो बेरोजगारी मिटाई जाती है उससे देश समृद्धिशाली नहीं बनता, अन्न को अधिक उपजा नहीं सकते। इन सब परिस्थितियों को देखते हुये माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह हमें कनविंस नहीं करा सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अमेन्डमेंट को सदन के सामने रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह ; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने जो दिया है वह केवल पहले जो कुछ कहा गया उसका रिपीटेशन मात्र है

Page No.59

(श्री भैरोंसिंह)

और उस रिपीटिशन का पहले जवाब दे चुका हूँ, उसको फिर से दोहराना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । इसलिये मैं अपने संशोधन को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : दी राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल के क्लाज २ में जो किया श्री तनसिंह ने रखा है उसे स्वीकार जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकृत किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्स थर्ड अमेन्डमेन्ट बिल के क्लॉज़ २ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अङ्ग बना

(विराम)

क्लॉज़ ३, श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I beg to move, that the word '100' be substituted by '50' occuring in the second line of sub clause (5) part (i)."

उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह कानून सामने आया था उस समय ऐसा लग रहा था कि हमारी सरकार को काश्तकारी विरोधी मनोवृत्ति धीरे-धीरे बनती जा रही है । पहले काश्तकारों को जो हक-हकूक थे उसके लिये सदन व्यवस्था की थी कि साधारण नागरिक की भी जमीन ली जाय तो उसको कम्पेन्सेशन दिया जाता है । जिस किसी के भी राइट्स लिये जाते हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाता है । लेकिन हमारे राजस्व मन्त्रीजी की पहले कृपा हुई वह यह कि इनकी जमीन बिना मुआवजे ही छीनी जाय, अब उसके साथ साथ अब दूसरा वार काश्तकारों पर शुरू हुआ । राजस्थान के काश्तकारी के कानून में एक क्लॉज़ है ८६, जिसकी मन्शा यह है :

"Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any the terms, condition or restrictions of a licene granted there under shall be punishable—

(a) in the case of a first contravention with fine which may extend to one hundred rupees, and

(b) in the case of a second or subsequent contravention with fine which may extend two hundred rupees"

माननीय राजस्व मन्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किया है उस संशोधन की मन्शा यह है कि पहले वाले कानून के अनुसार :

"In the case of first contravention fine which may extend to one hundred for one contravention.........."

जो लाइसेन्स की शर्त है उन लाइसेन्स की शर्तों के विपरीत आचरण करने पर काश्तकार को सौ रुपये तक की सजा दी जा सकती है । मुझे यहां पर यह बताना पड़ेगा, लाइ-

Page No.60

(श्री भैरोंसिंह)

सेन्स किसबात का है ? राजस्थान काश्तकारी कानून के अन्तर्गत काश्तकारों को भूमि [redacted] अधिकार दिया है ,उसके साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि काश्तकारों के अधिकृत भूमि में जितने भी पेड़ होते हैं उन पर उनका अधिकार होगा "for his domestic and agricultural purposes."

इस प्रकार की भूमि में बिना किसी प्रकार की आज्ञा के पेड़ काट सकता है और वह अपने काम में ले सकता है । लेकिन दूसरी धारा के अन्दर यह व्यवस्था की है कि अगर इस व्यवस्था के उपरान्त किसी को पेड़ काटने हों तो उसको तहसीलदार से लाइसेन्स प्राप्त करना होगा, उसकी कुछ शर्तें हैं उनके खिलाफ कोई करता है तो उसको सौ रुपये तक की सजा दी जायगी । पहले जो धारा थी उसके अनुसार केवल सौ रुपये की सजा दी जायगी किन्तु नई व्यवस्था के अनुसार एक दरख्त के लिये सौ रुपये तक की सजा दी जा सकती हैं चाहे वह पेड़ छोटा हो, मोटा हो, पीपल का हो, बम्बूल का हो, छाया-दार हो, किसी काम का हो या किसी काम का न हो, उस पर सौ रुपये तक की सजा दी जा सकती है ।

एक माननीय सदस्य : चाहे वह पेड़ आकड़े का हो ।

श्री भैरोंसिंह (जारी) : आकडा इसमें नहीं आता । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन दोनों क्लॉजेज़ में एक संशोधन विधेयक का क्लॉज़ है उसमें मूल कानून के क्लॉज में अन्तर आया है । एक बार के कॉन्ट्रवेन्शन पर १०० रुपये की सजा दी जा सकती है, अगर किसी काश्तकार ने लाइसेन्स की शर्त के विपरीत एक पेड़ काट लिया तो और अगर चार-पांच पेड़ काट लिये तो इस व्यवस्था के मुताबिक वह सजा की मात्रा बढायी जा सकती है । जहां केवल सौ रुपये की सजा दे सकते हैं, वहां अधिकार दिया है उसके अनुसार ज्यों ज्यों पेड़ बढ़ते गये तो सजा भी और जुर्माने की मात्रा भी बढ़ती जायगी ।

२.१० म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

अब इसके पीछे, माननीय सभापति महोदय, एक आर्ग्यूमेंट है और वह समझ में भी आ सकता है कि एक आदमी एक पेड़ काट कर विपरीत आचरण करें उसको भी सौ रुपये की सजा और एक आदमी सौ पेड़ काट ले तो उसको भी यही सजा । यह इस प्रकार की सजा है कि जिसकी हर आदमी आलोचना कर सकता है और न्याय की दृष्टि से आपने इनमें भेद करना चाहा तो वह भी परिस्थिति के अनुसार करना पड़ेगा कि उसके द्वारा काश्तकार को नसीहत भी मिल जावे और उसके द्वारा जो कुछ नुकसान हुआ है उसके कैश के रूप में जुर्माना उस पर हो जावे, ताकि आइन्दा वह नुकसान न कर सके और जो जुर्माना वह दे वह भार स्वरूप भी न हो । ये दो बातें सामने रखीं । काश्तकार को लैसन (Lesson) देना और वह उस पर विशेष भार-स्वरूप न हो । यह अगर आपकी इच्छा है तो मैं यह सोचूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था यह संशोधन पूरा कर सकेगी ।

मैं राजस्व मन्त्रीजी से कहूंगा कि राजस्थान में हरे दरख्त बहुत ज्यादा काटे जाते हैं । उनका काटना नहीं रोका गया तो जमीन की फर्टिलिटी नष्ट हो जावेगी और फर्टिलिटी नष्ट हो जावेगी तो प्रोडक्शन कम होगा । काश्तकार की बहबूदी में फर्क आवेगा और जगह जगह पेड़ लगाने का आप जो आंदोलन

(श्री भैरोंसिंह)

करते हैं, उसके विपरीत भी लोग आचरण करने लगेंगे। ये सारी बातें समझ में आ सकती हैं। पर जहां मोटा सिद्धांत स्वीकार किया है कि जमीन काश्तकार की और जमीन पर जो इस प्रकार की प्रोपर्टी है, ट्रीज़ (trees) जैसी प्रोपर्टी है, उस पर भी काश्तकार का अधिकार। तो वैसी स्थिति में हमारी बहबूदी का ख्याल या काश्तकार की बहबूदी का ख्याल केवल सरकार ही करती हो, ऐसी बात नहीं है। काश्तकार स्वयं भी इसका पूरा ख्याल रखता है। वह न रक्खे, यह नहीं हो सकता। अगर आज काटता है वह, तो किसलिए? या तो कभी अनाज पैदा न हो या खेत की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो और अनाज का प्रोड्यूस कम हो और रुपये की उसको आवश्यकता हो, रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों को जुटाने के वास्ते। इन रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों को जुटाने का काम अगर वह खेत की प्रोडक्शन से पूरा न कर सकता हो, उस समय मजबूर होकर जिस पेड़ को छोटे से बड़ा किया है, बड़े स्नेह से और अपनेपन से उसको पाला पोसा है, उसकी रखवाली की है, उसको वह ऐसी मजबूरी हालत में काटता है। तो इसको कोई यह कहे कि बिज़नैस पॉइन्ट ऑफ व्यू से काट कर बाजार में ले जाकर बेचता है तो इस पर मैं स्पष्ट कहूंगा कि बिज़नैस की मेन्टेलिटी से पेड काटने वाले राजस्थान में वन परसेन्ट भी नहीं मिल सकते। जो अपनी आवश्यकता को जुटाने के लिए मजबूर होंगे, किसी दूसरे तरीके से नहीं जुटा पाते होंगे, जिसको पैदावार से उसकी पूर्ति नहीं होती होगी, वे ही मजबूरी से इन्हें काटते हैं।

आज राजस्थान में खाद्यान्न की समस्या है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की समस्या है बैलों को खरीदने की समस्या है और फिर न मालूम कब प्रकृति का क्या प्रकोप हो जाय, कब अति-वृष्टि या अनावृष्टि से किसान बर्बाद हो जाय, हवा चलती है तो अधिक तेजी से चलती है और जिससे एक स्थान से जमीन उड़ कर दूसरे स्थान पर चली जाती है और इस तरह से वाइटेलिटी जमीन की खत्म हो जाती है। इन सारी परिस्थितियों में हमें विचार करना पड़ेगा कि अनिश्चित परिस्थितियां राजस्थान के कृषक के सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कृषक के हाथ इस प्रकार से बांध दें और उसे तंग कर दें कि आवश्यकता पड़ने पर भी अपनी खुद की चीज का वह उपयोग नहीं कर सकता, तो यह अनुचित होगा।

राजस्व मन्त्री कहेंगे कि हमने व्यवस्था की है, लाइसेंस देने की व्यवस्था की है। पर वे स्वयं जानते होंगे और अगर नहीं जानते हों तो वे दांता रामगढ़, सेठों का रामगढ़, सीकर आदि तहसीलों में जावें। मैं इन तहसीलों के वास्ते कह सकता हूं कि मैं गया हूँ उनमें, और जगह तो गया नहीं। पर जहां गया वहां मैंने देखा कि पेड़ की इजाजत लेने के लिए कितनी दरख्वास्तें पड़ी हैं और किन-किन तारीखों से पड़ी हैं। राजस्थान में तकावी की दरख्वास्तें ५६ से ५८ तक तो हो सकती हैं। वे ५८ तक चल सकते हैं पर इन तहसीलों में ५६ में पेड़ काटने की मांग पेश की गई और वह ५८ तक चल रही है। तहसील को पता नहीं कि काश्तकार ने दरख्वास्त की या नहीं। उसे अगर पेड़ की इजाजत लेनी है तो पटवारी को रिश्वत देनी पड़ेगी, इसके बिना उसका निस्तार नहीं। अब अगर एक पटवारी बदल गया तो दूसरे की पूजा फिर करनी पड़ेगी। वहां से रिपोर्ट आगे गिरदावर के पास भिजवाई, गिरदावर को फीस देगा, वहां

Page No.62

(श्री भैरोंसिंह)

से नायब तहसीलदार के पास गई और वह भी अगर ईमानदार न मिला तो उसकी भी भेंट-पूजा करो। फिर तहसीलदार के पास पधारते हैं और सभापति महोदय, आज के तहसीलदार बहुधन्धी जीव होते हैं, एक महीने में मुश्किल से पांच दिन वह कोर्ट अटेन्ड करता है। तो यह हालत है। काश्तकार आकर चला जाता है, दूसरी तारीख पर आता है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर वही चक्कर। तो यह स्थित है आज इस पर्मिट की। इस तरह से एक पेड़ की जितनी कीमत होती है उसकी आधी जब तक वह रिश्वत के रूप में भेंट न चढ़ा दें उसको नसीब नहीं हो सकता वह पर्मिट और आने-जाने की भाग-दौड़ जो करेगा वह अलग और बदकिस्मती यह भी होती है कि कभी कभी इतना करने के बाद भी पर्मिट नहीं मिलता। अब या तो चोरी से अपनी जरूरत वह पूरी करे, इसमें भी उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कानून बनाना, मैं समझता हूं कि, यह न्यायपूर्ण नहीं समझा जायेगा। यह ऐसा कानून नहीं होगा जिसके पीछे मानवता हो, उसका पुट हो। हमने जो अधिकार काश्तकार को दिये हैं उनको छीनना होगा।

तो जिस वक्त सरकार ने ये अधिकार उनको दिये उस वक्त सरकार को क्या हो गया था? उस वक्त शायद वह तकाजे में थी या कोई स्लोगन सरकार के सामने था कि जमींदारी और जागीरदारी को हम खत्म कर रहे हैं और उस वक्त कुछ भावुकता के नाते और कुछ उनके वोट लेने के लिये प्रसन्न करने के नाते, विचार नहीं किया इस मुद्दे पर। तो या तो यह स्वीकार करना चाहिये कि उस समय जो कानूनी अधिकार उन पेड़ों पर किसान को दिये गये थे वे केवल भावुकता के आधार पर थे और अगर सरकार भावुकता के आधार को नहीं मानती तो उसे स्पष्ट बताना पड़ेगा कि इस प्रकार की हमारे सामने उस समय कुछ मजबूरियां थीं, जिनसे हमें वह प्रोवीज़न उस वक्त करना पड़ा।

ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि जहां तक दोनों की सज़ा में अन्तर रखने की सरकार की मंशा का सवाल है वहां मेरा यह संशोधन काफी उचित होगा कि एक पेड़ काटनेवाले पर १००) के बजाय ५०) रुपया जुर्माना हो और अधिक काटने वाले पर अधिक हो। तो यह मेरा संशोधन है। इससे रेवेन्यु मिनिस्टर महोदय जो यह बार बार उल्लेख करते हैं कि वे काश्तकारों की भलाई के लिये ही कोई कानून बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा करने से उनको ऐसा उल्लेख करने की भी गुंजायश रहेगी, नहीं तो काश्तकार वर्ग में आज जो यह अफवाह जोर पकड़ रही है कि अगर कोई आज सरकार का रिएक्शनरी विभाग है तो वह है राजस्व विभाग। काश्तकार के हितों के विरुद्ध किस तरह से काम किया जावे इसके रास्ते निकालने में अगर किसी का मस्तिष्क काम करता है तो यह राजस्व विभाग है। तो इस इल्ज़ाम से भी अगर आपको बचना है तो यह मेरा संशोधन उचित होगा। इससे आपकी सज़ा देने की मंशा भी पूरी हो जायगी और उनको लैसन (Lesson) भी दिया जा सकता है। इस वास्ते इसको स्वीकार करें तो अच्छा होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : माननीय सभापति महोदय, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वर्णन किया और मेरे ख्याल से उसमें यह बताने की कोशिश की कि अगर काश्तकार अपनी भूमि

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पर, अपने होल्डिंग पर दरख्त रखता है तो उसके लिए उसको लाइसेन्स लेने की जरूरत है । लेकिन मेरे ख्याल से टिनेन्सी एक्ट में जो प्रोवीज़न है, अगर वे उनको ठीक तरह से देखते तो यह उनकी धारणा नहीं होती । सेक्शन ८४ में साफ है : 'May of his own accord remove trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.'

श्री भैरोंसिंह: आपने शायद सुना नहीं, मैंने पहले बता दिया था ।

श्रीसोहनलाल भटनागर: Let me say first. तो ऐसी सूरत में जो खातेदार टिनेन्ट है उसकी होल्डिंग में अगर दरख्त है तो वह बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी लाइसेन्स के ले सकता है डोमेस्टिक व एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए । तो काश्तकार अपने होल्डिंग पर दरख्तों को पनपाता है और पनपाता इसलिए है कि उन्हें अपनी खेती और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए काम में लाया जाय...

श्री मोहरसिंह : वह डोमेस्टिक पर्पज़ कौन से हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर : उसके लिए कोई लाइसेन्स की जरूरत नहीं है । इस तरह का जो प्रोविज़न दिया हुआ है वह साफ है कि खेती व डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए किसी दूसरे को उसे बेचना है तो वह चाहे ग्राम पंचायत की स्वीकृति ले या नायब तहसीलदार की या तहसीलदार की स्वीकृति ले सकता है; तो ऐसी सूरत में कोई संकट सामने आने वाला नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए जरूरत हो सकती है, लाइसेन्स उन लोगों के लिए लेना जरूरी है जो दरख्तों का व्यापार करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सारे सदन के माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि उनके लिए रेग्युलेशन्स होने चाहिए, और जो रेकलैस फॉलिंग हो रहा है दरख्तों का राजस्थान के अन्दर वह नहीं हो और उससे जो लोग नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं वे नहीं उठायें । संशोधन जो हो रहा है उसका खास तौर से मतलब यही है कि जैसा कि पहले १००) रु०, चाहे जितने दरख्त काटे जाते थे उसके लिए सजा थी उसके बजाय १००) रु० फी दरख्त कर रहे हैं, क्योंकि दरख्तों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं । सरकार चाहती है कि हमारी भूमि पर दरख्त खड़े रहें, उसके लिए जो संशोधन रखा गया है, मेरे ख्याल से, वह बिल्कुल ठीक है और जो काश्तकारों की भलाई की बात कहकर विरोध की बात की जा रही है वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है ।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : The Hon'ble member on my left please.

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, दरख्तों के सम्बन्ध में धारा ८२ जो मूल एक्ट में दी हुई है उसके लिए माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । किसान का जिस तरह से जमीन से बड़ा नजदीक का सम्बन्ध है, माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से उसका दरख्तों से भी कम सम्बन्ध नहीं है । दरख्तों में बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनसे किसान की जमीन की उपज बढ़ती है । विभिन्न इलाकों में विभिन्न किस्म के दरख्त उपज को बढ़ाने वाले हैं । मुझे मेरे इलाके का ज्यादा अनुभव है जिसके अन्दर एक खेजड़ी नाम का दरख्त है उसकी खाद से,

(श्री मोहरसिंह)

उसके पत्ते गिरने से उपज में काफी वृद्धि होती है। इसी तरह से और भी एक-दो दरख्त हैं जिनसे उसकी उपज में काफी वृद्धि होती है। तो किसान इस बात को चाहता है कि उसके खेत में ज्यादा से ज्यादा दरख्त उपज बढ़ाने वाले हों। इसलिए कोई आधार नहीं कि किसान दरख्त काटने से खुश हों, लेकिन कई अवसर आते हैं जिस वक्त कि उसको दरख्त काटने और बेचने पड़ते हैं। उसके लिए धारा ८३ और ८४ में दिया हुआ है और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उसमें छूट दी गई है कि वह दरख्तों को काट सकता है अपनी होल्डिंग से। लेकिन कुछ इस प्रकार की इसमें गुन्जायश हैं जिनके अन्दर अगर किसान के खेत में उसका दरख्त गिर जाता है और उसको वह बाजार में ले जाता है तो उस बीच में उसको कई और प्रोसीजर एडॉप्ट करने पड़ते हैं। अगर वह नहीं करे और अक्सर नहीं करता है क्योंकि किसान एक सरल हृदय का भी है, तो यहां जब वह बेचने आता है, वह कानून का जानकार नहीं है। एक दरख्त को उसने लगाया है अपने खेत में और १५--२० साल तक अपने बच्चे की तरह पालता है, लेकिन आंधी से वह दरख्त गिर जाता है तो वह सोचता है कि चलो इससे १५–२० रुपये मिल जायेंगे तो बाजार से कुछ आवश्यक चीजें ला सकूंगा। वह वहां जाता है तो उसका ऊंट नीलाम कर दिया जाता है, और मुकदमा चालू कर दिया। यह तो आज-कल रोज का काम हो गया है। ऐसी सूरत में इन दरख्तों को किसान बेचना चाहते हैं तो बेच सकें। मैं कहूंगा कि जब जमीन पर किसान का अधिकार है और दरख्त पर भी किसान का अधिकार है और हम इस बात को भी मानते हैं कि किसान अपने खेत के अन्दर उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत से दरख्तों को बोना पसन्द करेगा, उनको बढ़ाना पसन्द करेगा, उनकी रक्षा करना पसन्द करेगा, तो फिर ऐसी कौन सी वजुहात है जिसके लिए हम उसका जो अधिकार हैं कि वह दरख्तों को बढ़ावे और जरूरत के ऊपर दरख्तों को काट ले, उससे छीन लें। मगर जब उसको बेचना पड़े किसी कारण से तो ग्राम पंचायत के सरपंच के पास जाकर उसे इजाजत लेनी पड़ेगी और तहसीलदार के पास जाकर लाइसेन्स लेना पड़ेगा। जिस दरख्त को उसने १५-२० साल तक अपने बच्चे की तरह से पाला है तो अगर वह आंधी से गिर जाता है तो उसको बाजार में जाकर बेचने का अधिकार नहीं हो, बशर्ते कि वह इजाजत न ले ले या तहसीलदार साहब से लाइसेन्स न ले ले; मैं समझता हूं, यह उसके साथ में इन्साफ नहीं। उसके ऊपर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया, इन्साफ नहीं है। तहसीलदार साहब के यहां वह जायगा तो वहां पर उसको क्या भेंट पूजा करनी पड़ेगी, यह सब महोदयों को मालूम है, उसके लिए मैं कहूं क्या ? इस प्रकार की बाधा डाल देने के बजाय किसानों को सहूलियत होनी चाहिए।

मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि वहां हरियाली बढ़े उससे बारिश बहुत नजदीक आयेगी। इस चीज को आज-कल किसान भी समझ गया है कि जितनी हरियाली ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बारिश का फायदा होगा। इस चीज को किसान समझता है, लेकिन मौके कुछ ऐसे आ जाते हैं, जैसे उसके खेत के अन्दर एक दरख्त होता है रोहड़ी, अगर वह हो जाय तो काश्तकार यह जानता है कि रोहड़ी के नीचे जितनी दूर में रोहड़ी का पेड़ है, जितनी दूर तक उसकी छाया पड़ती है वहां पर उपज नहीं होती है। इसी तरह से बेरी का पेड़ है जिसमें बेर लगते हैं,

(श्री मोहरसिंह)

उसके अन्दर अनाज पैदा नहीं होता है। इसी तरह से एक-दो दरख्त और होते हैं, जैसे बबूल, उसकी छाया के अन्दर भी अनाज पैदा नहीं होता है। तो इस प्रकार के दरख्तों को वह काट देता है। अगर उसको आवश्यकता नहीं है और उसके दूसरे भाई जो नजदीक के खेत वाला है जिसको आवश्यकता है उसको दे देता है या बेच देता है, यदि ऐसी हालत में उसको ग्राम पंचायत के सरपंच के पास जाना पड़े, शहर के किसी आदमी को आवश्यकता पड़े और उसको बेचना पड़ गया तो तहसीलदार साहब के यहां का डर लगा रहता है। इस प्रकार की यह जो व्यवस्था है, पहले जो चीज हमने रखी थी वह चली गई। लेकिन रेवेन्यु-मिनिस्टर साहब खुद मान सकते हैं कि वास्तव में यह चीज है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी, वे समझते हैं कि अपनी जिद को पूरी करना है बहुमत के जोर से तो इतनी सी बात मैं भी रखता हूं कि १००) रु० जो रखे हैं वे ज्यादा हैं, उनके बनिस्बत ५०) रु० कर दिये जायं तो कुछ नहीं होने का है। इतना ही मैं कहता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय भैरोंसिंह जी ने यह जो अमेन्डमेन्ट रखा है, उसका समर्थन तहेदिल से करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन रखा है कि १००) रु० के बजाय ५०) करें, उसका मैं विरोध करता हूँ। संशोधन पेश-कर्ता ने यह बात स्वीकार की है कि लाइसेन्स लेना चाहिए, साथ में यह भी कहा कि लाइसेन्स लेना खराब है और यह भी कहा कि परीक्षा की जरूरत है; यह भी बतलाया कि डोमेस्टिक पर्पज़ और काश्तकारी काम के लिए लेने की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि जो लाइसेन्स उसको मिलता है वह किस बात का मिलता है, वह किसी खास तादाद का मिलता है कि इतने पेड़ वह काटेगा। अपनी जमीन से अपने घरू काम को छोड़कर, अपने काश्तकार के काम को छोड़कर, पड़ोसी के काम को छोड़कर, बाकी के काम के लिए लाइन्सेस लेना होता है।

श्री मोहरसिंह : डोमेस्टिक पर्पज़ का स्पष्टीकरण नहीं है कि कौन-कौन से वे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह रेवेन्यु कोड में लिखा है।

इन बातों के लिए व्यवस्था है और उन व्यवस्थाओं के लिए अलग लाइसेन्स का क्लॉज़ रखा है।

अब यह भी कहा गया है कि वह जमीन का मालिक है, वह पेड़ों का मालिक है, तो फिर ऐसी व्यवस्था क्यों हो? आप यह जानते हैं कि देश में जितने ज्यादा पेड़ लगाये जायं उससे ज्यादा देश का हित होगा, अगर आप यह समझते हैं कि वे देश के हित में लगाये जायं। अगर उसमें हम बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसे सख्ती के कानून बनाने आवश्यक हैं।

अब यह कहा जाय कि जमीन का मालिक वह है तो फिर क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है? रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा हुआ है? मैं आपको बताऊं कि मनुष्य का अपनी आत्मा पर अपना अधिकार है, लेकिन कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि आत्महत्या नहीं करने का कानून बना हुआ है। अब कोई कहे कि मैं मरूंगा, देखें मर जाए, कैसे मरने देगी सरकार? इसी प्रकार कोई आदमी खेत का मालिक है, लेकिन मालिक होने का

Page No.66

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

तरीका अलग-अलग होता है। एक देश को नेश्तनाबूद करने का तरीका है, उस तरीके से पेड़ को काटता है, बिना कारण के काटता है, उस गैर तरीके से पेड़ काटने वालों के लिए यह बिल है। यह बिल जरूरी काम के लिए पेड़ काटने की इजाजत देता है। देश की बर्बादी की नीयत से अपने फायदे के लिए पेड़ काटता है तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया है और उसके लिए १००) रुपया जुर्माना रखा है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आया कि क्या कारण उपस्थित हुआ कि १००) रु० न कर ५०) रुपया जुर्माना रहने दें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था इस बिल में रखी गई है वह देश के भलाई के लिए, देश की बहबूदी के लिए, काश्तकारों की बहबूदी के लिए ही रखी गई है। इसलिए जो संशोधन आया है, वह नामंजूरी के काबिल है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है कि १०० रु० जुर्माने की जगह ५० रुपये होने चाहिए तो मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ। कारण? १०० रु० जुर्माना होने का क्या कारण है, क्या आधार लिया है, १०० रु० जुर्माना लेंगे तो क्या यह बन्द हो जायगा, देश का जो खात्मा होने वाला है वह बच जायगा। यदि १०० रु० जुर्माना लेने से हिन्दुस्तान बचता है, तो कोई हर्ज नही है, कोई विरोध नहीं है। मैं समझता हूँ सभापति महोदय, जब मिनिस्टर साहब के पास कोई तर्क नहीं होता है तो जैसे राजाओं के टाइम में श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से पृथक किया गया।

श्री मदनसिंह अगर भडुआ शब्द आपत्तिजनक है तो एक्सपंज कीजिये। भाट भडुवा अच्छे शब्द हैं।

श्री सभापति : आप इस पर बोलिये।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ कि राजा को अगर कानून का या उसके क्लॉजेज़ का ठीक ढंग से मतलब समझ में नहीं आता तो उसके जो पंडित या ब्राह्मण थे, वे उनकी धाराओं को ठीक ढंग से समझा देते। वही हाल असेम्बली में है। हम चाहते थे कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब जवाब देते, क्योंकि इसके लिए जो तर्क हैं वे समझ में नहीं बैठे। हमें बताना चाहिए कि ये कारण हैं, इसलिए जुर्माना होना चाहिए और काश्तकार को इन पेड़ों के हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि सजा मौत होती तो अच्छा होता, बजाय १०० रु० जुर्माने के। लेकिन १०० रु० जुर्माना क्यों होना चाहिए, इसका कुछ आधार होना चाहिए। हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के दिमाग में आया कि १०० रु० जुर्माना हो जायगा तो बन्द हो जायगा। मैं आपको बताता हूं कि बिड़ला का फॉर्म है, आप १०० रु० जुर्माना लें, लेकिन वह दरख्त काट लेगा, क्योंकि उसे रुपयों की जरूरत नहीं है। दरख्त की जरूरत है। इसलिए यह कोई तर्क नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने १०० रु० जुर्माना किया है, यह कौनसे शास्त्र को देख कर किया है रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने, क्या सोच कर किया है? जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, उनके फॉर्म हैं, वे १०० रु० क्या २०० रु० जुर्माना कराके भी, दो हजार रु० जुर्माना कराके भी पेड़ कटवा लेंगे और जुर्माना बर्दाश्त कर लेंगे। इससे क्या देश की रक्षा हो जायगी, काश्तकार के

(श्री मदनसिंह)

खेजड़े की रक्षा हो जायगी। श्री भैरोंसिंहजी ने कहा कि इसके लिए आनरेरी कानून मौजूद था, उन्होंने यह भी बताया कि गरीब किसान के लिए ५० रु० भी काफी होता है। मैं समझता हूं कि क्या इससे समस्या सुलझेगी, क्या दरख्त काटना बन्द हो जायगा। वह १०० रु० जुर्माने के क्यों दे, वह ५ रु० पटवारी को देगा और दरख्त काट कर ले जायगा, आपको मालूम भी नहीं होने देंगे। ऐसी घटनायें आज भी होती हैं। १०० रु० का जुर्माना क्या आपने इसलिए किया है कि पटवारी के पास पैसा ज्यादा पहुँचे, क्योंकि अगर सजा ज्यादा होगी तो चोरी करना ज्यादा सीखेंगे, अगर सजा हल्की होती तो कम चोरी सीखते। हमारे टाइम में अगर कोई खेजड़ा काट लेता था तो उससे खेजड़ा रखवा लेते थे, यही जुर्माना था और ज्यादा से ज्यादा एक-दो आदमी बुरा-भला कहते थे। जो खेजड़ा काट लेता था उसको गढ़ में रखवा लेते थे। वह सोचता कि मैंने दरख्त भी काटा और गढ़ में रखना पड़ा। लेकिन पता नहीं आप पटवारियों को ज्यादा पॉवर्स देना चाहते हैं, उसके लिए न तो सैद्धान्तिक तर्क है और न कोई कानूनी तर्क है। ५० रु० के बजाय आप १०० रु० रखेंगे उसका मतलब क्या है, यह समझ में नहीं आता। इसका जवाब दिया जायगा, मगर मिनिस्टर साहब को सपोर्ट न हो, तो क्या कहना। (हंसी) इस सदन में काश्तकारों के भक्त विराजमान हैं। काश्तकारों के लिए आज राष्ट्र निर्माण हो रहा है, काश्तकारों के लिए राजस्थान में जागीरदारी खत्म हुई, मगर अब काश्तकारों के लिए ऐसी चीजें हो रही हैं, इसके कारण क्या है, सभापति महोदय, यह राज समझ में नहीं आता। पहले लोग काश्तकारों के लिए बुराई नहीं देखते थे, बुराई नहीं सोचते थे। जागीरदारों ने अपने टाइम में अच्छे अच्छे मिनिस्टरों को बाहर से बुलाया, जिनको काश्तकारों के बारे में ज्ञान होता था, वे नियम से चीजें रखते थे। लेकिन जब आप लोग राज करने आये तो उनसे खराब कानून आ रहे हैं, जिनके बारे में असेम्बली के माननीय सदस्य जानते हैं।

अगर ईमानदारी से सोचें तो मुझे कोई तर्क नहीं दिखाई देता इस कानून में कि क्यों १००) रु० जुर्माना करने से कोई आदमी पेड़ काटना बन्द कर देगा। इसके लिए मैं एक मिसाल दूं कि बड़े बड़े आदमियों के पास फॉर्म्स हैं, अगर उन्हें जरूरत हुई तो भले ही आप १०० रु० जुर्माना करें, वे तो पेड़ काट लेंगे। इसलिए यह आधार ठीक नहीं है। यह देश में बदमाशी रोकने का तरीका नहीं है। अगर देश के अन्दर अनाज महंगा हो तो उसमें १०० रु० जुर्माने की जरूरत नहीं है, अगर अनाज दूसरे राष्ट्रों में जाता है तो उसके लिए सजा देने का कोई कानून नहीं है। जैसा कल मुख्य मंत्रीजी ने कहा यह हमारे हाथ में नहीं है, बड़े देश के हाथ में नहीं है। अगर ब्लेक मार्केटिंग अनाज का हो रहा है तो उसके लिए कानून नहीं है। मैं निवेदन करूं कि अगर गरीब आदमी ने अपने काम के लिए पेड़ काट लिया तो उसका डिसीज़न कौन करेगा? अगर यह पटवारी के हाथ में रहता है तो वह कह देता है कि बदमाशी से काट लिया, बुरी नीयत से काट लिया और आगे जाकर तहसीलदार को समझा देगा और वह काश्तकार मर जायेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मंत्रीजी हैं, वे ऐसा अगर सोचते हैं कि बदनामी से तरक्की बहुत होती है। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू शास्त्र में है कि

Page No.68

(श्री मदनसिंह)

जितनी ज्यादा बदनामी होती है उतनी तरक्की ज्यादा होती है। इसलिए माननीय मंत्री जी यह महसूस कर रहे हैं कि मेरी बदनामी ज्यादा हो, तो मैं ज्यादा अनपॉपुलर होऊंगा और मेरी सीट कायम रहेगी। यह छोटा सा अमेंडमेंट है, इस पर हजारों आदमियों के बोलने की क्या जरूरत थी। १०० रु० जुर्माने की जगह ५० रु० होने चाहिए। यह एक ऐसी चीज है कि जिसके पीछे ऐसा विचार है कि इससे काश्तकारों को फायदा हो। यह नहीं होना चाहिए कि विरोधी दल कोई भी अच्छी चीज रखे, ईमानदारी की चीज रखे, सही चीज रखे, वह पास नहीं होनी चाहिए। अगर पास हो गई तो राजस्थान में यह चीज फैलती हुई निकल जायगी। मैं देखता हूं कि अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग सदस्य हैं। अगर श्री भैरोंसिंह बोलें तो श्री सोहनलाल जरूर फर्मायेंगे, जो चीज रखी गई है यह एक सैद्धांतिक चीज है, इस सैद्धांतिक चीज में पांच मिनट नहीं लगने चाहिए थे। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब खड़े होकर कह देते कि सजा रखने का यह मतलब है। आज बहुत से काश्तकारों की इन्कम दो रुपये, चार रुपये हैं, अगर ऐसे किसी काश्तकार ने खेजडे का दरख्त काट लिया तो उस पर १०० रु० जुर्माना हो जायगा, तो वह तो मर जायगा, वह खेती नहीं कर सकता, छोड़ कर भाग जायगा। इसलिए ऐसा कानून क्यों बनाते हैं, क्या चीज है इसके पीछे, यह मेरी समझ में नहीं आती? मैं ऐसा समझता हूं कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब का रौब कम हो रहा है...

(हंसी)

श्री सभापति : आप प्रस्ताव पर बोल रहे हैं?

श्री मदनसिंह : मैं इसी पर बोल रहा हूं, कानून क्यों आता है, इस पर बोल रहा हूं। पुराने जमाने में जब रौब कम होता था, रौब जमाने के लिए बड़ी बड़ी सजायें देते थे...

श्री सभापति : यह आर्ग्युमेन्ट भी इस पर दे रहे हैं?

श्री मदनसिंह : रौब नहीं जमा...

श्री सभापति : १०० रु० जुर्माना इसलिए कर रहे हैं कि मिनिस्टर साहब का रौब कम हो रहा है।

श्री मदनसिंह : रौब कम हो रहा है, निश्चित रूप से कम हो रहा है। (हंसी) मैं इसके लिए मिसाल दूं कि मुझे एक पांच सवारों का किस्सा याद आ गया। एक दफा पांच सवार दिल्ली जा रहे थे....

श्री सभापति : आप किस्सा न सुनायें, आप आर्ग्युमेन्ट रखिये।

श्री मदनसिंह : किस्से द्वारा ही आर्ग्युमेंट दे रहा हूं एक आर्ग्युमेंट तो दे दिया था पूंजीपति का,

श्री सभापति : अब आर्ग्युमेंट नहीं दे रहे हैं...

श्री मदनसिंह : अब भी आर्ग्युमेंन्ट दे रहा हूं ताकि मिनिस्टर साहब के दिल में जम जाय कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति : अमेन्डमेंट के सम्बन्ध में मिसाल दीजिये।

श्री मदनसिंह : इसके सम्बन्ध में ही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चार आदमी दिल्ली जा रहे थे, वे चारों आदमी बड़े हट्टे कट्टे थे; लेकिन जो एक और आदमी

(श्री मदनसिंह)

उनके साथ जा रहा था वह बहुत ही गरीब आदमी था, उसका रौब नहीं जमता था, इसलिए वह अजीब ढंग के जानवर पर चढ़ा और बोला मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। वैसा ही इसके अन्दर है। रेवेन्यु मिनिस्टर को कानून में कोई गुंजाइश नहीं मिली और उनका रौब जमा नहीं। इसलिए गरीब आदमी को दबा कर रौब जमाना चाहते हैं। लेकिन बाद में प्रस्ताव आयेगा और कहेंगे कि जो कानून लागू किया उसमें गलती रह गई, वाकई सजा ज्यादा है और इस प्रकार इस सजा की क्लॉज में अमेंडमेंट होता रहेगा, टिनेन्सी एक्ट में जिस प्रकार हो रहा है। इसका सारा कारण यह है कि ठीक तरह से बैठ कर कोई भी कानून या उसकी सजा को मिनिस्टर लोग यहां उस कानून को रखने से पहले विचारते नहीं हैं और इसी वजह से गरीब मरते हैं। आपकी कलम से लिख दिया जाता है कि १०० रुपया जुर्माना होगा तो हाका हो जायगा कि सौ रुपया जुर्माना होगा। कोई सिद्धान्त जैसी बड़ी होती तो उस पर ज्यादा जुर्माना करते, लेकिन इस छोटी सी चीज के लिये ज्यादा जुर्माना नहीं करना चाहिये। ज्यादा जुर्माना करते हैं तो जो लोग बदमाशी से दरख्त काटते हैं उन पर करिये......

श्री ज्वालाप्रसाद : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, बदमाशी से दरख्त काटते हैं, (ऐसा माननीय सदस्य ने कहा है) यह ओब्जेक्शनेबल है।

श्री मदनसिंह : मैंने यह कहा है कि जो लोग बदमाशी से दरख्त काटते हैं, आपके लिये नहीं कहा है, मै समझता हूं डॉक्टर्स की जरूरत है।

श्री ज्वालाप्रसाद : बदमाशी शब्द ओब्जेक्शनेबल है।

श्री सभापति : बदमाशी शब्द खराब है।

श्री मदनसिंह : बदमाशी से काटना, वह खराब है। वैसे तो कल फ्रॉड शब्द आ रहा था, वह सब काट दिया जाना चाहिये, क्योंकि 'फ्रॉड' शब्द खराब है, सारे बिल से फ्रॉड शब्द हटा दिया जाय तो क्या हो? बदमाशी से कोई दरख्त काटता है तो उसे जुर्माना ज्यादा होना चाहिये। आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिये...आपके लिये तो नहीं कहा।

श्री शंकरलाल : यह आपके लिये है।

श्रीमदनसिंह : आपने कहा कि आपके लिये है, तो क्या माननीय सदस्य मुझे बदमाश कह रहे हैं?

श्री सभापति : आपके लिये नहीं आप, जारी रखिये।

श्री मदनसिंह : मैं तो यह नहीं समझता था कि जब इस तरह की सीरियस बात पर बाद-विवाद हो रहा है तो इसको इस तरह से टाला जाय।

श्री सभापति : There should be no non-serious talks between the members.

एक माननीय सदस्य : यह शुरूआत आपने ही की।

श्री मदनसिंह : हां तो, अगर किसी ने बदमाशी से दरख्त काटा है, तो उस पर ज्यादा जुर्माना करना चाहिये, पर इस तरह की चीज

(श्री मदनसिंह)

पर इतना बड़ा जुर्माना करना बहुत बुरी चीज होगी, इस तरह से तो काश्तकारों पर अन्याय करना है। मैं समझता हूँ कि बात समझ में बैठ गई होगी। अगर नहीं बैठी है तो कुछ दिन बाद जरूर बैठेगी, क्योंकि एक न एक दिन अन्याय करने वाले की समझ में जरूर बैठती है।

श्री रामचन्द्र (डग-सुरक्षित) : सभापति महोदय, आज इस बिल में जो संशोधन किया गया है उसका अधिक प्रभाव भलाई के रूप में जिनको मिलेगा हो रहा है। आज उन्हीं की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। यह बिल वृक्षों की संरक्षणता देने के लिये किया जा रहा है और वृक्षों की रक्षा की जरूरत रेगिस्तान में ही अधिक है। इसीलिये वृक्षों को काटने के लिये इस विधेयक द्वारा सजा रखी गई है ताकि उस क्षेत्र में वृक्ष सुरक्षित रहें और उनसे किसानों को फायदा पहुंचे। इस भलाई के बदले में हम देखते हैं कि उसी क्षेत्र के माननीय सदस्यों ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया है। सभापति महोदय, यह संशोधन, मूल विधेयक की धारा ८६ को प्रभावशाली बनाने के लिये किया गया है। यह कोई नया जुर्माना नहीं है। जब सरकार ने देखा कि राजस्थान जैसी जगह में जहां पर कि हजारों मील लम्बा चौड़ा रेगिस्तान है और रेगिस्तान का मूल कारण वृक्षों का ही अभाव है और इसी अभाव को दूर करने लिये राजस्थान में जंगल लगाने के लिये स्कीमें बनाई और उनको अमल में लाने के लिये सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। इधर तो सरकार करोड़ों रुपया रेगिस्तान में जगंल खड़े करने के लिये खर्च कर रही है और उधर हम देखते हैं कि किसान लोग बेसमझी की वजह से वृक्षों को काट रहे हैं, तो इस बुराई को रोकने के लिये रुकावट के रूप में एक वृक्ष काटने पर १०० रुपया का जुर्माना रखा है। इसमें सरकार की मंशा १०० रुपये का जुर्माना करके आमदनी बढ़ाने की नहीं है। सरकार चाहती है कि राजस्थान में जहां वृक्षों का अभाव है, वहां वृक्षों की रक्षा की जावे और इससे किसानों का भला हो। सरकार की केवल यही नीति है। पर मुझे ताज्जुब है कि जिस क्षेत्र के लिये सरकार भलाई का कदम उठा रही है, उसी क्षेत्र के प्रतिनिधि इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि सरकार ने वृक्षों की रक्षा के लिये जो कदम उठाया है, वह उचित कदम उठाया है, और प्रति वृक्ष नष्ट करने पर १०० रुपया ही जुर्माना रहना चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय भैरोसिंहजी ने रखा है, प्रतिवर्ष ५० रुपया जुर्माना करने का, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैंने कल भी निवेदन किया था कि राजस्थान में कितने ही भाग ऐसे हैं कि जहां पर जंगल नहीं होने के कारण वहां के काश्तकारों को लकड़ी का अभाव रहता है। वैसे तो जंगलों के सम्बन्ध में जो हमारी राजस्थान सरकार की नीति रही है, वह बड़ी दोषपूर्ण रही है, ठेके दिये जाते हैं एक भाग के और ठेकेदार सारे जंगलों को काट लेते हैं। ठेका देती है सरकार इस बात का कि शहरों में लाकर लकड़ी रिलीज़ करे, पर ठेकेदार शहरों में लकड़ी न लाकर कोयला बना कर बाहर भेज देते हैं और हमारे काश्तकारों को लकड़ी नहीं मिलती है और इस बात की शिकायत अधिकारियों के पास कई बार की गई है। जब लकड़ी नहीं मिलती है तो मजबूर होकर उसे अपने वृक्षों को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

काटना पड़ता है और जनरली उसे धारा ८६ के मातहत दंडित होना पड़ता है। खलिहानों में काम में लेने के लिये या उसके डोमेस्टिक काम के लिये या काश्तकारी काम के लिये वह लकड़ी काटता है तो नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त काम के लिये किसान वृक्ष काटता है तो उसके लिये वह दण्ड का भागी होगा। पहले भी इसमें दण्ड का प्रॉवधान था कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, पहले की धारा ८६ है :

"Whoever contravenes all or any of the provisions of Section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be punishable—

(a) in the case of a first contravention, with fine which may extend to one hundred rupees, and

(b) in the case of a second or subsequent contravention with fine which may extend to two hundred rupees."

अब क्या रखा गया है कि एक ही वृक्ष काटने पर १०० रुपया जुर्माना होगा। पेड़ जो काटा गया है, उसकी इतनी कीमत नहीं होगी। हाडौती में ऐसे कितने ही इलाके हैं जहां सईंजा के जंगल नहीं, उन लोगों ने शिकायतें भी की थीं। कोटा में जंगलों की एन्क्वायरी करने के लिये एक कमेटी आई थी, उन्होंने कठिनाइयां रखी हैं उनका दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे यहां रोड़ियों को काट लिया, वृक्ष नहीं लगे हैं, जलाने के लिये लकड़ियां नहीं हैं, जलाने के लिये लकड़ी लाते हैं तो जुर्माना किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दण्ड अधिक से अधिक लगायें, अपराध के लिये लगायें, पर अपराध क्यों होते हैं, इसका कारण ही जब तक नहीं हटाते तब तक अपराध दूर नहीं होते हैं।

वे कारण हमेशा एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा काश्तकारों पर नाजायज तरीके से दंड लगाया जावेगा। काश्तकारों को लकड़ी की हर वक्त आवश्यकता रहती है, यदि किसी को बेरा बनाना है या काश्तकार के खेत में मेंड लगानी हो तो उसको लकड़ी की जरूरत रहती है, तो उसके लिये ग्राम पंचायत सेन्टर या तहसील में लकड़ी का स्टॉक नहीं करते और उनको जरूरत पर नहीं देते तो उनको काटना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही निवेदन किया कि लकड़ी काश्तकार के लिए आवश्यक वस्तु है। वह उसको मिलनी चाहिये, चाहे सरकार उसे कहीं से दे। इस प्रकार का कानून लाकर दिनों दिन भ्रष्टाचार जो इसमें बढ़ रहा है उसको और भी बढ़ाना होगा। काश्तकारों को लकड़ी की जरूरत रहती है उसके लिए अगर वे न्यायोचित लकड़ी काटते हैं तो उसके लिये किसी प्रकार का दंड नहीं होना चाहिये। उनके लिये सुविधाजनक कानून बनाये जाने चाहिए। जब तक उनके लिए कोई सुविधाजनक कानून न हों, उनके साथ यह अन्याय होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसको मान लिया जाए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य और जितने दूसरे माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं उन्होंने फोर एन्ड अगेन्स्ट में बातें कहीं, परन्तु जिस कारण से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह संशोधन पीनाल्टी का है या सजा का है, वह बहस से स्पष्ट है कि पहले राजस्थान में जिस वजह से ट्री प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स बना उसको तो सभी जानते हैं कि वह क्यों बना। हजारों दरख्त काटे जाने लगे और उसके लिए, पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए ट्री प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स बनाना पड़ा और यह रोक लगाई गई। लेकिन जब आप ट्री प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस समय टिनेन्सी एक्ट बनाया गया था उसमें सजा कम कर दी गई। सजा इतनी रखी जितनी सेटिस्फेक्टरी हो। एक काश्तकार की सहूलियत के लिए टिनेन्सी एक्ट में पूरी पूरी सहूलियतें हैं। अगर काश्तकार एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिये लकड़ी काटना चाहे तो वह काट सकता है, उसको किसी प्रकार के लाइसेन्स की जरूरत नहीं है। यदि उसके अलावा वह लकड़ी काटना चाहता है तो लाइसेन्स लेने की जरूरत है। ऐसे काश्तकार भी हो सकते हैं जिनके अपने खुद के दरख्त नहीं हैं और वे दूसरों के पास जावें तो किसी दूसरी तहसील से या पंचायत या सरपंच से पूछ कर भी काट सकते हैं। जहां तक काश्तकार की घरू जरूरत का सवाल है उसके लिये तो प्रोविजन है और एग्रीकल्चरल पर्पज के लिये अलग प्रोविजन है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि सीकर से रामगढ़ में काश्तकारों को इस प्रकार के कितने ही मुकदमें चल रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आज वे सीकर और रामगढ़ के बीच में मारे-मारे फिरते हैं पेशियों पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) केसेज में मारे मारे फिरते हैं, यह कोई दलील नहीं है। कानून बना हुआ है उस कानून का यदि किसी ने गलत फायदा उठाया है तो अदालत में जाना होगा और किसी एक अदालत में ठीक तरह से फैसला नहीं हुआ है तो दूसरी अदालत में जाना होता है। इसलिये केसेज में जाना, यह कोई दलील नहीं हो सकती। कोई मुकदमे बन गये तो इसके माने यह नहीं होते कि कानून ही नहीं बनाया जावे। यदि एक व्यक्ति एक दरख्त काटता है तो उस पर वही जुर्माना होगा और ५० काटता है तो १०० रु० तक का जुर्माना होगा। अगर पीनाल्टी भारी नहीं होगी तो कोई भी उसकी पर्वाह नहीं करेंगे। वे यही समझेंगे कि कितने ही दरख्त क्यों न काटें, सजा तो वही मिलेगी। यदि १०० वृक्ष काटता है और उसके लिये यदि १०० की सजा हो तो यह तो बहुत थोड़ी सजा है।

श्री मदनसिंह दांता : पहले यह सजा (अश्रव्य) जानी चाहिये।

श्री दामोदरलालव्यास : यह उन लोगों के लिये है जो हमेशा काटते रहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : उन लोगों के लिये १०००) होने चाहिये, १००) नहीं होने चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि सजा डिटेरेंट होनी चाहिये जिससे कि वे लोग इस प्रकार की कार्यवाही करने से रुकें। यही कारण है जो मैंने आपको समझा दिया है और समझने में कोई देरी नहीं होनी चाहिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : On a point of information, Sir, आपने १०० रुपये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ही क्यों रखा है, ५०) रुपये क्यों नहीं रखे। १००) रुपये का दंड ही क्यों रखा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एडीक्वेट रखा है।

श्री सभापति यह प्रश्न और उत्तर का समय नहीं है

श्री भैरोंसिंह (श्री-माधोपुर) : सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने मेरे संशोधन के बहस के उत्तर में दो बातें मुख्य रूप से रखीं। एक बात उन्होंने कही और उसमें उन्होंने ग्रीन ट्रीज़ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स का सहारा लिया। कहने की मंशा शायद उनकी यह थी कि जिस समय राजस्थान में काश्तकारों के सम्बन्ध में कोई युनिफॉर्म लॉ नहीं था उस समय राजस्थान सरकार के सामने कई शिकायतें पेश हुई थी और मुझे भी मालूम है कि उन दिनों में जागीरदारों ने विशेष रूप से इस बात की चेष्टा की थी कि उनकी जागीरें तो रिज्यूम जल्दी से जल्दी हो जाने वाली हैं, काश्तकारों को खातेदारी के राइट्स मिलने वाले हैं, इसलिये उन्होंने अगले भय के डर से इस बात का प्रयत्न किया कि जागीर रिज्यूम होने से पहले पहले सब बीड़ों का सफाया किया जाकर उसकी कीमत उठा ली जावे। सरकार जागीरदारों की इस हरकत को समझ गई और उस समय सरकार के सामने उसको रोकने का सवाल था। वह सरकार यह भी चाहती है कि हमारे काश्तकारों को भविष्य में खातेदारी के राइट्स देने हैं, इसलिये इस तरह की व्यवस्था की जावे कि पेड़ खेतों में खड़े रहें। तो सरकार ने ग्रीन ट्रीज़ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स पास किया, वह पेड़ों की रक्षा करने के लिये था, जो जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट के भय से काटे जा रहे थे। उस समय यह कानून नहीं था। ऑर्डिनेन्स जारी हुआ और मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि उस ऑर्डिनेन्स के कारण जागीरदारों की इस मनोवृत्ति में काफी रुकावट आई और राजस्थान के पेड़ों की रक्षा हो सकी। इसके बाद काश्तकारों के लिये कानून बने। जिस समय यह कानून बना उस समय हमारी सरकार ने विशेष तौर पर एक बात कही थी। कि हमने काश्तकारों को जमीन के ऊपर हक दिये हैं और उन पेड़ों के ऊपर भी हक दिये हैं जो उस जमीन के ऊपर खड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, यह इस प्रकार के वाक्य थे जिन वाक्यों को मैं समझता हूं कि राजस्थान के हर मंत्री ने, राजस्थान के हर नेता ने, जहां जहां भी सार्वजनिक सभाओं में उन्हें भाषण देने का मौका मिला है उनको दोहराया है और इस बात का प्रचार किया है कि इन पेड़ों के ऊपर काश्तकारों का हक है, काश्तकार डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए इनको काट सकता है। अब जहां तक वह व्यवस्था है उस व्यवस्था में किसी का भी मतभेद नहीं है। अब प्रश्न केवल इतना सा आता है कि हम उन लोगों को ऐसी सजा देना चाहते हैं कि जो लोग लाइसेन्स की खिलाफवर्जी करें। राजस्व मंत्रीजी ने दूसरी बात कही। उनके कहने का मकसद था कि टिनेन्सी एक्ट में जो सजा देने का प्रॉवधान रखा गया, उस प्रॉवधान के अनुसार वह सजा डिटरेन्ट पनिशमेन्ट नहीं थी और इस कारण से उन्हें यह संशोधन लाना पड़ा है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमारी राजस्थान की सरकार काश्तकारों के साथ रियायती एटीट्यूड रखती थी और ऐसी ही बातें काश्तकारों को कहती थी आज हमारी राजस्थान की सरकार का कम से कम यह एटिट्यूट तो

(श्री भैरोंसिंह)

बना कि काश्तकारों को डिटरेन्ट पनिशमेन्ट मिलनी चाहिए। पहले उनको खातेदारी के हक छीनकर डिटरेन्ट पनिशमेन्ट दे दी और दूसरी डिटरेन्ट पनिशमेन्ट रखी है कि अगर किसी ने एक पेड़ भी काटा तो १००) रुपये का जुर्माना होगा। मैं उनके इस एटिट्यूट के लिए अवश्य धन्यवाद दूंगा। कम से कम इस विचारधारा में परिवर्तन लाने का यह स्टेज अभी दो वर्ष के बाद ही ले आये। सन् १९५५ में राजस्थान के काश्तकारों का कानून बना और सन् १९५८ में ही उन्हीं काश्तकारों के लिए कानून बनाया कि उनको जो रियायतें और अधिकार दिये गये थे उन्हें छीन लिया जाय। तो सभापति महोदय, राजस्थान में लैण्ड रिफार्म्स जितने हुए हैं या काश्तकारों को अधिकार देने में जो कानून बने, मैं इस बात के लिए सरकार की तारीफ करूंगा कि जो कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए, चाहे वे तकाजे में लिए, चाहे भावुकता के आधार पर लिए या जल्दी लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब कुछ ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ रियायतें या अधिकार उन्होंने जल्दी में दिये थे वे ही रियायतें और अधिकार अब जल्दी में ही वापिस लेने का विचार कर रहे हैं। तो जहां अधिकार देने का प्रश्न आया था उस समय इसी सदन के बैठने वाले कई सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि हम कोई भी कानून बनायें वह भावुकता के आधार पर नहीं बनायें, हमें कानून बनाने में किसी प्रक्रिया का आश्रय नहीं लेना है। उस समय काश्तकार वर्ग के अन्दर एक भावना हम पैदा करना चाहते थे कि काश्तकारों को हमने पेड़ों के अधिकार दिये हैं, पेड़ काटने पर भी रियायती सजा का प्रॉवधान रखा है। इस प्रकार की बातें कह कर हमारी सरकार ने काश्तकारों के हक में कुछ किया है, ऐसा वातावरण करने की चेष्टा की है, लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी नीति बदल दी है। काश्तकार को ऐसा लगता है कि अब सरकार काश्तकारों की नहीं रह कर एन्टी-टिनेन्ट्स की सरकार बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में वह विचार करते हैं कि इस सरकार पर ध्यान दिया जाय या नहीं। माननीय सभापति महोदय, कई इलेक्शन्स के अन्दर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि जो काश्तकार सत्तारूढ़ दल के साथ थे, उन्होंने किसान सभायें बना कर सत्तारूढ़ दल का साथ देना बन्द कर दिया। आज हर एक जिले में किसान सभायें हैं। उसका कारण यह है कि जो सत्तारूढ़ दल अपने आपको जनता का रिप्रेज़ेन्टेटिव मानता था वह आज नहीं मानता है। इसलिए हमारी सरकार का रुख कुछ बदलता जा रहा है। काश्तकारों को डिटरेण्ट पनिशमेंट देकर वह अपने गुट में मिलाये रहना था। मैं कहता हूं कि इस प्रकार के दृष्टिकोण से आप काश्तकारों का साथ नहीं ले सकेंगे। काश्तकार आपकी सारी लैंड रिफॉर्म्स की लेजिस्लेटिव पॉलिसी को और जिस फीलिंग से आप वर्क कर रहे हैं इनको वे समझ गये हैं। इन सारे मामलों में जो लोगों के दिमाग में इम्प्रेशन क्रियेट होता जा रहा है कि हमारी सरकार के उपर कुछ वैस्टेड इन्ट्रेस्ट किस प्रकार से हावी होते जा रहे हैं, आज काश्तकार उसको महसूस करने लगे हैं कि सरकार दूसरे तत्वों के हाथों में चली गई है। मैं समझता हूं कि श्रम करने वाला व्यक्ति चाहे वह काश्तकार हो या मजदूर इस सरकार का साथ अब नहीं देगा। इस चीज़ में यदि हम वॉलेण्टरी साथ नहीं ले सकते तो पनिशमेंट से साथ लेने का हथियार सरकार किस तरह से इस्तेमाल करना चाहती

Page No.75

(श्री भैरोंसिंह)

है, इसको सब जान गये हैं। मैं उनकी इस दलील को नहीं समझ सका कि हमने पेड़ काटने पर सौ रुपये का पनिशमेंट क्यों रखा ? एक पेड़ के लिए सौ रुपया किस आधार पर हम रख सकते हैं। एक पेड़ के काटने के ऊपर यदि हमने सौ रुपये की सजा का प्रॉवधान रखा तो वह एक प्रकार से डिटरेन्ट पनिशमेंट होगी। इन सारी बातों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सौ रुपये के पीछे कोई ऐसा अच्छा विशेष आर्ग्युमेन्ट जिसके बेसिस पर यह स्वीकार कर लें कि यह सजा डिटरेन्ट नहीं है, हमारी सरकार के पास कुछ नहीं है। इन पेड़ों की रक्षा सरकार करना चाहती है उस सम्बन्ध में दी हुई दलीलों से यह संतोष नहीं कर सकते कि इस प्रकार की व्यवस्था से पेड़ों की सुरक्षा हो सकेगी। हमारे राजस्व मंत्री ने कहा कि जिन लोगों को खातेदारी के हक मिले हुए हैं वे डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए पेड़ काट सकते हैं और उन्होंने श्रीमाधोपुर और दांता रामगढ़ तहसील का जिक्र किया। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दांता रामगढ़ तहसील के अन्दर आज ऐसे लोगों को सजा दी है; मेरे गांव के एक काश्तकार के ऊपर दस रुपये का जुर्माना किया है और वह जुर्माना इसलिए किया है कि उसने अपने खेत में से लकड़ी काट कर अपने कुए के लिए ढूंढ कर तैयार कर लिया। उस ढूंढ को उस खेत में से हटवा कर तहसील में मंगवा लिया गया और उस पर दस रुपये की सजा दे दी गई। इसके लिए कलेक्टर को शिकायत की गई। इसके लिए उनको कानून बता दिया, फिर भी उसको सजा मिली है। अगर माननीय मंत्रीजी चले जायें और वहां जाकर देखें कि कितनी काश्तकारों की एप्लीकेशन्स हल की तैयारी के लिए, गाड़े के पहियों के बनाने के लिए, कुओं का ढूंढ बनाने के लिए पड़ी हैं और तहसील की तरफ से यह प्रचार किया जाता है। पटवारी वगैरह इजाजत नहीं देते और अगर कोई काश्तकार लकड़ी काट लेता है तो उसकी लकड़ी जब्त कर ली जाती है। कानून आपने बनाया है टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रॉवधान रखा है, लेकिन उसका काश्तकार लाभ उठाते हैं या नहीं, यह चीज देखने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार उसको नहीं देखती है। अपनी गलतियों को छुपाने में हमारी राजस्थान सरकार काफी माहिर है, वह इतनी कि शायद ही भारत की दूसरी सरकार ऐसी हो। लेकिन राजस्थान की सरकार को यदि कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता हो तो मैं बिना देखे इस बात का सर्टिफिकेट अवश्य दे सकता हूं कि गलतियां करने के बाद में उनको कैसे छिपाया जा सकता है और फिर गलती करने के बाद कहते हैं कि सही है। मैं समझता हूँ कि इन्सानियत के नाते, मानवता के नाते हर सरकार का यह कर्त्तव्य है कि कानून में यदि कोई खामियां रहें और वह भी अपनी गलतियों के कारण रहे तो हमें फौरन मान लेना चाहिए और सोचना चाहिये कि उसको किस प्रकार से दुरुस्त कर सकते हैं। अब उन गलतियों के कारण जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है उन लोगों को किस प्रकार से राहत पहुंचा सकते हैं, इसके लिए भी सोचना हमारी सरकार का कर्त्तव्य है, लेकिन सरकार मानती नहीं। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त दृष्टिकोण बदला हुआ है और वह भी किसी वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से है। वह वर्ग विशेष कौन है, वह मैं आगे चल कर बताऊंगा। जिस वर्ग विशेष को हानि पहुंचाने का दृष्टिकोण है उनके साथ और भी काश्तकार हैं। जहां

(श्री भैरोंसिंह)

तक पेड़ काटने के बारे में सजा देने का सवाल है वहां मैं राजस्व मन्त्री से कहूंगा कि सजा देनी चाहिए, नियम के विपरीत आचरण किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने कोऑपरेटिव फॉर्म के नाम से जमीन लेकर कई हजार पेड़ कटवाये हैं उन हजारों पेड़ों की ५०० रुपये कीमत तय करदी, जो भी अभी तक वसूल नहीं हुई, जब उनको सजा देने का प्रश्न आता है तो माननीय मंत्री चुप हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब काश्तकार जो अपने खेत से बिना इजाजत पेड़ काटता है तो उसके लिए आप १०० रुपये तक की सजा का प्रावधान करते हैं! लेकिन दूसरी तरफ नेता और काश्तकार मिल जायें तो वे चाहे कितने ही पेड़ कटवा दें, उसे इस प्रकार से अपराध से बचाने के लिए नियम बनाये जा सकते हैं, अपराधी किस तरह से बच सके, उस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं। आज के काश्तकार दो प्रकार के होते हैं; एक तो नेता काश्तकार और दूसरे उनके आश्रित काश्तकार। इसके अलावा वास्तव में जो खेतों में अन्न पैदा करने वाले हैं, जो अपने श्रम से जमीन को उपजाऊ बना कर काश्त करते हैं उनका तो किसी को ध्यान नहीं। अब प्रश्न आता है कि जो मेहनत करता है और मेहनत से जो कुछ पैदा करता है, अपने श्रम का उपभोग करके उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए डबल पनिशमेंट और जो लोग दूसरों के श्रम से लाभ उठाना चाहते हैं उनको जहां सजा मिलनी चाहिये उनको बचाने के लिए नियमों में रद्दोबदल! इस प्रकार की बातें जो आप कर रहे हैं वह प्रजातंत्र में कोई भी आदमी पसन्द नहीं कर सकता।

मैं इस बात को मानता हूं, शायद जो बातें मैं कह रहा हूं वह हमारे राजस्व मन्त्री को बुरी लगती होंगी, मैं उनके लिए यह नहीं कहता कि जो लोग इस प्रकार की बुराई करते हैं वे आपके कांग्रेस नेता हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन्स लेने में हो सकता है, वे अपनी तरफ से आतुर भी होंगे, किन्तु उसमें उनको सफलता मिलती है या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है। उनके मन में यह बात जँचती भी होगी कि कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि यदि उनमें इस प्रकार की शक्ति नहीं तो वे विधान सभा से इस प्रकार की शक्ति हासिल करें। हम लोग भी उनके इस प्रकार के कार्य में उनके हाथ मजबूत करेंगे। जब चुनाव होते हैं तब दीवारों पर स्लोगन्स लिखे जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के हाथ मजबूत करिये, उसके लिए कांग्रेस को वोट दीजिये। हम भी उनको इसी तरह से नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने में, उनके हाथ मजबूत करने की आवश्यकता होगी उसमें विरोधी दल उनका साथ देगा, उनको भी चाहिए कि वे इन बातों में विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करें। उनके मन की कमजोरी हो तो दूसरी बात ...

श्री मदनसिंह : मन की कमजोरी तो मैं दूर करवा दूंगा...

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मैं यह निवेदन कर रहा था इस प्रकार डिफरेंट पनिशमेंट देने का जो प्रॉवधान किया गया है वह केवल काश्तकारों के लिए किया गया है। यह कानून किसानों में प्रेरणा उत्पन्न करने वाला कानून नहीं होगा, इससे काश्तकारों के दिमाग में इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि एक कानून से

(श्री भैरोंसिंह)

तो खातेदारी अधिकार मिले और दूसरे कानून द्वारा उसे वापिस लिया जा रहा है। एक कानून में जहां पेड़ काटने का अधिकार है और दूसरे में उसको आडम्बर रूप देकर उसको रोकने की कोशिश की जाती है। अगर हम इन चीजों को सामने रख कर कानून बनाते हैं तो काश्तकार सोचने लगेगा कि जिस प्रकार जागीरदार लोग उनसे जमीन छीन लिया करते थे उसी प्रकार वे नेता रूपी नये जागीरदार पैदा हो गये, जो उनको मिले हुए हक थे उनको छीन रहे हैं। इस प्रकार से काश्तकारों में एक अनिश्चित सा वातावरण पैदा होगा। जहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं वहां डिटरेंट पनिशमेंट देने के लिए जो रकम रखी है उसकी मात्रा को भी कम करें और जिन अधिकारियों की सहयोग से इस प्रकार की धांधली हुई है उनको सजा दें और इसके इम्प्लीमेंटेशन की सही और ठीक से व्यवस्था करें। काश्तकार तो सिवाय अपने काम के पेड़ काटता नहीं, जिनकी बिज़नस मेंटेलिटी है वही पेड़ काट कर फरोक्त करते है। अपनी जमीन पर कोई भी पेड़ काट सकता है, इसके अलावा दूसरे की जमीन पर से पेड़ कोई काटना चाहे तो उसके लिए सरपंच से इजाजत लेकर काटने का हक है। अपने खेत में से कोई पेड़ कटवाता है तो उसको दूसरे कानून के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। अपने खेत से काटने के लिए भी लाइसेंस ले, लाइसेंस लेने पर भी अगर कोई खिलाफवर्जी करे कि इसको जहां पांच पेड़ काटने की इजाजत दी, इसने सात पेड़ काट लिए, दो पेड़ इजाजत से बाहर काटे हैं तो उस पर सौ रुपये के हिसाब से दो सौ रुपये तक की सजा दी जा सकती है। एक व्यक्ति का पेड़ जिसके ऊपर मालिकना हक है उसको काटता है तो उसका नुकसान काटने से हुआ सो तो हुआ, अब उसका हक था या नहीं उसके, लिए हमने पचास रुपये का जो प्रॉवधान रख दिया वह काफी है। सरकार की जमीन से यदि कोई पेड़ काटता है और बिना इजाजत काटता है तो मैं समझता हूँ साधारण कानून के अनुसार भी उसको सजा दी जा सकती है। इस प्रकार से चोरी के मुकदमे बनते हैं और सजायें भी मिलती हैं। मेरे खेत से कोई पेड़ काटता है तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी। सरकार की जमीन से या अन्य व्यक्ति की जमीन से बिना इजाजत यदि कोई पेड़ काटता है तो निश्चित रूप से उसे कानून के अन्तर्गत सजा हो जायेगी। इसलिए जहां सौ रुपये के बजाय मैंने पचास रुपये का संशोधन रखा है वहां काफी सजा है। इसलिए सदन मेरे इस पचास रुपये के संशोधन को स्वीकार करे। माननीय राजस्व मन्त्रीजी की भी इच्छा इस प्रकार की प्रतीत होती है, चूंकि उन्होंने कमिटमेंट कर लिया है, इसलिए उनकी हां करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए सदन उनकी भावनाओं को समझते हुए ५० रुपये के संशोधन को पसन्द करेंगे और उसे स्वीकार करने में मेरा साथ देंगे।

श्री सभापति : राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक के क्लॉज़ ३ में जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८ के क्लॉज़ ३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है,

The words 'four years' be substituted for the words 'three years' in line 3.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल "That is my amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर (जारी) : सभापति महोदय, टिनेन्सी एक्ट में यह व्यवस्था रखी है कि जिसकी जमीन में दरख्त हो वह उसका मालिक है । कई जगह ऐसा है कि जमीन किसी दूसरे की है और दरख्त किसी दूसरे के हैं । इसके लिए दफा ८० साफ है ।

"80. Tenant's rights in trees existing at the commencement of this Act—Notwithstanding any thing in this Act or any custom or contract to the contrary, scattered trees standing on the holding of a Khatedar tenant at the commencement of this Act shall vest in such tenant;

Provided that where such trees are the property of any other person at the commencement of this Act, such person shall be given compensation by the tenant in accordance with rules prescribed in that behalf."

लेकिन इसके साथ यह भी व्यवस्था दी थी कि जो दरख्त का मालिक है उसको कम्पेन्सेशन दिया जावे । इसके लिए नियम बनावेंगे, पर खेद का विषय है कि सरकार ने दो साल तक वे नियम नहीं बनाये, जैसा कि ऐम्स और ऑब्जेक्टस में बताया है। अब इस बिल में उस अवधि को तीन वर्ष रखा है, इसको अगर अप्रेल से अब तक माना जावे तो तीन, चार या पांच महीने मिलते हैं । इससे काफी अवसर नहीं मिलता । इसलिए यह संशोधन रखा है कि ३ के बजाय ४ साल रख दिया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल में क्लॉज़ ४ में मेरा एक संशोधन है । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा ८० की तहत कम्पन्सेशन देने के बारे में प्रॉवधान है ।

यह कानून ५५ में बना था । उस समय मुआवजा देने के लिए दरख्वास्त देने की मियाद दो साल की रखी थी । उसके अनुसार १५ अक्टूम्बर, ५७ तक तहसीलदार के पास दरख्वास्त दी जा सकती थी कि अमुक अमुक जमीन में मेरे बाप-दादों के या मेरे लगाए हुए दरख्त हैं और उस जमीन में खातेदारी के हक फलां को मिल गए हैं, इसलिए उन पेड़ों का मुआवजा मुझे मिलना चाहिये ।

हमने यह टिनेन्सी एक्ट बनाया, उस समय दो साल का समय किस तरह मिलेगा, इसके लिए रूल्स बनाने का भार सरकार के विभाग पर छोड़ दिया गया था । पर उस विभाग ने दो साल तक कोई नियम नहीं बनाये । तो माननीय सभापति महोदय, अभी क्लॉज ३ पर बहस करते समय भैरोंसिंहजी जब सरकार पर आरोप लगा रहे थे तो कहा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

था कि हिन्दुस्तान में अगर कोई सरकार है, जो गलती करती रहती है, पर गलती मानती नहीं तो इसमें माहिर राजस्थान की सरकार है और मैं थोड़ा यह भी निवेदन कर दूं कि इस छिपाने में और अमेंडमेंट-ऑर्डिनेन्सेज़ लाने में यदि कोई माहिर हैं तो हमारे ये राजस्व मन्त्रीजी हैं।

माननीय सभापति महोदय, दो साल का समय रखा कम्पन्सेशन के लिये दरख्वास्त देने का और वह समय समाप्त हो जाता है १५ अक्टूबर, ५७ में। अप्रेल ५८ में राजस्व मंत्रीजी को ध्यान आता है कि रूल्स तो बनाये नहीं, लोग कम्पन्सेशन कैसे लेंगे और इसलिये राजस्व मंत्रीजी ने ऑर्डिनेन्स निकाला। माननीय सभापति महोदय, आर्डिनेन्स में प्रोविजन रखा कि ३ साल के अन्दर दरख्वास्त दे सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वह तीन साल का समय भी १५ अक्टूबर, ५८ को समाप्त हो गया। अब वे वही तीन साल का अमेंडमेंट ला रहे हैं कि १५ अक्टूबर, ५५ को एक्ट लागू हुआ और वह तीन साल का पीरियड १५ अक्टूबर, ५८ को समाप्त हो गया।

ऐसी हालत में बिल पास होगा उस पर राज्यपाल महोदय के मार्फत राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति होगी, फिर गजट नोटिफाई होगा और इस सारे झगड़े में भी दो, चार, छः महीने लग जावेंगे। इन सारी बातों को देख कर यह ४ साल का अमेंडमेंट रखा गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तीन साल में भी वही नौबत आवेगी, फिर वे यहां दूसरा अमेंडमेंट लेकर आवेंगे कि हमने जो तीन साल का समय रखा था वह भी समाप्त हो गया, इसलिए उसे और बढ़ाया जावे। यह नौबत न आवे इसलिए मैं निवेदन करूंगा मिनिस्टर महोदय से कि वे अभी इसे मान लें। प्रश्न स्पष्ट है। इसलिए इस पर अधिक वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं है। आशा है, राजस्व मन्त्री महोदय, इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जो कारण बताये गये हैं इस संशोधन के पीछे, मैं उन्हें महसूस करता हूँ कि वे ठीक हैं इसलिए इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५८ के क्लॉज ४ में जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर और श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक समान रखे हैं उनको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५८ का क्लॉज़ ४ को एज अमेंडेड स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

क्लॉज ५. विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल के क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १; प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल ५८ को पारित किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

३.२८.म. प.

राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक १६५६

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेन्डमेन्ट) बिल को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a Point of order Sir. सभापति महोदय, इसको विचारार्थ लेने में कॉन्स्टीट्युशनल आपत्ति आती है । अभी सदन ने जो राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल पास किया उसके अन्दर क्लॉज़ १५ ए में जो अमेन्डमेन्ट किया गया "on or after the comencement of this Act." और वही फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल के द्वारा क्लॉज़ १५ ए में अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है । जब तक थर्ड अमेन्डमेन्ट बिल पर राष्ट्रपति की सैंक्शन न आ जावे तब तक यह एक्ट नहीं बनता और जब तक एक्ट नहीं बनता तब तक इसको इस फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल में एक्ट के रूप में उल्लिखित नहीं किया जा सकता । उसकी सैंक्शन आने के बाद ही यह फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल मूव किया जा सकता है ।

फिर यह कहा भी जा सकता है कि यह स्पष्ट नहीं है । पर स्पष्ट यों है कि इसका सब क्लॉज (२) फोर्म करता है इसके सैक्शन १५ ए को और इस १५ ए में "on or after the commencement of this Act." डिलिट कर दिया गया है जिसका यह सब क्लॉज़ (२) फोर्म करता है तो यह पोइन्ट अराइज़ होता है कि अब अगर राष्ट्रपति उसको टर्न डाउन कर देते हैं तो इसकी क्या पोज़ीशन रह जावेगी। यह भी एक पोइन्ट है । ऐसी हालत में अगर हम इस फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल को पास भी कर देते हैं तो इस अमेन्डमेन्ट का उस पर क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा । इसलिए इसमें मेरी कॉन्स्टीट्युशनल आपत्ति है कि जब तक इसको गवर्नर की सैंक्शन न मिल जावे, तब तक यह फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल यहां सदन में नहीं लिया जावे ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति

(श्री मूलचन्द डागा)

महोदय, जो अभी मुझसे पहले वक्ता ने बात कही है वह बिल्कुल ही सही और ठीक है क्योंकि जो राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेन्डमेंट) बिल पेश किया गया है उसके अन्दर १५ ए के अन्दर जो अमेन्डमेन्ट्स किये गये हैं

The words "on or after the commencement of this Act" shall be omitted and shall be deemed always to have been omitted." अब हम फोर्थ का जो अमेन्डमेंट है उसको पढ़ते हैं तो उसमें यह साफ है....

श्री सभापति : Which clause ?

श्री मूलचन्द डागा : 6th सेक्शन १५ है उसमें एक नम्बर और जोड़ा है:—

"Section 15-A of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so re-numbered the following new sub-section shall be inserted, namely-

" (2) Any person referred to in sub-section (1) May, within four years from the date of the oommencement of this Act and on payment of a court fee of twenty five naya paise, apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that he acquired khatedari rights under sub-section (1) of section 15 in the land held by him because such land had been let out to him before the commencement of this Act and the provisions of sub-section (5) of section 15 shall apply to such application. "

जब आपने थर्ड अमेन्डमेंट किया, तो राजस्थान सरकार ने जब थर्ड अमेन्डमेंट पेश किया उसका मतलब यह है कि १५ अक्टूबर से पहले पहले केनाल एरिया में जो कोई भी काश्तकार था वह अपने खातेदारी के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। जो पहले से या उसके बाद से हैं उनको भी खातेदारी के कोई अधिकार नहीं रहे। आज आपने जो क्लॉज़ १५ है टिनेन्सी एक्ट का उसके आधार पर जब आपने उसमें अमेन्डमेंट पेश किया तो आपका यह मकसद हुआ कि हम उन लोगों को, जो कि बीकानेर टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत थे उनके खातेदारी अधिकार टेम्पोरेरिली मानते हैं, और आज भी उनको खातेदार नहीं मानते हैं। जब यह अमेन्डमेंट हो चुका उसके बाद में यह अधिकार देते हैं, "any person referred to in sub-section (1) may, within four years from the date of the commencement..." अगर आप उनके खातेदारी अधिकार मानते हैं तब उनको डिक्लेरेटरी सूट करने का अधिकार नहीं रहता है, टिनेन्सी एक्ट की धारा ८८ में अगर वह डिक्लेरेटरी सूट करता है तो वह अधिकार उसको नहीं रहता है। अधिकार जब रहता है "When any person claiming to be a tenant may sue for declaration that he is a tenant or for a declaration of any such sub-tenancy' तो धारा ८८ ऑफ टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत यह उसको अधिकार दिये हैं कि वह खातेदारी के अधिकार को प्राप्त करने के लिए दावा पेश करे, वह धारा ८८ ऑफ दी टिनेन्सी एक्ट के मातहत पेश करे। आप सेक्शन ८८ में, यह कहते हैं कि कोई भी टिनेन्ट अपने अधिकार को साबित करने के लिए दावा कर सकता है। अब जब कि आपने १५ ए के अन्दर यह अमेन्डमेंट कर दिया कि हम उनको खातेदारी के अधिकार से वंचित करते हैं, और इसी क्लॉज़ के अन्दर, उसी सेक्शन

(श्री मूलचन्द डागा)

के अन्दर, सब क्लॉज़ (२) के अन्दर यह किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो सब सेक्शन (१) के अन्तर्गत "any person referred to in sub-section (1) may, within four years from the date of the commencement of this Act..." तो फिर उसके अन्तर्गत दावा करने का अधिकार कब होता कि जब कि उसको उस अधिकार से वंचित कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन १५ के अन्दर खातेदारी राइट्स मिले हुए हैं उनसे उसको वंचित करके आप अधिकार देते हैं वह डिक्लेरेटरी सूट फाइल करे और अपने अधिकार को साबित कर कर सकता है कि वह खातेदार था। अगर खातेदार के मुताबिक उसको देना चाहते हैं तो इन दोनों क्लॉजेज़ को और थर्ड अमेन्डमेंट को कन्सीडर किये बिना यह आपने ऐसा जो दूसरा संशोधन किया है वह किसी काम का नहीं रहता है। आप शायद यह कहें कि पहले से एक्ट बन चुका है, लेकिन एक्ट कब पूरा होता है जब कि उस पर गवर्नर की सेन्कशन आ जायगी। जब तक वह नहीं आती है तब तक वह एक्ट नहीं बनता है। जब एक्ट नहीं बनता है तो डिक्लेरेटरी सूट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है, और वह अधिकार नहीं मिलता है। तो ये दोनों एक दूसरे से सम्बंधित हैं, चाहे हम १५ को पढ़ें, १५ ए को पढ़ें या १५ ए की सब क्लाज़ (२) को पढ़ें; जिसको कि रीनम्बर करने का इस तरह का यहां अमेंडमेंट आया है, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। इसलिए देना है कि डिक्लेरेटरी सूट करने की जरूरत पैदा नहीं होती है।

और सेक्शन १५ ए बिल्कुल अलग है। या तो इसका इन्टर प्रिटेशन...........

अगर आप यह नहीं मानते हैं तो १५ क्लाज बिल्कुल अलग सा है और सेक्शन १५ ए बिल्कुल अलग है। सेक्शन १५ ए के अनुसार यह है कि खातेदारी के अधिकार हैं किसी को १५ अक्टूबर, १९५५ का वह काबिज रहा तो उसको डिक्लेरेटरी सूट करने का अधिकार नहीं, क्योंकि खातेदारी के अधिकार उसको दे रखे हैं लेकिन जब आपने अमेंडमेंट कर दिया और यह कहा कि खातेदारी के अधिकार से वंचित किया जाता है और फिर अधिकार देते हैं सब क्लॉज (२) के अन्दर कि वह दावा करे तो यह एक दूसरे से पूरे क्लॉज सम्बन्धित हैं। ऐसी हालत में जब तक हमारा पहला बिल एक्ट नहीं बन जाता, तब तक मेरे ख्याल से यह बिल नहीं लाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय....

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्री सोहनलाल।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है, सब से पहले यह डिसाइड किया जाय कि वह पोइन्ट ऑफ आर्डर है या नहीं, क्योंकि a point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker......

श्री श्रीभानसिंह : I have already said about the constitutional point.

श्री सोहनलाल भटनागर : Let me explain Sir......

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : Sir, the question is that when a point of order is raised in the House the Speaker may himself give a ruling unless the matter is left to the House, for debate. So may I know, Sir, whether it has been left to the House for debate, because my learned friend is making a speech. Whether he is entitled to make this speech or not ?

The rule says: —

"(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment;

Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in or arrangement of business before the House.

(3) Subject to conditions referred to in sub rules (1) and (2) a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so give his decision thereon, which shall be final.

(4) No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision."

So my submission is whether you are going to hear the Hon. Members at this stage or you give a decision on the point of order that has been raised by the Hon. Member ?

श्री सभापति : Since the matter is such which relates to an important issue so I observe that the matter be discussed in the House. It taken to be a point of order.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति महोदय, यह बिल्कुल सही बात नहीं हुई। जब पाली से आने वाले माननीय सदस्य को अलाउ (Allow) किया गया है तो दूसरे दृष्टिकोण को भी सुना जाय।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : He may be allowed.

श्री सभापति : So you have got a right of rebuttal on the debate.

श्री सोहनलाल भटनागर : A point of order shall relate to interpretation...

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, the Hon. Member has been permitted to speak on my point of order, but he has not been permitted to raise another point of order.

श्री सभापति : He is answering the debate.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : No Sir, he is raising another point of order.

श्री सोहनलाल भटनागर : I am answering. I say, Sir, that this is not a point of order.

श्री सभापति : That matter has already been decided and now you speak on the fact on issue only. Now the only point left is as to whether the Rajasthan Tenancy (4th Amendment) Bill, 1958 can be placed before

Page No.84

(श्री सभापति)

the House and if there is any constitutional defect then it should be taken back by the Minister-in-charge. That is the point at issue.

श्री सोहनलाल भटनागर : तो यह पोइन्ट ऑफ आर्डर आपने मान लिया है ?

श्री सभापति : Yes, the discussion is open now.

श्री सोहनलाल भटनागर : उसके बाद मेरिट पर निवेदन करना है कि जो फोर्थ अमेंडमेंट आ रहा है उसका थर्ड अमेंडमेंट से तालुक नहीं है। थर्ड अमेंडमेंट के अन्दर प्रोविज़न्स हैं उनको अफेक्ट करने वाले अगर अमेंडमेंट फोर्थ अमेंडमेंट बिल में होते तो गवर्नर की सेंक्शन की जरूरत होती। लेकिन जो कुछ थर्ड अमेंडमेंट बिल में प्रोविज़न्स दिये हैं उनके अलावा इसमें अधिकार दे रहे हैं, ऐसी सूरत में आपका यह पोइन्ट नहीं उठता और इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह गलत है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दूसरे संशोधनों को लाने की मनाही नहीं है कि अगर एक संशोधन पास कर दिया तो दूसरा नहीं ला सकते।

श्री सभापति : Mr. Satishchandra.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान रूल २१२ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा :

"212. Repetition of motion.—A motion or an amendment must not raise a question substantially identical with the one on which the House has given a decision in the same session."

श्री सभापति : Which Rule please ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rule No. 212, Sir.

माननीय सभापति महोदय, मैं जहां तक समझता हूँ इस रूल की मन्शा स्पष्ट है कि किसी भी ऐसे प्रस्ताव या संशोधन पर जिस पर कि सदन ने उसी सत्र के अन्दर अपना निर्णय दिया है, उसी सत्र में उस पर विचार नहीं किया जा सकता। माननीय सभापति, राजस्थान टिनेन्सी थर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर, सदन ने अभी दफा १५ ए के ऊपर अपना निर्णय दिया है कि १५ ए के तहत राजस्थान के केनाल एरिया के अन्दर कोलोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत जितनी भूमि आती है,उस पर खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं होंगे, किसी को खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते। इस प्रकार का निर्णय सदन ने लिया है और इस प्रकार के विधेयक को हमने अभी अभी पारित किया है। मैं नहीं समझता कि जब रूल २१२ हमारे सामने है और दूसरा राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल जो सदन के सामने पेश हुआ है, जिसकी ओर, माननीय सभापति, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल के क्लॉज ६ में फिर से १५ ए दफा को अमेंड किया जा रहा है। इस फोर्थ अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन १५ ए के अन्दर सब क्लॉज २ जोड़ा गया है, जिसके द्वारा राजस्थान के अन्दर केनाल एरिया के अन्तर्गत काश्तकार डिक्लेरेशन बाई सूट ले सकता है, इस प्रकार डिक्लेरेशन करा सकता है, अदालत के अन्दर खातेदारी के हक उसे १५ अक्टूबर, १६५५ से प्राप्त होंगे। राजस्थान टिनेन्सी थर्ड अमेंडमेंट बिल, जिसे राजस्व मंत्री ने पेश किया था और सदन ने पारित किया है उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में, माननीय सभापति, उन्होंने लिखा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

था : "......Section 15 A of that Act, lately inserted therein, provided that land in the Rajasthan Canal area leased out on or after the 15th October, 1955 shall be deemed to have been let out temporarily. It has been represented that a large number of temporary cultivators in the said area who had been holding temporary leases of lands therein since before October, 1955 would consequently be deemed to have acquired khatedari rights in their holdings on and from the 15th day of October, 1955. This had never been the intention of the Government. On the other hand such position is likely to defeat the very purpose underlying section 15 A. Hence the proposed omission of certain words in the said section."

३·४२ म.प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अभी अभी राजस्थान टिनेन्सी थर्ड अमेंडमेंट बिल को पारित किया, जिसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में राजस्व मंत्री ने साफ तौर से लिखा है कि सरकार की कभी मन्शा नहीं थी कि राजस्थान केनाल एरिया के अन्तर्गत १५ अक्टूबर, १६५५ को या उससे पहले जिन लोगों को टेम्प्रेरी कल्टीवेशन के लिए जमीन दी गई थी, और उसको काश्त करने के खातेदारी राइट्स प्राप्त हो जायं, माननीय उपाध्यक्ष, इस पर बड़ी गरमागरम बहस के बाद निर्णय लिया है कि १५ अक्टूबर, १६५५ को कोई भी जमीन टेम्पेरिली किसी काश्तकार के अधिकार में होगी, तो उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह निर्णय सदन में आज, इसी क्षण, अभी लिया है और इसी क्षण फोर्थ अमेंडमेंट बिल राजस्व मंत्री ने पेश करके एक और अमेंडमेंट कराना चाहा है जिसके द्वारा एक सब क्लॉज़ जोड़कर यह किया है कि १५ अक्टूबर, १६५५ को टेम्पेरेरी काश्त के हक किसी काश्तकारको होंगे तो वह खातेदारी के हक डिक्लेरेशन सूट करके ले सकता है। और ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बताते हैं कि सरकार की मन्शा नहीं थी : "on or after and even before"

किसी प्रकार के खातेदारी के हक पैदा हों। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार रूल २१२ हमारे बीच में आता है जिसके अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल को कन्सीडरेशन में नहीं ले सकते और इसी सत्र में, इस सेशन में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। क्योंकि इन दोनों संशोधनों में आइडेन्टिकल क्वेश्चन है, १५ ए दफा में खातेदारी राइट्स का सवाल है, १५ अक्टूबर, १६५५ का सवाल है, और थर्ड अमेंडमेंट बिल पास किया है, उसमें यह अमेंडमेंट किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पोइन्ट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशन है, जिसे श्री श्रीमानसिंह ने उठाया है वह सही है और इस प्रकार का कार्य, इस पर कन्सीडरेशन इस सेशन में नहीं हो सकता। माननीय राजस्व मंत्री चाहें तो अगले सेशन का इन्तजार करें, अगले सेशन में जब थर्ड अमेंडमेंट पर असेन्ट आ जाय तब पेश करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, जो एतराजात धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, सोरी, बयाना से आने वाले सदस्य ने और जयपुर से आने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वाले माननीय सदस्य ने उठाये हैं, मैं समझता हूं वे सही नहीं हैं, क्योंकि दफा १५ ए हमने आज इन्सर्ट नहीं की है। टिनेन्सी एक्ट के अन्दर यह १५ ए दफा पहले से है, लास्ट बट वन अमेंडमेंट बिल से इसको इसमें इन्सर्ट कर दिया है, and that is a part of the Tenency Act. इसलिए अगर सेक्शन १५ ए आज हम नया इन्सर्ट करते, या अमेंडमेंट देकर सेक्शन १५ नई तरह से इन्सर्ट किया जाता तो ठीक बात हो सकती थी कि इस पर दूसरा अमेंडमेंट नहीं आ सकता है। लेकिन १५ ए पहले से है। बात यह है कि it is already on the Statute Book: इसको अमेंड कर रहे हैं...

श्री मूलचन्द डागा : १५ ए को अमेंड किया है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) समझने की कोशिश करिये, जो अर्ज कर रहा हूं उसमें उजरात न कीजिये, कानूनी पोइन्ट है, इसको समझने की कोशिश करें

(हंसी)

तो सेक्शन १५ ए नया इन्सर्ट नहीं किया गया है, इस पर अमेंडमेंट नम्बर तीन आया है। १५ ए ऑलरेडी इस टिनेन्सी एक्ट का पार्ट है और इस १५ ए के अन्दर एक से ज्यादा अमेंडमेंट आ सकते हैं, एक अमेंडमेंट आ सकता है। थर्ड अमेंडमेंट पास हुआ है;

Delete the words "on or after the commencement of this Act" This is 4th amendment. मतलब यह है कि १५ (ए) अमेंड किया है, नम्बर १, और यह फोर्थ अमेन्डमेन्ट है, और यह १५ (ए) टिनेन्सी एक्ट का पार्ट है, उसके अन्दर ही अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं, उसमें राइट दे रहे हैं: They can go and file a declaratory suit and obtain a declaration in their favour from a court.

इसमें यह सवाल करना कि सेक्शन १५ (ए) बना है उसके अन्दर...

श्री श्रीभानसिंह On a point of information, Sir, वह किस इफेक्ट से हुआ On or before ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) You please look to Section 15 A. There are certain persons who are affected thereby. I will read out for your convenience :-

"Not-with standing any thing contained in sub-section (1) of Section 15 and in Section 15-B of this Act or in any other law for the time being in force or in any lease, patta or other document, land in the Rajasthan canal area leased out on or after the commencement of this Act on any terms whatsoever shall be deemed to have been let out temporarily within the meaning of the proviso to the said sub-section of the said section 15 of this Act and no Khatedari rights shall accrue or shall be deemed over to have accrued in any such land leased out as aforesaid."

These persons were affected by Section 15 A. Even they are given rights to file declaratory suits under the new amendment in 4th Amendment Bill. Therefore, you cannot say that Amendment 4th in any way affects the 3rd Amendment Bill. 3rd Amendment as well as 4th Amendment both are amendments of

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Section 15-A, but there is no clash between them. Supposing we take it that the Governor withholds his assent to the 3rd Amendment Bill. Even then the 4th Amendment Bill will not be ultravires. It will give some rights to certain persons.

Therefore, I submit, Sir, that so far as the constitutional objection is concerned there is absolutely no relevancy in it.

Second objection, Sir, raised by Hon. Member from Jaipur is regarding Rule 212.

यह तो ऐसी चीज है। रूल २१२ में है कि यदि एक पॉइन्ट पर डिसीजन हो चुका है एक सेश्शन में तो उसको दुबारा रिपीट नहीं किया जाता। यह रिपीटीशन का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एक सेक्शन के अन्दर एक से ज्यादा अमेन्डमेन्ट आ सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि नहीं कर सकते हों। १५ (ए) में अमेन्डमेन्ट किया, "on or after the commencement of this Act"

अभी जो नम्बर चार इसके अन्दर एक सब-क्लाज इन्सर्ट कर रहे हैं :

"...... because such land had been let out to him before the commencement of this Act......"

इसलिये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और दोनों सेम(same) नहीं। २१२ का मतलब यह नहीं; २१२ में यह है,

"A motion or an amendment must not raise a question substantially identical with the one on which the House has given a decision in the same session."

आज कोई डिसीज़न इस पर नहीं हुआ कि जिस जरिये अमेंडमेंट नं० ४ को लिया है। कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यू है वह तो बिल्कुल बेसलेस है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The House has given its decision on this issue.

श्री दामोदरलाल व्यास : No it has not given.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It has given its decision. When we amended Section 15 A and we said that we do not want to give any Khatedari rights, and then again by 4th Amendment Bill we are giving them a right of appeal. So when we have already given a decision that no khatedari rights will accrue (in the 3rd Amendment Bill) then we cannot make a change in that decision by giving a right of appeal under the 4th Amendment Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) That is not the case. The House had given a decision in Section 15 A of the principal Act, and not by the 3rd Amendment. We have already said in Section 15 A that no rights shall accrue. It is not today that a new decision has been taken. So by the 4th Amendment Bill we are amending the original Section 15 A and not the amended (by 3rd Amendment Bill) Section 15 A. These questions are not identical. They are absolutely independent.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : Mr. Deputy Speaker, Sir, with your permission. I may voice some of the doubts that I still have after the Revenue Minister has spoken. Just now, Sir, we have passed the 3rd Amendment Bill on the Rajasthan Tenancy Act and by that Amending Bill we have amended Section 15 A. Now, Sir, section 15 A says in the Headline "Khatedari rights not to accrue in Rajasthan Canal area.." and there was a proposal which we have just passed that certain words will be deleted from this Section. These words are"..."on or after the commencement of this Act...". Why was it necessary to bring out this amendment ? It has been stated very clearly in the statement of objects and Reasons of the 3rd Amending Bill that, Section 15A of that Act, lately inserted therein, provided that land in the Rajasthan Canal area leased out on or after the 15th October, 1955 shall be deemed to have been let out temporarily. It has been represented that a large number of temporary cultivators in the said area who had been holding temporary leases of lands therein since before October 1955 would consequently be deemed to have acquired khatedari rights in their holdings on and from the 15th day of October, 1955. So, Sir, this makes it very clear that the 3rd Amending Bill brings some complications. Certain tenants who had before the Commencement of the Tenancy Act acquired khatedari rights would not have these Khatedari rights by this 3rd Amendment Bill which we have just passed. We have just passed 3rd Amendment Bill and immediately we are jumping to Amendment No. 4. This Amendment 4 would not have been necessary if there had not been the 3rd Amendment Bill, because in the original Section Khatedari rights have already been conferred. So the Amendment 4 presumed that the assent of the Governor to 3rd Amendment has been received and it has become an Act. Actually the Amendment 3 does not become an Act unless it receives the Assent of the Governor or the President, as the case may be, and is published in the Rajasthan Gazette. So we presume that the assent to 3rd Amendment Bill has been received and we are hurrying legislation. That presumption is wrong.

All this difficulty would not have arisen if instead of bringing the legislation piece-meal there would have been one Amending Bill.

I differ with the Revenue Minister when he says that it does not make any difference and that both the amending Bills are independent. It is not correct. Supposing Section 15A is as it is before passing of the 3rd Amendment Bill, then there would not have been any necessity, as I said before, of bringing in this 4th Amendment Bill, So the point is quite clear, that unless the 3rd Amendment Bill receives the assent of the Governor, it does not become a law, and we cannot bring in any legislation on the hypothetical presumption that it will receive the assent of the Governor

(श्री नरोत्तमलाल)

subsequently. Certain consequences following the passage of 3rd Amendment Bill are sought to be remedied by the 4th Amendment Bill and as such the 4th Amendment Bill cannot be considered unless the 3rd Amendment becomes an Act.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : Sir, in addition to my friend's arguments there is one thing more. The Hon. Revenue Minister has suggested that Section 15A is already on the Statute Book and 15A is independent Section and does not make any change by virtue of clause (6) or the 4th Amendment Bill. My submission is that clause (6) of the 4th Amendment Bill is not independent of Section 15 A...

(विराम)

Because the Secretary was talking to the Deputy Speaker, I remained silent intentionally.

My submission is that Section 15A is not independent of clause 6 of the 4th Amendment Bill. By virtue of 3rd Amendment Bill, the rights that were already given to persons who were holding Khatedari rights on or after the commencement of this Act have been taken away and by the 3rd Amendment Bill even those persons who were holding these rights prior to the commencement of the Tenancy Act have been deprived of those rights and the 4th Amending Bill, clause 6 refers to the Section 15A, as amended by 3rd Amendment Bill.

मेरी प्रार्थना यह है कि राजस्व मंत्री ने यह बताया कि क्लॉज १५ ए है वह इन्डिपेन्डेन्ट है, लेकिन सब क्लॉज ६ है इसनें, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि एक दूसरे पर आश्रित है। क्योंकि क्लॉज १५ जो राजस्थान टिनेन्सी तीसरे संशोधन में उन काश्तकारों को, जो टिनेन्सी एक्ट रूल्स फोर्स में आये, उससे पहले के खातेदारी राइट्स थे, वे ले लेते हैं। मगर इससे पहले जिन काश्तकारों को राइट्स खुदकाश्त के टिनेन्सी एक्ट के पहले हासिल हो चुके थे उनके राइट्स नहीं दिये। इससे साफ जाहिर होता है कि सब क्लॉज २ ऑफ क्लॉज़ ६ को ही रेफर करता है। १५ ए का अमेन्डेड क्लाज क्या है उसमें साफ लिखते हैं : "New sub section to be inserted..." (2) Any person referred to in sub-section (1) May within four years from the date of the commencement of this Act and on Paymeut of court fee of 25 Naya paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that he acquired khatedari rights under sub-section (1) of section 15 in the land held by him because such land had been let out to him before the commencement of this Act and the provisions of sub-section (5) of section 15 shall apply to such application."

तो यह क्लियर है, "On or before the commencement of this Act"

उसके हक टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले मिल चुके हैं, उसको प्रिज़र्व किया "Section 15 A of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so re-numberd the

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

following new sub sectoin shall be inserted."

इसके १५ ए के लास्ट थर्ड अमेन्डमेन्ट से इन राइट्स को उनसे ले लिया। उसको आप क्लाज़ १ में रेफर करते हैं "On or before the commencement of this Act"

तो आप जो १५ ए रेफर कर रहे हैं उसके कारण जरूरी अमेन्ड हो चुका है :

"After the commencement of this Act"

थर्ड अमेन्डमेन्ट के मुताबिक आपने डिलीट कर दिया। एक काश्तकार वे हैं जिनको टिनेन्सी एक्ट से पहले के हक हैं। दूसरे वे काश्तकार हैं जिनको टिनेन्सी एक्ट फोर्स में आया उसके बाद में उस दिन से हक हुए। तीसरे उनको Sub clause (2) of clause 6does not refer. वे रेफर करते हैं "category of rights," उन काश्तकारों को जिनके खातेदारी राइट्स टिनेन्सी के एक्ट लागू होने से पहले दिये गये हैं।

इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि जब तक यह एक्ट से.......

श्री उपाध्यक्ष : I have followed your arguments. You may kindly be a little brief in your arguments.

श्री ब्रजमोहनलाल : Thank you, Sir.

श्री जनार्दनराय नागर : There is a fog in our minds, and he is clearing it.

श्री ब्रजमोहनलाल : मेरी यह प्रार्थना है कि जिन काश्तकारों को खातेदारी राइट्स जिस तारीख को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एन्फोर्स किया है और जिनको गवर्नर की एसेन्ट नहीं मिली थी, लागू नहीं किए जा सकते। इसके मातहत by virtue of clause (2)

श्री सोहनलाल भटनागर : विधान के कौन से प्रोविज़न के खिलाफ होगा ?

श्री श्रीभानसिंह : Government's consent provision.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : जो सब्जेक्ट्स युनियन लिस्ट में होते हैं उस पर प्रेसिडेन्ट की सेंक्शन की जरूरत है। जब तक...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जिस स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं उसका वाद-विवाद से पर्याप्त स्पष्टीकरण हो चुका है। It was just to enlighten me and I aim rightly enlightened.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : इसलिये मेरी यही प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not hear any more. It was just to help the Chair that I wanted some of the Hon. Members to speak and the Chair has received that help. I will request the Hon. Member to please resume the chair.

श्री मूलचन्द डागा : इसमें डिक्लेरेटरी राइट्स दावा करने के किसको रहेंगे ?

श्री श्रीभानसिंह : I may humbly submit, Sir, that this issue has been put for the debate of the House.

श्री उपाध्यक्ष : The point was that the Chair wanted to be enlightened by the House.

श्री पी० के० चौधरी : The Sabhapati said that the matter will be debated in the House.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, it has been debated in the House for the reason that the Chair wanted the opinion and I am grateful that I have been helped.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Sir, if the debate is to be closed, there should be a closure motion; and unless the matter has not been sufficiently debated, all the Hon. members who want to express their views, they have a right to.......

श्री उपाध्यक्ष : No. My observation is that the Chair has invited the House to help it. It was only a request to help the Chair and I am rightly helped I would not like to be helped more by the Hon. members. I have come to a certain conclusion and I will...

श्री पी० के० चौधरी : I will make a suggestion to the Chair that we have got a number of legal experts in the House and I would suggest that the views of such Hon. Members be taken as it is a legal issue. Or it may be referred to the Advocate General for his opinion.

श्री उपाध्यक्ष : The only issue left to me is whether we can proceed with the first amendment, overlooking the constitutional point that has been raised by Hon. Shri Shribhan Singh. Will Shri Narottam Lal Joshi please enlighten ?

श्री श्रीभानसिंह : The Constitutional position can never be overlooked by this House, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : My observations on the issue are...

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : If the House does not look to the constitutional position then the Courts of law will look into it.

श्री उपाध्यक्ष : We are not concerned with that. My observations on the issue are that as the Tenancy (4th Amendment) Bill is partly dependent on the Rajasthan Tenancy (3rd Amendment) Bill, I, therefore, hold that its consideration be deferred.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, there was another point of order by Hon. Shri Satish Chandra. Ruling should be given on that also.

एक माननीय सदस्य : There can not be two points of order at a time.

श्री उपाध्यक्ष : Pardon ?

श्री पी० के० चौधरी : Sir, there was another point of order by Hon. Shri Satish Chandra. Ruling should be given on that also.

एक माननीय सदस्य : There can not be two points of order at a time.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir There were two.

श्री उपाध्यक्ष : I have taken only one.

श्री पी० के० चौधरी : But the other one was debated.

Page No.92

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्व मंत्री What is the decision, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Consideration has been stopped at this stage and deferred.

श्री दामोदरलाल व्यास : Decision will be taken later on ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : The decision is there.

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observation that it is partly dependent upon the 3rd Amendment Bill.

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है कि जो डिसीजन है उसके मुताबिक क्लॉज ६ को डेफर किया है, फिर बाकी को ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : I am helped in my observation by Rule 66 of the Lok Sabha.

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८

(अग्रेतर खण्डश: विचार–विमर्श

Rajasthan Zamindari & Biswedari Aboition Bill, 1958.

Shri Brij Mohan Lal.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को इस समय यदि एड्जोर्न कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये दोनों काश्तकारी विधेयक के सम्बन्ध में तैयार होकर आये है। जमींदारी एक नया बिल है और उसके ऊपर यदि तैयार होकर नहीं आये और उसको यों ही रख दिया जायेगा तो मुश्किलात सामने आयेंगी। मेरे ख्याल से हाउस को इस समय एड्जोर्न कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह विश्वास है कि श्री बृजमोहनलाल शर्मा और श्री पी० के० चौधरी इसमें मुख्यत: हैं और यह हमेशा pre-perpared हैं इस प्रश्न पर।

श्री पी० के० चौधरी : Sir, it may be taken up tomorrow. Today the House has discussed a number of legislation.

श्री उपाध्यक्ष : We proceed on with this Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition Bill, Clause 2. Shri Brij Mohan Lal.

श्री ब्रजमोहनलाल : हां, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Brij Mohan Lal belongs to an honourable profession and as a lawyer he is always prepared.

श्री ब्रजमोहनलाल : I will argue, Shri, So far as the Zamindari Abolition Bill is concerned, with the permission of the House. But it is not a question of me alone. As soon as I move an amendment, it becomes the property of the House and the House will have a right to discuss it, and if the Hon. Members are not prepared......

श्री उपाध्यक्ष : Let us see how you proceed. Let us continue.

श्री जनार्दनराय नागर : जरा हिन्दी में फरमायें तो अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : इनके पहले तो मेरा अमेन्डमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा कि सेक्रेटरी मुझसे बात कर रहे थे तो पोजीशन यह थी कि I was talking to the Secretary and not the secretary. to me

एक माननीय सदस्य : वह तो अलाउड है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir. श्री ब्रजमोहनलालजी के पहले तो मेरा अमेन्डमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्लॉज श्री बृजमोहनलालजी का ले लेता हूं, तब तक आप तैयार हो जायें।

श्री भैरोंसिंह : मैं तैयार नहीं हूँ।

श्री ब्रजमोहनलाल : मैं तो तैयार हूँ। I move that...... ...

श्री भैरोंसिंह : ये तो एवररेडी हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : ये तो तैयार हैं, मगर हम सुनने के लिए कम तैयार हैं।

श्री श्रीभानसिंह : May I submit, Sir, यह जमींदारी बिल कल पास नहीं हो सकता और यह थर्ड एण्ड फोर्थ अमेन्डमेंट भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रखा था। इसलिए हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय, and we may meet on the 17th and then take up this Bill.

श्री मदनसिंह : मैं तो समझता हूँ कि आज ही होना चाहिए। जब सिलेक्ट कमेटी को यह बिल जा रहा था तो माननीय सदस्यों ने यह फरमाया था कि जमींदारी का प्रश्न...

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी आपकी राय से इत्तिफाक करता हूँ।

श्री ब्रजमोहनलाल : Sir, I move that the words "and includes any holder of land, not being a tenant who may be declared by the State Government, by notification, to be a Biswedar for the purposes of this Act......" be deleted.

श्रीमान्, मेरा संशोधन यह है कि जो बिस्वेदार की परिभाषा क्लॉज़ २ (१) में रखी गई है उसमें से इन शब्दों को निकाला जाये। श्रीमान् इसके अन्दर जिस दृष्टिकोण... ।

श्री श्रीभानसिंह : Sir, I tabled my amendments about 5 to 6 days ago, but I have not received my amendments uptill now.

श्री उपाध्यक्ष : I am Just inquiring.

श्री श्रीभानसिंह : I am stating, Sir. that there is no question of enquiring. I have submitted my amendments and that was 5 to 6 days back.

श्री उपाध्यक्ष : अभी चैप्टर ३ पर हैं। आपके क्लॉज़ २ को ही ले रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Sir, there is no question whether first Chapter is being discussed or third. The question is that I have submitted my amendments and when then the Bill is ripe for clause-by-clause discussion they must come before the House. The House must have my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : १७ तक उसके आने की सम्भावना है। इसलिए उसके तीन-चार रोज पहले सर्कुलेट हो जायेगा।

They will be circulated two days before.

श्री श्रीभानसिंह : But the Bill is being considered today.

फिर इसका मतलब यह है कि सम्भावना के मुताबिक हम अपने अमेंडमेंटस दिया करें । वैसे प्रोसीजर के मुताबिक तो मुझे अमेंडमेंटस मिलने चाहिए थे । दो दिन का कायदा है कि अमेंडमेंट्स दो दिन पहले देने चाहिए, मगर मैंने तो ६ दिन पहले ही दे दिये थे । वे सर्कुलेट होकर मुझे और माननीय सदस्यों को मिलने चाहिए थे ।

श्री उपाध्यक्ष : They will be cricu-lated two days before when the Chapter is likely to come before the House.

श्री श्रीभानसिंह : There is no question of 2 or 3 days, or they should be given always Chapter-wise. Otherwise, they should have come today when the House is considering the Bill clause-by-clause.

श्री उपाध्यक्ष : I will look into the postion.

श्री ब्रजमोहनलाल : श्रीमान् मैंने यह, संशोधन रखा है कि....

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir., उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की व्यवस्था यह है कि जो माननीय सदस्य जिस सीट पर बैठते हैं उसी सीट पर जाकर अपना भाषण दें । माननीय सदस्य उस सीट पर बैठे हैं जिसके ऊपर वे नहीं बैठ सकते हैं । इसलिए उन्हें अपनी सीट पर जाने के लिए कहा जाये ।

श्री ब्रजमोहनलाल : रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऐसा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था यह है कि जिस पार्टी की ओर से माननीय सदस्य हैं उस दल में किसी सीट पर बैठें तो अनुचित नहीं है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी में आ गये तो क्या हर्ज है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी यह आपत्ति उचित होते हुए भी उचित नहीं है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Upadhyaksha Mahodaya, he is going nearer them, I believe.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon. Minister is raising a point of order, Sir.

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और जो माननीय सदस्य खड़े हुए हैं वे भी महत्वपूर्ण तरीके से इस पर बोलते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of information, Sir, what the Hon. Minister stated just now was a joke or he is serious ?

श्री उपाध्यक्ष : I was at that time indifferent, I could not hear him.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: I will draw your attention to Rule 219, Sir;

(अनेक ध्वनियां)

"Rules to be observed by members.—While the House is sitting, a

Page No.95

member:...(vii) shall keep to his usual seat while addressing the House." There is no mention about party or block. When a Member has got a particular seat assigned to him, he should keep to his usual seat. So as far as your observations as to party are concerned, I may most respectfully submit...

श्री उपाध्यक्ष : The rule is liberal and can be to some extent relaxed from time to time to the convenince of the House. Yes, Shri Brijmohanlal.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (जारी रखते हुए) :No particular seat has been assigned to me.

श्रीमान् जिस प्रकार की परिभाषा सदन के सम्मुख है उसमें संशोधन पेश किया उन व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन का मालिक है अथवा जमीन उसके पास है बशर्ते कि वह काश्तकार नहीं तो राजस्थान सरकार को किसी नोटिफिकेशन के जरिये हक होगा कि वह चाहे जिसको बिस्वेदार घोषित कर दे। मेरा यह कथन है कि इस प्रकार की शक्ति किसी भी राज्य सरकार को देना उचित नहीं और न यह वैधानिक ही है। क्योंकि 'बिस्वेदारी' की परिभाषा करना सदन का काम है इस प्रश्न को यहां ही तय किया जा सकता है, सदन ही इसको तय कर सकता है। अगर किसी व्यक्तिविशेष के लिये सरकार यह आवश्यक समझती है कि इसको बिस्वेदार घोषित करना चाहिये......

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, यह "व्यक्ति" शब्द क्या पुंल्लिग है ?

श्री उपाध्यक्ष : 'Vyakti' means 'person.' 'Person' in law includes male and female both; 'Person' means both.

श्री जनार्दनराय नागर : I say, Sir, that 'Vyakti' is 'Stri-Ling'

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : I think it has the Gender of the speaker, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : May I humbly submit, Sir, that the Hon Member (Shri Nagar) may be sent to a Grammer School to re-learn the grammer.

श्री जनार्दनराय नागर : I maintain, Depty Speaker, Sir, that 'Vyakti' is 'stri-ling'.

श्री उपाध्यक्ष : 'Person' includes both male and female.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon. Member is not addressing a Sahitya Academy meeting.

(अनेक ध्वनियां)

श्री जनार्दनराय नागर : I am talking.........

श्री उपाध्यक्ष : Order please, You must see that the Chair is on its legs.

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : Sir, I am very serious about......it should not be taken lightly.

श्री जनार्दनराय नागर : It is casting aspersions, Sir. We are correcting Genders.

(Shri Brij Mohan Lal Sharma, goes towards his usual seat, but sits on another seat of the Government Benches.)

श्री उपाध्यक्ष : Now you must go to your original seat please.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, the House is not in a mood today to discuss the subject, so we may meet tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : After Shri Brij Mohan Lal has spoken, we shall take your suggestion into consideration.

(Shri Brij Mohan Lal Sharma takes his usual seat and begins his speech.)

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : मैं यह कह रहा था कि जब कोई कानून बनाया जाता है अथवा किसी की परिभाषा की जाती है उस पर सदन का हक होता है कि सदन के अन्दर ही इस चीज को तय करना चाहिये। सरकार को नोटिफिकेशन के जरिये किसी की परिभाषा करने के अधिकार दिये गये तो यह उचित नहीं होगा। जिस समय जागीर एबोलिशन एक्ट बना तो शिड्यूल में यह दिया गया था कि इस वर्ग के लोगों को जागीरदार माना जायगा। इस तरीके से अगर 'बिस्वेदार' की परिभाषा की जाय, तो सदन को इस बात का हक है। लेकिन यदि इस प्रकार के हक लेजिस्लेचर द्वारा सरकार को दिये जाते हैं तो यह अलट्रावायर्स प्रावधान होगा, न्यायसंगत नहीं हो सकता। सरकार के मन में यह आया कि एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को बिस्वेदार माना जाय तो वह उसको इन्क्लूड कर लेगा, दर असल उसे इन्क्लूड करना नहीं चाहिये था। एक्ज़ीक्युटिव को यह सर्वोपरि हक प्रदान करना वैधानिक नहीं है। सदन का हक यह होना चाहिये कि वह व्यक्ति विशेष की परिभाषा को स्पष्ट कर दे, किसी वर्ग विशेष के हक को खत्म करने का सवाल है तो वह सदन को हक होना चाहिये। अगर हम उसको वैधानिक दृष्टिकोण से न भी देखें, सहूलियत के दृष्टिकोण से भी देखें और कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो यही युक्तिसंगत होगा कि यह हक सदन को ही होना चाहिये। सदन के सामने कोई कानून लाया जाता है, वहां यह होता है कि सरकार एक ढंग से सोचती है और सरकार का सोचा हुआ अन्तिम नहीं होता। सदन में जो चीज कही जाती है, संशोधन रखे जाते हैं और संशोधन रखने के पश्चात् सरकार यदि किसी संशोधन को चाहती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उसके पश्चात् सदन उसको स्वीकार करता है। मान लीजिये राजस्व मन्त्री महोदय किसी व्यक्ति विशेष को बिस्वेदार बनाना चाहते हैं; यदि सदन उसको नहीं चाहता तो वह मन्जूर हो नहीं सकता। प्रीवियस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाय तो यह सरकार के अधिकार की चीज़ नहीं है। आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया उसके अनुसार आप किसी केटेगरी को इन्फुएन्स कर सकते हैं। सन् १९५२ के अन्दर जागीरदार एबोलिशन एक्ट बना था, उसके अन्दर सिर्फ ये शब्द रहते तो यह सारा लेजिस्लेशन बनाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। केवल यही मान लिया जाता कि जिस किसी व्यक्ति विशेष को सरकार जागीरदार मानना चाहे तो मान सकती है। इस दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाय तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के हक सरकार को नहीं होने चाहिये। इस प्रकार से जो शब्द : "and includes any holder of land, not being a tenant, who may be declared by the State Government by notification to be a Biswedar..." इन शब्दों को हटा देना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : I will speak on this amendment, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : There are other amendments on the same clause, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I don't think there are any. (After seeing the papers) After Shri P. K. Chaudhri move his amendment......

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, I will speak on this amendment. I will move my amendment afterwards.

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने फर्माया था कि माननीय सदस्य के बोल चुकने के बाद में हाउस एड्जोर्न कर दिया जावेगा, इसलिये उनका महत्वपूर्ण भाषण सावधानी से हम सुन रहे थे। अब उनका यह महत्वपूर्ण भाषण समाप्त हो गया है, इसलिये मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि अब सदन की मंशा भी ठहरने की नहीं है, अतः इसे एड्जोर्न कर दिया जावे।

श्री पी० के० चौधरी : Yes, we should adjourn......

श्री उपाध्यक्ष : So we now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ३२ मिनिट पर अगले दिन दिनांक ७ नवम्बर, १९५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

गुरुवार ६ नवम्बर, १९५८

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

पशुमेला, सांचोर में पानी का ठेका।

पुष्कर मेले में गाड़ियों का चालान।

पुलिस द्वारा पकड़ी गई अफीम।

पुलिस ऑफिसरों के लिए रिफ्रेशर्स कोर्स।

फुलेरा तहसील में पंचायत-निर्वाचन।

पुलिस के प्रोसीक्युटिंग सब-इन्स्पेक्टर की योग्यता।

तहसील पंचायत खारची में हरिजन पंच।

करोली उपजिले में बंधों का मापन।

कृषि विभाग, जोधपुर में गनी-बेग की चोरी।

तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारियां।

गोगुन्दा तथा कोटडा तहसीलों में डिमॉर्केशन लाइन का डाला जाना।

ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र की जमीनों को बेचने का अधिकार।

तहसील कोटड़ा और गोगुन्दा में तालाबों की सर्वे।

स्कम्भ

२१०९ ग्राम तेना, तहसील शेरगढ़ में पीने के पानी की कमी।

गुड़ा एन्दला गांव की नदी के तट-बंधन का काम।

मित्र सहकारी समिति-सलूम्बर।

गलबनियां गांव तहसील उनियारा में ट्रेक्टर से मृत्यु।

देवली म्यूनिसिपेलिटी का चुनाव।

बीकानेर पॉवर हाउस के कोयलों के स्टॉक में आग।

जयपुर शहर में बालकों के मनोरंजन के लिए सुरक्षित स्थान।

ट्रेक्टर्स।

मर्दाना अस्पताल, बीकानेर।

ट्रेन्ड ट्रेफिक पुलिस अफसरों का पोस्टिंग।

बीकानेर शहर में जल-वितरण व्यवस्था।

मछलियों का ठेका।

चम्बल योजना।

मांडरेल सड़क का निर्माण।

झुंझुनूं जिले को बिजली देने सम्बन्धी योजना।

Page No.99

स्कम्भ

राजस्थान भू-राजस्व (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ २१६१

(पूर्वक्रम से पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (छुटा संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया।

(१) **राजस्थान भू-धारण (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५८** २१६३

(खंडश: विचार-विमर्श एवं पारित)

राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् प्रवर समिति को सुपुर्द करने से संबंधित संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डश: विचार किया गया।

खण्ड २, ३, ५ व १ आदि बिना संशोधन के स्वीकार किये गये तथा खण्ड ४, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

(२) **राजस्थान भू-धारण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८** २२६७

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

संवैधानिक आपत्ति उठाई जाने के कारण इस पर विचार स्थगित रहा।

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८ २२६१

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

उपरोक्त विधेयक पर आज खण्डश: विचार आरंभ हुआ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४५१ का उत्तर देखिये)

सूची ब्लॉक्स जो तहसील कोटडा तथा गोगून्दा में फोरेस्ट सैटिलमैन्ट विनीय द्वारा कायम हुए !

तहसील कोटडा.	नाम रेन्ज.
१. बन्या की नाल	कोटड़ा
२. मन्दूकुआ	,,
३. सामोली	,,
४. वजारी	,,
५. बादोटा	,,
६. अलदिया	,,
७. सूरजवारा	,,
८. सीला	,,
९. सोमरिया नाल	,,
१०. पीपल नाल	,,
११. सोरना पार्ट १	,,
१२. डूर	,,
१३. लादन	,,
१४. सोरन पार्ट २	,,
१५. ढेडनारिया	,,
१६. सोडा	,,
१७. हरवा	,,
१८. उपरेटा	,,
१९. उमरिया	,,
२०. फूलवाड़ी	,,
२१. आसावाड़ा	,,
२२. मांमेर	,,
२३. सूवरा सूवरी	,,

तहसील गोगुन्दा.	नाम रेन्ज
१. भादवीगुडा	कुरावल
२. श्रागूणी	गोगुन्दा
३. घोलिया	"
४. मनावद	"
५. सिवडिया	"
६. मनांग	"
७. श्रोकन	"
८. सेनवाड़ा	"
९. नाल मोसी	"
१०. घलेवाघाटी	"
११. हसनियावड	"
१२. बगडून्दा	"
१३. मोड्या	"
१४. रामा	"
१५. सूरजगढ़	"
१६. मोरवड़	"
१७. चितोड़िया	"
१८. सोरनिया	"
१९. एकलिंगनी	"
२०. श्रगदा	"
२१. भिन्डोली	"
२२. घोकाटिया	"
२३. श्रोसाड़ा	भानपुरा
२४. सैमड़	"
२५. उमरणा	"
२६. मिलमा	"
२७. मदराड़ा	"

तहसील गोगुन्दा.	नाम रेन्ज.
२८. कचेड	,,
२९. सोचेटी	,,
३०. जाकड़िया	,,
३१. सामड़	,,
३२. देवजाल	,,

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ६ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२११२	१४	mnch	much
२११३	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर ६ नवम्बर	तारांकित प्रश्नोत्तर–६ नवम्बर
२११४	७	प्रबन्घ	प्रबन्ध
२११५	अन्तिम	reconstitute	reconctitute ?
२११८	७	more	mere
,,	,, १८	कॉस्न्टीट्यूट	कॉन्स्टिट्यूट
२१२२	,, १०	pisased	pleased
२१३४	नीचे से ४	भखरा कैनाल	भाखरा कैनाल
२१३६	,, ३	२५४	४५४
२१४३	शीर्षक	नवम्बर ५८	नवम्बर, ५८--
२१५१	ऊपर से	रावराजा	रावराजा
२१५३	,, १३	vaid	valid
२१५७	नीचे से ७	regad	regard.
२१५९	,, १३	yesl	yes.
२१६८	८	हकूर्फ	हकूक
,,	६	श्रीं तनसिंह (बाडमेर)	श्री तनसिंह (बाड़मेर)
२१७०	८	जयात्र	जवात्र
२१७५	१४	सत्तारूट्र	सत्तारूढ़
२१७६	१	इम्पूत्रमेंट	इम्प्रूवमेन्ट
,,	२	इम्पूत्र	इम्प्रूव
२१७७	अन्तिम	फीच्ड	फील्ड

१	२	३	४
२१६१	२	में	मैं
,,	नीचे से १०	opintion	opinion
२१६३	,, १०	prineipal	principal.
२२००	१०	कांस्टीट्‌यूशंन	कॉन्स्टिट्यूशन
,,	,, १५	ऑनपॉइन्ट	ऑन ए पॉइन्ट
,,	,, ५	अनिश्चिता	अनिश्चितता
२२०५	,, ४	,,	,,
२२१०	१४	अधिार	अधिकार
२२१७	११	धारणा। नहीं है।	धारणा नहीं है।
,,	नीचे से ७	कानून न	कानून
२२१६	,, ७	कॉमलीकेशन्स	कॉम्पलीकेशन्स
२२२०	१६	इर्टिगेट	इर्रिगेट
२२२३	१८	५.१०	५.१०,
२२२६	३	सदन व्यवस्था	सदन ने व्यवस्था
,,	१६	any the terms, comdition	any of the terms, Conditions
२२२६	अन्तिम	अदेलन	आंदोलन
,,	१८	होंगें	होंगे
२२३५	नीचे से १२	आधी से	आँधी से
२२४६	२१	snbequent	subsequent
,,	२२	nay	may
२२५१	नीचे से ४	संकर	सीकर
२२६७	७	विधेयक, १६५६	(विधेयक १६५८)
२२६६	शीर्षक	(विचार विमर्श एवं पारित)	(विचार विमर्श)
२२८४—		विधेयक १६५६	विधेयक, १६५८
२२६६	६	oni tted	omitted
,,	१६	sectin	section

१	२	३	४
,,	नीचे से १६	onay	may
,,	,, १५	oommencement	Commencement
२२७२	नीचे से ११	relael	relate
,,	,, ४	hae	have
२२७४	,, २	(4 th Amendment)	(4 th Amendment)
२२७५	,, ११	Nr. Satishchandra	Mr. Satishchandra
२२७७	१८	unerying	underlying.
२२८१	१०	Concernel	Concerned
२२८३	नीचे से १३	theren	therein
२२८८	,, ११	gut	gust.
२२६८—	४	Sr	Sir
२३०१	शीर्ष	राजस्थान भू-धारण	राजस्थान जमींदारी तथा
२३०२		चतुर्थ संशोधन विधेयक १६५६	बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक,१६५८
२३०२	शीर्ष	२२०३	२३०२